

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का
निष्पादन प्रतिवेदन
2011-2012



भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के डेस्क से

मुझे, वर्ष 2011-12 के लिए भारतीय लेखा तथा लेखापरीक्षा विभाग का निष्पादन प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हुए बहुत प्रसन्नता हो रही है। गुणवत्ता और व्यावसायिकता के प्रति वचनबद्धता, हमारे सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं जो हमारे कार्य की प्रकृति को अधिशासित करते हैं।

यह प्रतिवेदन, हमारे निष्पादन और बाह्य पणधारियों को भारत की सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्था के मूल्य और लाभ की अभिव्यक्ति है। हमारे लेखापरीक्षा प्रयासों के परिणामस्वरूप सरकार द्वारा ₹ 3,356.94 करोड़ की वसूली की गई है। इसके अतिरिक्त, लेखापरीक्षा सिफारिशों के परिणामस्वरूप संघ और राज्यस्तर पर नीतियों, नियमों, कानूनों आदि में विशेष बदलाव किए गए हैं।

लेखापरीक्षा कार्यप्रणालियों और व्यावसायिक पद्धतियों में सुधार एक निरंतर प्रक्रिया है। हमारा फोकस अन्तर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम लेखापरीक्षा प्रथाओं के अनुरूप सन्तुलित रिपोर्टिंग और सुपटित पुस्तिकाओं के माध्यम से पणधारियों को निष्कर्षों के प्रसार पर था। XXV महालेखाकार सम्मेलन की सिफारिशों को आगे ले जाते हुए हमने लेखापरीक्षा प्रयासों के एकीकरण को सरल बनाने और सरकारी लेखापरीक्षा के क्षेत्र आधारित संदर्भ के प्रस्तुतिकरण के लिए लेखापरीक्षा कार्यालयों की संगठनात्मक पुनर्संरचना की है।

हम निरंतर अपने पणधारियों के सम्पर्क में हैं। सरकार में प्रोद्भूत आधारित वित्तीय प्रतिवेदन पर जून 2011 में एक सम्मेलन आयोजित किया गया था, जिसका उद्घाटन संघ सरकार के वित्त मंत्री ने किया था और जिसमें राज्यों और संघ सरकार के वित्त विभागों के मुख्य अधिकारियों के अतिरिक्त राज्यों के वित्त मंत्रियों ने भाग लिया था। हमारी सम्बन्धनात्मक रणनीति के हिस्से के रूप में हम विभिन्न मंचों पर नियमित रूप से कार्यकारिणी के साथ संवाद करते हैं। प्रत्यक्ष कर संहिता पर संगोष्ठी और राजस्व लेखापरीक्षा पर अन्तर्राष्ट्रीय संगोष्ठी: नए फ्रन्टियर्स को पणधारियों द्वारा भली भांति सराहा गया।

साई इण्डिया, कई बहुपक्षीय व्यावसायिक संगठनों का सक्रिय सदस्य है। फरवरी/मार्च 2012 में जयपुर में आयोजित 12वीं एसोसाई सभा में हमने अध्यक्ष एसोसाई का पद भार संभाला। वर्ष के दौरान, हमें विश्व बौद्धिक सम्पदा संगठन और अन्तर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी नामक दो यूएन एजेंसियों का बाह्य लेखापरीक्षक नियुक्त किया गया था।

मैं भारतीय लेखा तथा लेखापरीक्षा विभाग के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को बधाई देता हूँ जो चुनौतियों के बावजूद उच्च गुणवत्ता के बेंचमार्क को पूरा करने का अथक कार्य करते हैं।

(विनोद राय)

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक



विषयसूची

अध्याय	विषयसूची	पृष्ठ
	निष्पादन की मुख्य बातें	i-iii
I	इस निष्पादन प्रतिवेदन के विषय में	1-2
II	भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक एवं भारतीय लेखा तथा लेखापरीक्षा विभाग के बारे में	3-19
III	महत्वपूर्ण परिणाम एवं उपलब्धियाँ - लेखापरीक्षा	20-32
IV	महत्वपूर्ण परिणाम और उपलब्धियाँ - लेखा एवं हकदारी	33-39
V	व्यावसायिक मानक और गुणवत्ता प्रबंधन	40-44
VI	हम अपने संसाधनों का प्रबंध कैसे करते हैं	45-57
VII	संगोष्ठियाँ एवं कार्यक्रम	58-62
VIII	प्रमुख पणधारियों के साथ हमारा सम्पर्क	63-66
IX	हमारी अन्तर्राष्ट्रीय भागीदारी और योगदान	67-76
	अनुबंध I	77
	अनुबंध II	78-86
	अनुबंध III	87
	संकेताक्षर	88-91



निष्पादन की मुख्य बातें

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के विषय में	<p>इस प्रतिवेदन का उद्देश्य निम्नलिखित पर रिपोर्टिंग के द्वारा जवाबदेही अपेक्षाओं को पूरा करना है।</p> <ul style="list-style-type: none"> • साई इण्डिया ने अपने लेखापरीक्षा उत्तरदायित्व तथा अपेक्षित रिपोर्टिंग के संबंध में अपने कानूनी दायित्व का किस सीमा तक निर्वाह किया है; • हमारे अपने निष्पादन का मूल्यांकन, और इस पर अनुवर्ती कार्रवाई और हमारी लेखापरीक्षा का प्रभाव; तथा • हमारे अपने कार्यों तथा क्रियाकलापों और साई संसाधनों के प्रयोग सहित, लोक निधियों के उपयोग में नियमितता एवं दक्षता।
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक एवं भारतीय लेखा तथा लेखापरीक्षा विभाग के विषय में	<ul style="list-style-type: none"> • भारत का संविधान सीएजी के अस्तित्व और उसके उत्तर दायित्व का आधार है। • सीएजी के (डीपीसी) अधिनियम, 1971 में सीएजी द्वारा राज्य सरकारों के लेखाओं के संकलन और प्रस्तुतिकरण का प्रावधान है। • सीएजी के (डीपीसी) अधिनियम, में उन इकाइयों का उल्लेख किया गया है जो प्राप्ति और व्यय दोनों को शामिल करते हुए संघ तथा राज्य स्तर पर हमारे लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत आते हैं। • भारत के सीएजी अपने कर्तव्य का निर्वाह भारतीय लेखा तथा लेखापरीक्षा विभाग के माध्यम से करते हैं। नई दिल्ली स्थित सीएजी का कार्यालय, लेखा तथा लेखापरीक्षा विभाग का मुख्यालय है। समूचे भारत में फैले 142 क्षेत्रीय कार्यालय और पांच विदेश स्थित कार्यालय इस विभाग की सहायता करते हैं। • नीतिगत योजना 2020 के लक्ष्य 1 तथा XXV महालेखाकार सम्मेलन में की गई सिफारिशों के मद्देनज़र, लेखापरीक्षा प्रयास को एकीकृत करने के लिए सेक्टरल लाईनों पर संघ तथा राज्य दोनों स्तर पर कार्यालयों की पुनर्संरचना की गई है।
लेखापरीक्षा के मुख्य परिणाम	<ul style="list-style-type: none"> • हमने 52,251 इकाइयों की लेखापरीक्षा की जिनमें संघ तथा राज्य स्तर पर क्रमशः 81 प्रतिशत तथा 96 प्रतिशत नियोजित लेखापरीक्षाएं शामिल थी। • हमने 49,390 निरीक्षण प्रतिवेदन जारी किए। • हमने 2011-12 के दौरान 137 लेखापरीक्षा प्रतिवेदन जारी किए। इनमें 252 निष्पादन लेखापरीक्षा उत्पाद शामिल थे। हमने संघ तथा राज्य स्तर पर अपनी लेखापरीक्षा इकाइयों को 1,590 सिफारिशें की। इनमें से, 627 सिफारिशें (39 प्रतिशत) लेखापरीक्षा इकाइयों द्वारा स्वीकार कर ली गई थी। • हमने संघ एवं राज्य सरकारों, पीएसयूज़, स्वायत्त निकायों, बाह्य

स्वतंत्र लेखापरीक्षा आश्वासन एवं सार्वजनिक प्रबंधन के द्वारा जवाबदेही बढ़ाना



	<p>सहायता प्राप्त परियोजनाओं तथा अन्य के 5,730 लेखे प्रमाणित किए। इनमें से, 83 प्रतिशत प्रमाण-पत्र समय पर जारी किए गए।</p> <ul style="list-style-type: none"> सरकार ने लेखापरीक्षा द्वारा बताई गई 35 प्रतिशत वसूलियां (₹ 79,214 करोड़) स्वीकार कर ली। इनमें से, वास्तव में ₹ 3,357 करोड़ की वसूलियां की गई। हमारे अनुपालन तथा निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में की गई 38.76 प्रतिशत और 27.39 प्रतिशत सिफारिशें संघ तथा राज्य सरकारों ने स्वीकार कर ली। हमने नियमों, विनियमों, योजना बनाने एवं योजनाओं के कार्यान्वयन में कमियों, विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय आदि के अभाव के बारे में बताया। सरकार द्वारा लेखापरीक्षा टिप्पणियों के आधार पर नीति, कानून, नियमों आदि में परिवर्तन किए गए थे। 31 मार्च 2012 को संघ तथा राज्य स्तर पर पिछले वर्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर हमें 18,762 कार्रवाई टिप्पणियां अभी प्राप्त नहीं हुई हैं।
लेखा और हकदारी के मुख्य परिणाम	<ul style="list-style-type: none"> हमने 5,50,762 पेंशन तथा संशोधन मामलों को अन्तिम रूप दिया। हमने 95.68 प्रतिशत नियोजित कोषागार निरीक्षण किए। राज्य सरकार ने हमारे द्वारा की गई 67.22 प्रतिशत सिफारिशें स्वीकार कर ली। हमने 92.25 प्रतिशत सामान्य भविष्य निधि लेखाधारकों को लेखा विवरण समय पर जारी किए।
व्यावसायिक मानक एवं गुणवत्ता प्रबंधन	<ul style="list-style-type: none"> भारत सरकार द्वारा मार्च 2012 तक तीन भारतीय सरकारी लेखांकन मानक (आईजीएएस) अनुमोदित किए गए थे। चार आईजीएएस तथा आईजीएफआरएस (भारतीय सरकारी वित्तीय रिपोर्टिंग मानदण्ड) भारत सरकार के विचाराधीन थे। वर्ष 2010-11 के लेखाओं के लिए राज्य सरकार के वित्त एवं विनियोग लेखाओं के लिए लेखापरीक्षा प्रमाण-पत्रों का फॉर्मेट संशोधित कर दिया गया है। महानिदेशक (निरीक्षण) ने आन्तरिक नियंत्रण उपाय के रूप में भारतीय लेखा तथा लेखापरीक्षा के 49 क्षेत्रीय कार्यालयों का निरीक्षण किया। निरीक्षण रिपोर्टों में की गई 45.57 प्रतिशत सिफारिशें लागू कर दी गई थी। गुणवत्ता आश्वासन के उपाय के रूप में, हमने एक अन्तर्राष्ट्रीय पीअर रिव्यू शुरू किया जिसके उद्देश्य निम्नलिखित थे: <ul style="list-style-type: none"> यह निर्धारित करना कि साई इण्डिया का निष्पादन लेखापरीक्षा कार्य व्यावसायिक प्रथा के लिए लागू मानदण्डों का पालन करता है; तथा सुधार के अवसर पहचानना।

स्वतंत्र लेखापरीक्षा आश्वासन एवं सार्वजनिक प्रबंधन के द्वारा जवाबदेही बढ़ाना



संसाधन प्रबंधन	<ul style="list-style-type: none">• ₹ 2,430.97 करोड़ के बजट आबंटन के प्रति हमने 2011-2012 में ₹ 2,427.17 करोड़ का खर्चा किया।• क्षेत्रीय कार्यालयों में इष्टतम स्टाफ पर एचआर नीति का मुख्य फोकस जारी रहा।• आईएण्डएडी में कार्यरत 44,872 लोगों में से, 90 प्रतिशत प्रत्यक्ष रूप से हमारे मुख्य कार्यकलापों में अपना योगदान देते हैं।• हमारे क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थानों ने 12,368 व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया।
संगोष्ठियां एवं कार्यक्रम	<ul style="list-style-type: none">• भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की संस्था के 150 वर्ष पूरे होने पर, 16 नवम्बर 2011 को समापन समारोह का आयोजन किया गया था।• जून 2011 में सरकार में प्रोद्भूत आधारित वित्तीय रिपोर्टिंग सम्मेलन का आयोजन किया गया था।• 14-15 नवम्बर 2011 को प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर तथा राजस्व प्राप्ति लेखापरीक्षा को शामिल करते हुए "राजस्व लेखापरीक्षा की नई सीमाओं" पर अन्तर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया था।• मई 2012 में आयोजित प्रत्यक्ष कर संहिता पर संगोष्ठी में सीबीडीटी तथा व्यवसायियों सहित पणधारियों ने भाग लिया था।
अन्तर्राष्ट्रीय भागीदारी योगदान	<ul style="list-style-type: none">• इंटोसाई तथा एसोसाई की भांति साई इण्डिया अन्तर्राष्ट्रीय लेखापरीक्षण संगठनों में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी है। सीएजी इंटोसाई तथा एसोसाई गवर्निंग बोर्डों का सदस्य है। वह आईटी लेखापरीक्षा तथा उसकी ज्ञान विस्तारण समिति के इंटोसाई वर्किंग ग्रुप का अध्यक्ष है।• साई इण्डिया ने साई पाकिस्तान से एसोसाई की अध्यक्षता प्राप्त की।• सीएजी बाह्य लेखापरीक्षकों के यूएन पेनल का सदस्य है तथा यूएन संगठनों (डब्ल्यूएचओ, आईएमओ, यूनडब्ल्यूटीओ, आईओएम, डब्ल्यूएफपी, डब्ल्यूएमयू एवं आईएमएलआई) का बाह्य लेखापरीक्षक भी है।• साई इण्डिया को दो और यूएन संगठनों (डब्ल्यूआईपीओ तथा आईईईए) की लेखापरीक्षा सौंपी गई।• चीन और पोलैंड के साथ द्विपक्षीय संगोष्ठियां आयोजित की गई थी।



अध्याय 1

इस निष्पादन प्रतिवेदन के विषय में

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की संस्था देश की समग्र कानूनी तथा संवैधानिक प्रणाली का भाग है। यह संस्था कार्यक्षेत्र की योजना बनाने और समुचित प्रणालियों एवं मानदण्डों का प्रयोग करने के लिए उत्तरदायी है जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे सार्वजनिक क्रियाकलापों में जवाबदेही और पारदर्शिता को प्रोत्साहित करते हैं।

सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थाओं के अन्तर्राष्ट्रीय मानको (इससाई 20) में यह प्रावधान है कि साई के बारे में सूचना सहज, सुलभ और संगत होनी चाहिए। उनकी कार्य प्रक्रियाएं, गतिविधियाँ और उत्पाद पारदर्शी होने चाहिए। उन्हें मीडिया तथा अन्य इच्छुक पार्टियों के साथ स्पष्ट रूप से संवाद करना चाहिए और सार्वजनिक क्षेत्र में प्रकट होना चाहिए।

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का निष्पादन प्रतिवेदन इससाई 20 और 21¹ में परिकल्पित पारदर्शिता और जवाबदेही के सिद्धांतों को ध्यान में रखकर बनाया गया है।

इस प्रतिवेदन का लक्ष्य निम्नलिखित पर रिपोर्टिंग के द्वारा जवाबदेही अपेक्षाओं को पूरा करना है:

- साई इण्डिया ने अपने लेखापरीक्षा कार्य तथा अपेक्षित रिपोर्टिंग के संबंध में अपनी कानूनी देयताओं को किस सीमा तक पूरा किया है;
- हमारे अपने निष्पादन का मूल्यांकन और उस पर अनुवर्ती कार्रवाई तथा हमारी लेखापरीक्षा का प्रभाव; तथा
- हमारे अपने कार्यों और गतिविधियों तथा साई संसाधनों के प्रयोग सहित लोक निधियों के उपयोग में नियमितता तथा दक्षता।

यह प्रतिवेदन हमारी स्थिति, कार्य, नीति, गतिविधियों, वित्तीय प्रबंधन, प्रचालन और निष्पादन पर विश्वसनीय, स्पष्ट तथा संगत सार्वजनिक रिपोर्टिंग उपलब्ध करा कर पारदर्शिता प्राचलों को भी पूरा करता है। अतः यह निम्नलिखित बातों का प्रयास करता है:

¹ भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थाओं के अन्तर्राष्ट्रीय संगठन (इंटीसाई), जो समूचे विश्व में सरकारी लेखापरीक्षा कार्यालयों (जिन्हें सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थाएं कहा गया है) के लिए छत्र संगठन है, का सदस्य है।



- सीएजी तथा भारतीय लेखा तथा लेखापरीक्षा विभाग की भूमिका एवं कार्यों के बारे में जागरूकता और समझ पैदा करना;
- हमारे ग्राहकों और पणधारियों, आन्तरिक एवं बाह्य, दोनों को प्रमुख परिणामों और उपलब्धियों के बारे में सूचित करना; तथा
- भारतीय लेखा तथा लेखापरीक्षा विभाग के अन्दर और बाहर अनुकरण प्रोत्साहित करने के लिए हमारे संगठन के अन्दर नव-परिवर्तनों के बारे में सूचना का आदान-प्रदान करना।



अध्याय 2

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक एवं भारतीय लेखा तथा लेखापरीक्षा विभाग के बारे में

I हम कौन हैं?

लेखापरीक्षा की धारणा और स्थापना सार्वजनिक वित्तीय प्रशासन में अन्तर्निष्ठ है क्योंकि लोक निधि का प्रबंधन एक विश्वास का प्रतीक है। लेखापरीक्षा अपने आप में एक अन्तिम स्थिति नहीं है बल्कि नियामक प्रणाली का अनिवार्य हिस्सा है जिसका उद्देश्य स्वीकार्य मानदण्डों से विचलन तथा सिद्धांतों के उल्लंघन को व्यक्त करना है। भारत के संविधान ने भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (जिसे अन्तर्राष्ट्रीय संदर्भ में सर्वोच्च लेखापरीक्षा की संस्था के रूप में जाना जाता है) को राष्ट्र के लेखापरीक्षक का उत्तरदायित्व सौंपा है। हम विधानमंडल के प्रति कार्यकारिणी की जवाबदेही को सुनिश्चित करने का एक साधन हैं। भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (सीएजी) और उनके अधीन कार्यरत भारतीय लेखा एवं लेखापरीक्षा विभाग (आईएएडी) से भारतीय सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्था बनती है। राज्यों में सीएजी का प्रतिनिधित्व करने वाले साई के वरिष्ठ अधिकारियों को प्रधान महालेखाकार/महालेखाकार कहा जाता है।

भारतीय शासन प्रणाली में संसद/राज्य विधानमंडल उस बजट का अनुमोदन करता है जो यह निर्धारित करता है कि सरकार करों के माध्यम से धन कैसे, कितना और किन उद्देश्यों के लिए एकत्र करेगी। लोक-निधियों के प्रबंधन में औचित्य, नियमितता और सत्यनिष्ठा के मानदण्ड सुनिश्चित करने के लिए वित्तीय नियमावली भी है। सरकारी विभाग तथा अन्य सार्वजनिक निकायों से इन नियमों का अनुसरण और उनमें निर्धारित ढांचे का पालन करने की अपेक्षा की जाती है, जब वे लोक-धन को प्राप्त और खर्च करते हैं। व्यय करने वाले विभाग अपने व्यय की मात्रा और गुणवत्ता दोनों के लिए संसद और राज्य विधानमण्डलों के प्रति जवाबदेह हैं।

संविधान के अनुच्छेद 148 से 151 में सरकारी विभागों की वैधानिक जवाबदेही को लागू करने के लिए संसद की सहायता करने में सीएजी की भूमिका महत्वपूर्ण है। सीएजी केन्द्र एवं राज्य सरकारों दोनों की लेखापरीक्षा करता है और राज्य सरकारों के लेखाओं का संकलन भी करता है।

नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की भूमिका का संघीय बहुपार्टी प्रजातंत्र में बहुत महत्व है जहां संघ और राज्य दोनों सरकारें बड़ी संख्या में योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी हैं



जिनमें बड़े संसाधन शामिल हैं। अभी हाल ही में देश में सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन में एक मिसाल परिवर्तन हुआ है जिसमें सरकार के तीसरे स्तर अथवा एनजीओज़ को प्रत्यक्ष अन्तरण के माध्यम से निधियों के बड़े अन्तरण और सार्वजनिक सेवाएं प्रदान करने के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी पर बल दिया गया है। सिविल सोसायटी एक प्रमुख पणधारी के रूप में उभर रही है।

II हमारी दूरदृष्टि, उद्देश्य और नैतिक मूल्य

हमारी दूरदृष्टि यह दर्शाती है कि हम कुछ बनने के लिए क्या अभिलाषा करते हैं : हम सार्वभौम लीडर बनने और सार्वजनिक क्षेत्र लेखापरीक्षण और लेखाकरण में राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम पद्धतियों की दीक्षक और स्वतंत्र, विश्वसनीय लोक वित्त और अभिशासन पर संतुलित और समय से रिपोर्टिंग के लिए मान्य होने का प्रयास करते हैं।

हमारा उद्देश्य हमारी वर्तमान भूमिका को प्रस्तुत करता है और आज हम क्या कर रहे हैं, इस का वर्णन करता है: भारत के संविधान द्वारा अधिदेशित उच्च गुणवत्ता लेखापरीक्षण लेखाकरण के माध्यम से जवाबदेही, पारदर्शिता और अच्छे अभिशासन को उन्नत करते हैं और अपने पणधारियों, विधानमण्डल, कार्यकारिणी और आम जनता को स्वतन्त्र आश्वासन मुहैया कराते हैं कि लोक निधियों का दक्षता से अभिप्रेत उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जाता है।

हम जो कुछ करते हैं उसके लिए **हमारे नैतिक मूल्य** उन सभी के लिए दिशा आलोकित करते हैं और हमारे निष्पादन का निर्धारण करने के लिए हमें मानदंड देते हैं: **स्वतंत्रता, वस्तुनिष्ठता, सत्यनिष्ठा, विश्वसनीयता, व्यावसायिक उत्कृष्टता, पारदर्शिता, तथा सकारात्मक दृष्टिकोण।**

III साई की स्वतंत्रता

लिमा घोषणा, इससाई 1 में यह परिकल्पित है कि सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थाओं की स्थापना और उनकी स्वतंत्रता की आवश्यक डिग्री संविधान में निर्धारित की जाएगी; विवरण विधान में निर्धारित किए जा सकते हैं।

भारत के संविधान में एक नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रावधान है। भारत सरकार तथा राज्य सरकारों की कार्यकारी शाखा से सीएजी की स्वतंत्रता संविधान के अनुच्छेद 148 में निहित है, जो सीएजी को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को दी गई कार्यकारी कार्रवाई



से प्रतिरक्षा के लिए अनुप्राणित करता है (जो उसे कार्यकारी और विधान-मंडल से स्वतंत्र बनाता है)। अनुच्छेद 149 और 150 में उसके कर्तव्य और शक्तियां परिभाषित हैं। अनुच्छेद 151 में प्रावधान है कि संघ तथा राज्य सरकारों से संबंधित लेखापरीक्षा प्रतिवेदन भारत के राष्ट्रपति/राज्य के राज्यपाल को प्रस्तुत किए जाते हैं जो उन्हें संसद अथवा राज्य विधान-मंडल के समक्ष रखता है।

संविधान में निम्निलिखित बातों के प्रावधान से सीएजी को स्वतंत्र और निष्पक्ष स्वरूप की लेखापरीक्षा के लिए स्वतंत्र बनाया गया है:

- भारत के राष्ट्रपति द्वारा सीएजी की नियुक्ति;
- सीएजी को हटाने की विशेष प्रक्रिया ;
- सीएजी का वेतन और भत्ते दत्तमत नहीं हैं; तथा
- सेवा-काल की समाप्ति के पश्चात् किसी अन्य सरकारी कार्यालय का पद लेने में अपात्रता।

संविधान में यह भी प्रावधान है कि भारतीय लेखा तथा लेखापरीक्षा विभाग में सेवारत व्यक्तियों की सेवा की शर्तें और नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की प्रशासनिक शक्तियां वे होगी जो राष्ट्रपति द्वारा नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के परामर्श के पश्चात् ही निर्धारित की जाएंगी।

IV हमारा लेखा उत्तरदायित्व²

संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में घोषित सीएजी के कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें (डीपीसी) अधिनियम, 1971 में सीएजी द्वारा लेखाओं के संकलन का प्रावधान है। लेखाओं के संकलन के अतिरिक्त, सीएजी लेखे तैयार करने और उन्हें राष्ट्रपति को राज्यों के राज्यपालों को और जिन संघ-राज्य क्षेत्रों में विधानसभा है के प्रशासकों को प्रस्तुत करने के लिए भी उत्तरदायी है। वह लेखाओं को तैयार करने से संबंधित यथोचित रूप से मांगी गई सूचना भी देता है और सहायता भी प्रदान करता है। कोषागारों और राज्य सरकारों के अन्य अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत सहायक लेखाओं से राज्य सरकारों के लेखाओं का संकलन करते समय हम मात्र यान्त्रिक रूप से आय और व्यय का कुल जोड़ ही नहीं करते बल्कि वित्तीय सलाहकार के रूप में कार्य करते हैं। यदि धन अनुमोदन से अधिक निकाला जा रहा है अथवा व्यय की किसी मद के साथ उनके समर्थित बिल नहीं हैं तो हम शासन को सचेत करते हैं। हम व्यय के ढंग की सक्रिय रूप से मॉनीटरिंग करते हैं और निधियों से अधिक

² डीपीसी अधिनियम, 1971 की धारा 10, 11 एवं 12



व्यय/वापस की गई राशि/व्यपगत राशि पर परामर्श देते हैं। इससे यह सुनिश्चित होता है कि सुव्यवस्थित सुधार समय पर किए जाते हैं जो धोखाधड़ी को रोकने के लिए महत्वपूर्ण सर्किट ब्रेकर के रूप में कार्य करते हैं।

V हमारा लेखापरीक्षा उत्तरदायित्व³

सीएजी के लेखापरीक्षा उत्तरदायित्व को सीएजी के (डीपीसी) अधिनियम, 1971 में परिभाषित किया गया है। अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, सीएजी निम्नलिखित की लेखापरीक्षा एवं रिपोर्ट करने के लिए उत्तरदायी है:

- संघ एवं राज्य सरकारों की समेकित निधि से सभी प्राप्तियाँ और उनसे किया गया व्यय;
- आम बजट से बाहर आपातकाल में सभी वित्तीय लेन-देन (जिसे आकस्मिक निधि कहा जाता है);
- केन्द्र और राज्य स्तरों पर सेवाओं एवं बाध्यताओं के बदले में न्यास जैसे लघु बचतों, जमाओं में सरकार द्वारा धारित जनता के सार्वजनिक धन का अन्तर्वाह और बहिर्वाह (जिसे लोक लेखा कहा जाता है) ;
- किसी भी सरकारी विभाग में रखे गए समस्त व्यापार, विनिर्माण, लाभ एवं हानि लेखे, तुलन-पत्र एवं अन्य सहायक लेखे;
- सभी सरकारी कार्यालयों और विभागों के समस्त भण्डार और स्टॉक लेखे; सभी सरकारी कम्पनियों जैसे ओएनजीसी, सेल आदि के लेखे;
- सभी सांविधिक निगमों और निकायों के लेखे जिनमें सीएजी द्वारा उनके लेखाओं की लेखापरीक्षा का प्रावधान है जैसे भारतीय खाद्य निगम;
- सरकारी धन से पर्याप्त रूप से वित्तपोषित सभी स्वायत्त निकायों और प्राधिकरणों जैसे पंचायती राज संस्था, शहरी स्थानीय निकाय, विश्वविद्यालय, भारतीय प्रबंधन संस्थान, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, तथा राज्य स्वास्थ्य समितियों के लेखे इत्यादि ;
- सीएजी अपनी अनिवार्य वचनबद्धताओं के अलावा विशेष लेखापरीक्षा के लिए भी सहमत हो सकता है। ऐसी लेखापरीक्षा सामान्यतः ऐसे निकायों के लेखाओं से संबंधित होती है जिसमें सार्वजनिक निधियों के पर्याप्त निवेश शामिल हैं और जिन्हें राष्ट्रपति/राज्यपाल के अनुरोध पर अथवा निजी पहल पर स्वीकार किया जाता है; और
- ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर, सीएजी बजट तैयार करने के लिए और स्थानीय निकायों के लेखे रखने के लिए फॉर्मेट निर्धारित करता है। सीएजी को कतिपय राज्यों में स्थानीय निधि लेखापरीक्षकों को तकनीकी मार्गदर्शन और सहायता प्रदान करने का कार्य भी सौंपा गया है।

³ सीएजी के डीपीसी अधिनियम, 1971 की धारा 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20



VI हम किसकी लेखापरीक्षा नहीं करते

सीएजी का उत्तरदायित्व सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों; सरकारी निगमों की लेखापरीक्षा तक विस्तृत नहीं है जिनकी संविधियों में सीएजी द्वारा लेखापरीक्षा का प्रावधान नहीं है जैसे जीवन बीमा निगम और वे कम्पनियाँ जहाँ सरकारी हिस्सेदारी 50 प्रतिशत से कम है।

VII हमारी शक्तियाँ

उपर्युक्त उल्लिखित कर्तव्यों का निर्वाह करने के लिए सीएजी के पास निम्नलिखित शक्तियाँ⁴ हैं:

- अपनी लेखापरीक्षा के अधीन किसी कार्यालय अथवा संगठन का निरीक्षण;
- किसी लेखापरीक्षित इकाई से किन्हीं अभिलेखों, कागज़ों, दस्तावेजों को मँगाना;
- लेखापरीक्षा की सीमा और रीति का निर्णय लेना;
- सभी लेन-देनों की जाँच और कार्यपालिका से प्रश्न करना; और
- जब परिस्थितियाँ ऐसी हों, तो किसी लेखे अथवा लेन-देनों के वर्ग की विस्तृत लेखापरीक्षा के किसी भाग को छोड़ना और ऐसे लेखाओं अथवा लेन-देनों के संबंध में ऐसी सीमित जाँच करना जैसा कि वह अवधारित करें।

शक्तियों का प्रत्यायोजन: सीएजी डीपीसी अधिनियम अथवा किसी अन्य विधि के प्रावधानों के अन्तर्गत अपने विभाग के किसी अधिकारी को अपनी शक्तियाँ प्रत्यायोजित कर सकता है, इस अपवाद को छोड़कर कि जब सीएजी छुट्टी अथवा अन्य किसी कारण से अनुपस्थित हो तो कोई अधिकारी उसकी ओर से राष्ट्रपति अथवा राज्यपाल को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं कर सकता।

विनियमों को बनाने के लिए शक्तियाँ: डीपीसी, अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिए जहाँ तक कि वे लेखापरीक्षा के कार्यक्षेत्र और सीमा से संबंधित हैं, जिनमें सरकारी विभागों के मार्गदर्शन, सरकारी लेखाकरण के सामान्य सिद्धान्तों और प्राप्तियों एवं व्यय की लेखापरीक्षा के संबंध में विस्तृत सिद्धान्तों को निर्धारित किया गया है।

2007 में, सीएजी के (डीपीसी) अधिनियम, की धारा 23 के अन्तर्गत हमने "लेखा एवं लेखापरीक्षा विनियमावली" जारी की जिसमें साई, इण्डिया के लेखापरीक्षा और लेखांकन उत्तरदायित्व के कार्यक्षेत्र, तरीके और सीमा को विस्तृत रूप में परिभाषित किया गया है।

⁴ सीएजी के डीपीसी अधिनियम, 1971 की धारा 18, 21, 22, 23 एवं 24



नियम बनाने की शक्तियाँ: भारत के सीएजी के पास संघ और राज्य सरकार के विभागों और कोषागारों द्वारा लेखाओं के रखरखाव से संबंधित नियम बनाने की शक्तियाँ हैं।

VIII हम विभिन्न प्रकार की लेखापरीक्षा करते हैं

डीपीसी अधिनियम, के अनुसार हमारे लेखापरीक्षा उत्तरदायित्व में उन इकाईयों का उल्लेख किया गया है जो संघ और राज्य स्तर पर हमारी लेखापरीक्षा सीमा के अन्दर आते हैं। तथापि, इन इकाईयों की लेखापरीक्षा करने में सीएजी द्वारा अपनाए जाने वाला लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र और सीमा, कार्यप्रणाली एवं पहुँच में सीएजी का ही विवेकाधार है। हमारे द्वारा लेखापरीक्षा की जाने वाली इकाईयों में हम तीन प्रकार की लेखापरीक्षा करते हैं।



VIII क अनुपालन लेखापरीक्षा

अनुपालन लेखापरीक्षा में निम्नलिखित के अनुपालन के लिए सरकार के व्यय, प्राप्तियों, परिसम्पत्तियों और देयताओं से सम्बन्धित संव्यवहारों की लेखापरीक्षा की जाती है:

- भारत के संविधान और लागू कानून के प्रावधान; और
- सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी नियम, विनियम, आदेश एवं अनुदेश या तो भारत के संविधान और विधि के प्रावधानों के अनुपालन में अथवा उच्च प्राधिकारी द्वारा औपचारिक रूप से प्रत्यायोजित शक्तियों के अनुसार हों।



अनुपालन लेखापरीक्षा में वैधता, पर्याप्तता, पारदर्शिता, औचित्य, विवेक और प्रभावकारिता के लिए नियमों, विनियमों, आदेशों और अनुदेशों की जाँच-पड़ताल भी शामिल है अर्थात् क्या वे निम्नलिखित के अनुसार हैं :

- भारत के संविधान के प्रावधान और विधि (वैधानिकता) के अनुसार;
- अपशिष्ट, दुरुपयोग, कुप्रबन्धन, गलतियाँ, धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं (पर्याप्तता) के विरुद्ध पर्याप्त रक्षा के साथ सरकारी प्राप्तियों, व्ययों, परिसम्पत्तियों और देयताओं के उभर पर्याप्त रूप से व्यापक और प्रभावी नियंत्रण सुनिश्चित करना;
- अस्पष्टता से स्पष्ट रूप से मुक्त और निर्णय लेने (पारदर्शिता) में सत्यता के अनुपालन को बढ़ावा देना;
- प्रभावी और अभिप्रेत उद्देश्य और लक्ष्य (प्रभावकारिता) प्राप्त करना।

VIII ख वित्तीय लेखापरीक्षा

वित्तीय लेखापरीक्षा वित्तीय विवरणों के सैट पर लेखापरीक्षा राय व्यक्त करने के हेतु मूल रूप से सम्बन्धित है। इसमें शामिल है:

- वित्तीय अभिलेखों की जाँच-पड़ताल और मूल्यांकन तथा वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करना;
- लागू संविधियों और विनियमों जो लेखाकरण अभिलेखों की शुद्धता और पूर्णता को प्रभावित करते हैं, के अनुपालन के मूल्यांकन सहित वित्तीय प्रणालियों और संव्यवहारों की लेखापरीक्षा; और
- आंतरिक नियंत्रण और आंतरिक लेखापरीक्षा कार्य की लेखापरीक्षा जो परिसम्पत्तियों और संसाधनों की रक्षा में सहायता करते हैं और लेखाकरण अभिलेखों की शुद्धता और पूर्णता का आश्वासन सुनिश्चित करते हैं।

VIII ग निष्पादन लेखापरीक्षा

निष्पादन लेखापरीक्षा उस सीमा तक एक स्वतंत्र निर्धारण अथवा जाँच-पड़ताल है जिस तक संगठन, कार्यक्रम और योजना का प्रचालन मितव्ययी, दक्ष और प्रभावी रूप से होता है। निष्पादन लेखापरीक्षा निर्धारण करती है-

- **मितव्ययिता** - मितव्ययिता उपयुक्त गुणवत्ता वाले किसी कार्यकलाप के लिए प्रयुक्त संसाधन की लागत को न्यूनतम करना है। मितव्ययिता इनपुटों और प्रक्रियाओं की लागत पर फ़ोकस प्रस्तुत करती है।
- **दक्षता** - दक्षता माल, सेवाओं अथवा अन्य परिणामों के अनुसार आउटपुट और उनके उत्पादन के लिए प्रयुक्त संसाधनों के बीच संबंध है। दक्षता वहाँ विद्यमान है

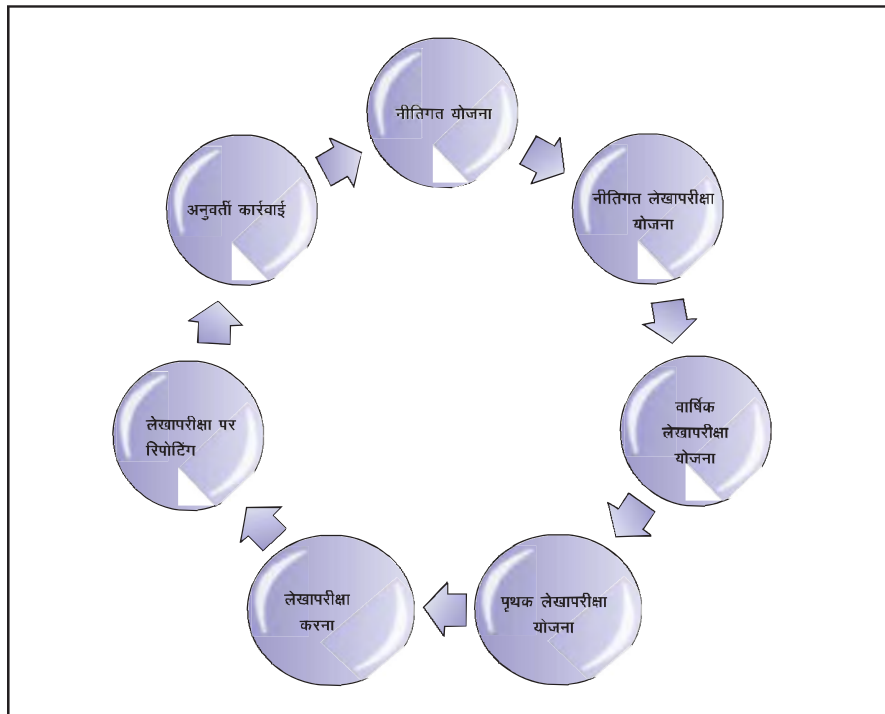


जहाँ वित्तीय, मानव, प्रत्यक्ष और सूचना संसाधन का उपयोग ऐसा है कि आउटपुट को संसाधन इनपुट के दिए गए सैट के लिए अधिकतम किया जाता है अथवा इनपुट को आउटपुट की दी गई मात्रा और गुणवत्ता के लिए न्यूनतम किया जाता है।

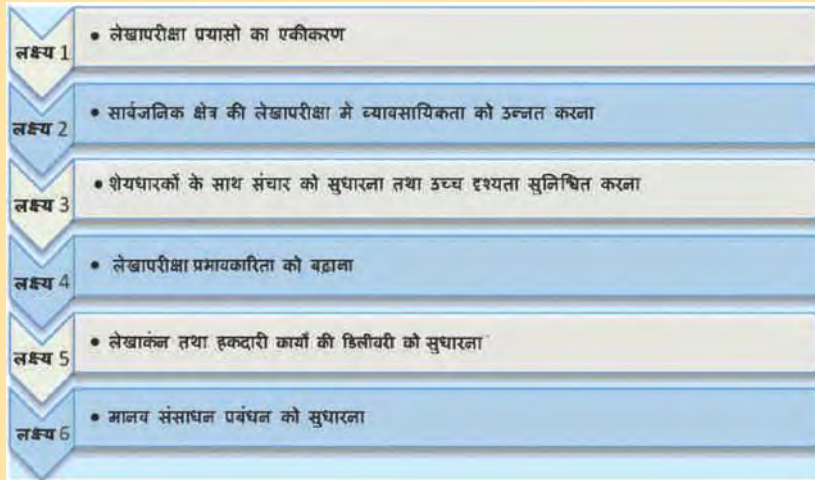
- **प्रभावकारिता** - प्रभावकारिता उस सीमा तक है जहां तक उद्देश्य प्राप्त किए जाते हैं और कार्यकलाप के अभिप्रेत प्रभाव और वास्तविक प्रभाव के बीच संबंध है। प्रभावकारिता उस मुद्दे का उल्लेख करती है कि क्या योजना, कार्यक्रम अथवा संगठन ने अपने उद्देश्य प्राप्त किए हैं।

IX हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रिया

साई स्तर और पृथक लेखापरीक्षा कार्यालय स्तर पर लेखापरीक्षा प्रक्रिया इन चरणों को अपनाती है।



नीतिगत योजना भारतीय लेखा तथा लेखापरीक्षा विभाग में सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर लम्बी अवधि की योजना के लिए व्यापक ढांचा प्रदान करती है।

**नीतिगत लेखापरीक्षा योजना 2020 मे निर्धारित उच्च स्तरीय नीतिगत लक्ष्य**

नीतिगत लेखापरीक्षा योजनाओं का विकास उस नीतिगत निदेश के अनुसार किया जाता है जिसे सीएजी लेखापरीक्षा अधिदेश, जोखिम निर्धारण, मुद्दे का महत्व और उपलब्ध संसाधन के अनुसरण के लिए निर्णय लेता है। इन योजनाओं में वे लेखापरीक्षा शामिल हैं जिन्हें उपरोक्त वर्णित तीनों कार्यप्रणालियों के अन्तर्गत किया जाना है।

वार्षिक लेखापरीक्षा योजनाओं का विकास समग्र नीतिगत लेखापरीक्षा योजना के आधार पर सीएजी के प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा किया जाता है। इस योजना में वार्षिक लेखापरीक्षा चक्र के दौरान की जाने वाली योजनाबद्ध प्रत्येक लेखापरीक्षाओं का विस्तृत उल्लेख है। योजना लेखापरीक्षा अधिदेश, महत्व और जोखिम बोध द्वारा यथा अवधारित लेखापरीक्षा की आवश्यकता पर आधारित है। योजना को लेखापरीक्षा करने के लिए उपलब्ध संसाधन, मानव एवं वित्त दोनों द्वारा भी परिभाषित किया गया है।

हम नियोजित किए जाने वाले दल, आवंटित समय और लेखापरीक्षा की वास्तविक तारीखों का वर्णन करते हुए एक **विस्तृत लेखापरीक्षा कार्यक्रम** बनाते हैं। **लेखापरीक्षा दल** अपने लेखापरीक्षा निष्कर्षों के समर्थन में लेखापरीक्षा साक्ष्य के संग्रहण के लिए विभिन्न लेखापरीक्षा तकनीकों का उपयोग करके निर्धारित लेखापरीक्षा प्रतिमानों के आधार पर **लेखापरीक्षा करते हैं**। उनका मार्गदर्शन साईं इण्डिया के लेखापरीक्षा मानक द्वारा किया जाता है तथा समय-समय पर अन्य अनुदेश जारी किए जाते हैं।

स्वतंत्र लेखापरीक्षा आश्वासन एवं सार्वजनिक प्रबंधन के द्वारा जवाबदेही बढ़ाना



लेखापरीक्षा के समापन पर **लेखापरीक्षित इकाई को निरीक्षण रिपोर्ट के रूप में जानी जाने वाली एक रिपोर्ट जारी की जाती है।** उच्च मूल्य वाले लेखापरीक्षा निष्कर्ष जिनका महत्वपूर्ण प्रभाव है, आगे परिष्कृत किए जाते हैं और **संघ तथा राज्य स्तर पर प्रकाशित लेखापरीक्षा रिपोर्टों में शामिल करने के लिए उनकी जांच की जाती है।**

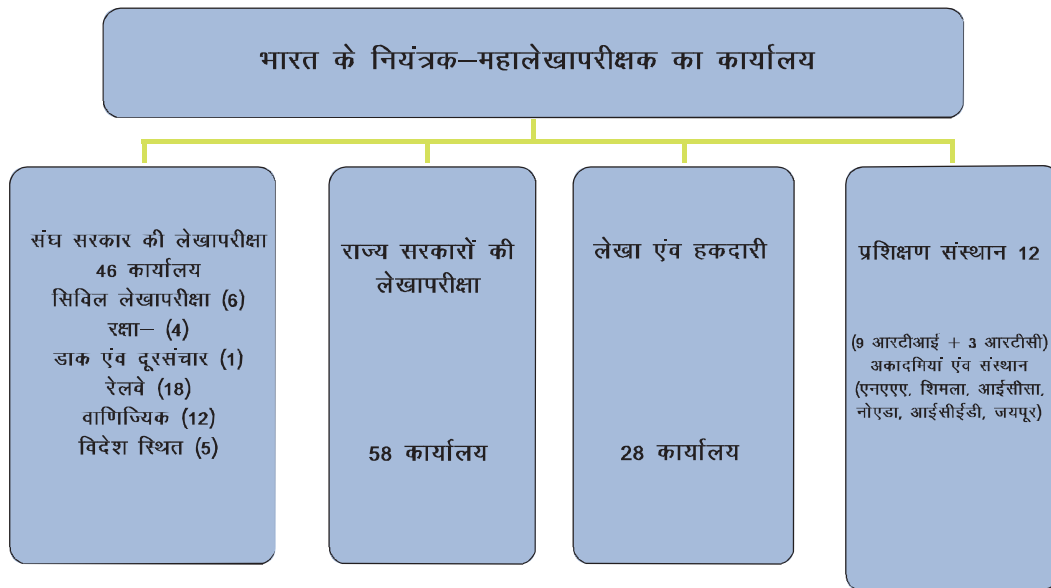
लेखापरीक्षित इकाइयों एवं मंत्रालयों से रिपोर्टों में **बतायी गई त्रुटियों और की गई सिफारिशों के आधार पर कार्रवाई** करने की आशा की जाती है और उनसे लेखापरीक्षा रिपोर्ट में मुद्रित लेखापरीक्षा आपत्तियों पर की गई कार्रवाई टिप्पणियाँ भेजना अपेक्षित है। संघ और राज्य स्तरों पर सीएजी द्वारा जारी लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर सम्बन्धित लोक लेखा समिति (पीएसी) और लोक उपक्रम समिति (कोपू) की बैठकों में चर्चा की जाती है। लेखापरीक्षा आपत्तियों के अनुपालन तथा सिफारिशों की जाँच-पड़ताल की जाती है और उन्हें बाद की लेखापरीक्षाओं के दौरान सूचित किया जाता है।

लेखापरीक्षा समिति, लेखापरीक्षा की अनुवर्ती कार्रवाई के लिए नियोजित एक अन्य तंत्र है। लेखापरीक्षा समितियों जिनमें लेखापरीक्षित इकाई और आईएएडी के अधिकारी सम्मिलित होते हैं, का गठन संघ और राज्य स्तर पर अनुवर्ती प्रक्रिया की निगरानी करने, अनुबोध अंतराल को कम करने एवं इसके अतिरिक्त मुख्यतः निरीक्षण प्रतिवेदनों से संबंधित बकाया लेखापरीक्षा आपत्तियों पर चर्चा करने एवं उनका निपटान करने के अतिरिक्त संचार के स्तर को बढ़ाने के लिए किया जाता है।

नीतिगत लेखापरीक्षा योजना 2020 में निर्धारित छः उच्च स्तरीय नीतिगत लक्ष्य निम्नलिखित हैं:

X हमारा संगठन

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक भारतीय लेखा तथा लेखापरीक्षा विभाग के माध्यम से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं। विभाग में लगभग 44,872 कर्मचारी हैं। नई दिल्ली स्थित सीएजी कार्यालय आईएएडी का मुख्यालय है। इसकी सहायता के लिए पूरे देश में 142 क्षेत्रीय कार्यालय और विदेश में पाँच कार्यालय स्थित हैं।



XI सीएजी कार्यालय

नई दिल्ली में स्थित भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का कार्यालय भारतीय लेखा तथा लेखापरीक्षा विभाग की लेखापरीक्षा, लेखा एवं हकदारी कार्यों से सम्बन्धित सभी कार्यकलापों का निर्देश, निगरानी और नियंत्रण करता है। यह साई इंडिया की दीर्घकालिक संकल्पना, मिशन और लक्ष्य निर्धारित करता है। यह नीतियों, लेखापरीक्षा मानकों और प्रणालियों को निर्धारित करता है और सभी लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का अंतिम प्रक्रियाकरण और अनुमोदन करता है। इन उत्तरदायित्वों को पूरा करने के लिए इसको कार्यात्मक आधार पर संगठित किया गया है और लेखा एवं हकदारी, सिविल लेखापरीक्षा, रेलवे लेखापरीक्षा, वाणिज्यिक लेखापरीक्षा, राजस्व लेखापरीक्षा, कार्मिक प्रशासन, प्रशिक्षण, संचार, संगठन और पद्धति, क्षेत्रीय कार्यालयों के निरीक्षण, इलेक्ट्रॉनिक डॉटा प्रोसेसिंग (ईडीपी) इत्यादि के कार्य करने वाले पृथक डिविजन हैं। इन डिविजनों के प्रमुख उप/अपर उप नियंत्रक-महालेखापरीक्षक हैं तथा सीएजी को सीधे रिपोर्ट करते हैं। उनकी सहायता महानिदेशक, प्रधान निदेशक और निदेशक करते हैं जो सभी वरिष्ठ स्तर के प्रबन्धक हैं। सीएजी कार्यालय का संगठनात्मक चार्ट अनुबंध 1 में दिया गया है।

**XII आईएएडी में क्षेत्रीय कार्यालय**

सीएजी कार्यालय के कार्यात्मक विंग की सहायता पूरे देश के क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा की जाती है। ये कार्यालय वास्तव में सीएजी के लेखा एवं लेखापरीक्षा के उत्तरदायित्व को पूरा करने के लिए जिम्मेदार हैं। विभाग के क्षेत्रीय कार्यालयों की चर्चा नीचे की गई है:

- प्रत्येक राज्य में प्रधान महालेखाकार/महालेखाकार (लेखापरीक्षा) कार्यालय राज्य सरकार की सभी प्राप्तिओं और व्यय की लेखापरीक्षा, राज्य में सरकारी कंपनियों की लेखापरीक्षा, निगमों और स्वायत्त निकायों तथा स्थानीय निकायों की लेखापरीक्षा के लिए जिम्मेदार हैं। इसके अतिरिक्त ये कार्यालय स्थानीय निकायों के लिए तकनीकी मार्गदर्शन और सहायता के कार्य भी करते हैं। भारत में ऐसे 58 लेखापरीक्षा कार्यालय हैं।

- लेखा एवं हकदारी (ले. एवं हक) कार्यालय (28) जिनके प्रमुख प्रधान महालेखाकार/महालेखाकार (ले. एवं हक) हैं राज्य सरकार के लेखाओं के रख-रखाव और उनके कर्मचारियों के जीपीएफ एवं पेंशन को प्राधिकृत करने के कार्य में लगे हैं।

- महानिदेशक/प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा (29) के कार्यालय संघ सरकार के कार्यकलापों की लेखापरीक्षा के लिए जिम्मेदार हैं जिनमें सिविल मंत्रालय और विभाग, रक्षा, भारतीय रेल और डाक एवं दूरसंचार शामिल हैं।

- विदेश स्थित लेखापरीक्षा कार्यालय जिनके प्रमुख वाशिंगटन, लंदन और क्वालालम्पुर लेखापरीक्षा दूतावासों में और प्रत्येक क्षेत्र में अन्य सरकारी स्थापनाओं में प्रधान निदेशक हैं। रोम में पीडीए कार्यालय विश्व खाद्य कार्यक्रम की लेखापरीक्षा के लिए जिम्मेदार है तथा जिनेवा में पीडीए कार्यालय विश्व स्वास्थ्य संगठन, यूएन एजेन्सियों जिनके लिए साई इंडिया एक बाह्य लेखापरीक्षक है, की लेखापरीक्षा करता है।

- प्रधान निदेशक वाणिज्यिक लेखापरीक्षा एवं पदेन सदस्य लेखापरीक्षा बोर्ड (एमएबी) के कार्यालय (12) केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (पीएसयूज़) की लेखापरीक्षा के लिए

श्रेणी	मुख्य	शाखा
लेखापरीक्षा कार्यालय-(संघ सरकार)		
सिविल	6	4
रक्षा	4	13
डाक एवं दूरसंचार	1	12
रेलवे	18	3
वाणिज्यिक	12	15
विदेश स्थित	5	0
कुल-लेखापरीक्षा कार्यालय (संघ सरकार)	46	47
राज्य लेखाओं की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षा कार्यालय	58	12
राज्य लेखा एवं हकदारी कार्यालय	28	7
क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थान/क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्र एनएएए, शिमला आई सी आई एस ए, आई सी ई डी	15	0
सकल जोड़	147	66



जिम्मेदार हैं। वे सांविधिक निगमों के वार्षिक लेखाओं को प्रमाणित करते हैं और सरकारी कम्पनियों की अनुपूरक लेखापरीक्षा करते हैं। वे पीएसयूज़ में अनुपालन और निष्पादन लेखापरीक्षा भी करते हैं।

- तीन राष्ट्रीय स्तर की संस्थाएं, नौ क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थाएं तथा तीन क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्र आईएएडी में अधिकारियों एवं कर्मचारियों के क्षमता निर्माण में लगे हैं। (कार्यालयों की विस्तृत सूची इस रिपोर्ट के अनुबंध II में है।)

XIII लेखापरीक्षा कार्यालयों की पुनः संरचना

XXV¹ महालेखाकार सम्मेलन की सिफारिशों को आगे बढ़ाते हुए नीतिगत योजना 2020 ने लेखापरीक्षा प्रयासों को एकीकरण सुविधा देने तथा सरकार के लिए एक क्षेत्र आधारित दृष्टिकोण के प्रस्तुतीकरण हेतु एक साधन के रूप में संगठनात्मक पुनः संरचना की सिफारिश की। फरवरी/मार्च 2012 में अधिसूचित लेखापरीक्षा कार्यालयों की पुनः संरचना को 2 अप्रैल 2012 से प्रभावी किया जाना था।

पुनः संरचना के अन्तर्निहित सिद्धान्त थे:

क्षेत्र आधारित (सेक्टरल) संबंधित एकीकरण: विभाग/मंत्रालय के लिए एक कार्य आधारित लेखापरीक्षा पद्धति में तथा मुख्यालयों के साथ-साथ क्षेत्रीय कार्यालयों दोनों पर एक क्षेत्र आधारित पद्धति में परिवर्तन करना।

लम्बवत् एकीकरण: मंत्रालय/विभाग, सरकारी कार्यालयों, स्वायत्त निकायों तथा मंत्रालय/विभाग के अधिकार के तहत सार्वजनिक क्षेत्र की लेखापरीक्षा, संघ तथा राज्य सरकारों दोनों के मामलों में एक एकल कार्यालय (अथवा कार्यालयों के समूह) द्वारा की जानी है।

राज्य लेखापरीक्षा से संघ लेखापरीक्षा का पृथक्करण: भारत सरकार से संबंधित सभी लेखापरीक्षा गतिविधियाँ डिप्टी सीएजी (डीएआई) के प्रभाराधीन तथा सभी राज्य स्तर के लेखापरीक्षा कार्य क्षेत्रीय पर्यवेक्षण के उत्तरदायित्व के साथ अपर उप-नियंत्रक महालेखापरीक्षक (एडीएआई) के प्रभाराधीन हैं। राज्य को हस्तांतरित की जाने वाली केन्द्र सरकार की निधियों और राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा व्यय की जाने वाली निधियों की लेखापरीक्षा, केवल राज्य लेखापरीक्षा कार्यालयों द्वारा जारी रहेगी।



न्यूनतम रिपोर्टिंग लाइन: राज्य लेखापरीक्षा कार्यालयों के लिए विभिन्न रिपोर्टिंग पद्धति को बदलने हेतु एक राज्य में सभी लेखापरीक्षा गतिविधियों का पर्यवेक्षण एक एडीएआई के अधीन एकीकृत किया गया अर्थात् प्रत्येक म.ले. (लेखापरीक्षा) के लिए एक एडीएआई है।

XIV पुनः संरचना के प्रमुख लक्षण

XIV क संघ सरकार की लेखापरीक्षा

- संघ सरकार के संबंध में मंत्रालयों/पीएसयूज/स्वायत्त निकायों के लम्बवत् (वर्टिकल) एकीकरण को सुनिश्चित करने के लिए पुनः संरचना को मुख्यालयों तथा क्षेत्रीय कार्यालयों दोनों के स्तर पर क्रियान्वित किया गया है। मुख्यालय स्तर पर संघ सरकार के संबंध में क्षेत्रीय (सेक्टरल) रूपरेखा की समीक्षा नीचे की गई है।

	क्षेत्रीय (सेक्टरल)
डीएआई (वाणिज्यिक)	आर्थिक तथा अवसंरचना मंत्रालय
डीएआई (रिपोर्ट सेन्ट्रल एवं स्थानीय निकाय)	सामाजिक एवं सामान्य सेवा मंत्रालय तथा स्थानीय निकाय
डीएआई (सरकारी लेखे तथा केन्द्रीय राजस्व लेखापरीक्षा)	सरकारी लेखे तथा केन्द्रीय प्राप्तियां
डीएआई (रक्षा, संचार एवं रेलवे)	रक्षा, संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी तथा रेलवे

- केन्द्रीय मंत्रालयों की लेखापरीक्षा में लगे क्षेत्रीय कार्यालय अर्थात् महानिदेशक लेखापरीक्षा के कार्यालयों (केन्द्रीय व्यय), प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा (आर्थिक सेवा मंत्रालय), प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा (वैज्ञानिक विभाग), महानिदेशक लेखापरीक्षा, डाक एवं दूरसंचार, प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा (रेलवे), महानिदेशक/प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा, रक्षा तथा वाणिज्य विभाग के प्रधान निदेशक को भी क्षेत्र (सेक्टर) की रूपरेखा दी गई है।
- केन्द्रीय सरकार इकाईयों की प्राप्तियों तथा व्यय की लेखापरीक्षा हेतु नई दिल्ली, मुम्बई तथा कोलकाता में तीन मौजूदा कार्यालयों के अतिरिक्त विभिन्न शहरों में विद्यमान आठ शाखा कार्यालयों के साथ संलग्न, 2 अप्रैल 2012 से प्रभावी छह अन्य कार्यालय अहमदाबाद, बेंगलुरु, चंडीगढ़, चेन्नई, हैदराबाद तथा लखनऊ में खुलेंगे। ये नौ कार्यालय तथा आठ शाखा कार्यालय केन्द्रीय सरकार की प्राप्तियों तथा व्यय की लेखापरीक्षा का कार्य करेंगे।

**XIV ख राज्य सरकार की लेखापरीक्षा**

- राज्यों में सभी लेखापरीक्षा कार्य अर्थात् सिविल लेखापरीक्षा, वाणिज्य लेखापरीक्षा, प्राप्ति लेखापरीक्षा, राज्य स्वायत्त निकाय की लेखापरीक्षा तथा स्थानीय निकायों की लेखापरीक्षा, एडीएआईज द्वारा उनके क्षेत्रीय प्रभार के तहत समन्वित तथा पर्यवेक्षित किए जाते हैं। एडीएआईज के बीच राज्यों का वितरण नीचे दिया गया है:

एडीएआई - सीआर	एडीएआई - ईआर	एडीएआई - एनईआर	एडीएआई - एनआर	एडीएआई - डब्ल्यूआर
बिहार	आंध्र प्रदेश	अरुणाचल प्रदेश	दिल्ली	गोवा
छत्तीसगढ़	ओडिशा	असम	हरियाणा	गुजरात
झारखण्ड	पुद्दुचेरी	मणिपुर	हिमाचल प्रदेश	कर्नाटक
मध्य प्रदेश	तमिलनाडु	मेघालय	जम्मू और कश्मीर	केरल
उत्तर प्रदेश	पश्चिम बंगाल	मिजोरम	पंजाब	महाराष्ट्र
		नागालैंड	उत्तराखण्ड	राजस्थान
		सिक्किम		
		त्रिपुरा		

- 2 अप्रैल 2012 से कार्यान्वित, 10 राज्यों⁵ में दो राज्य लेखापरीक्षा कार्यालय अर्थात् प्रधान महालेखाकार (सामाजिक तथा सामान्य विभाग) तथा प्रधान महालेखाकार (आर्थिक एवं राजस्व विभाग) होंगे। महाराष्ट्र के मामले में, प्रधान महालेखाकारों के बीच क्षेत्राधिकार का आवंटन भौगोलिक आधार पर है। अन्य राज्यों के मामलों में, जहां पर केवल एक महालेखाकार कार्यालय है वहाँ ग्रुप अधिकारियों के बीच अधिकार का आवंटन क्षेत्र (सेक्टर) के आधार पर किया गया था।
- स्थानीय निकाय लेखापरीक्षा के कार्यालयों का प्रधान महालेखाकार (सामान्य तथा सामाजिक क्षेत्र लेखापरीक्षा) से संबंधित कार्यालयों के साथ विलय, 2 अप्रैल 2012 से प्रभावी कर दिया जाएगा।
- केन्द्र प्रायोजित योजनाओं की लेखापरीक्षा जहां राज्य एजेंसियां ही क्रियान्वयन एजेंसियां हैं, को राज्य महालेखाकार द्वारा किए जाने के लिए जारी रखा जाएगा।

⁵ आन्ध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल

**XV लेखापरीक्षा सलाहकार बोर्ड**

लेखापरीक्षा से सम्बन्धित विषयों में सीएजी को सलाह देने और निष्पादन में सुधार के लिए सुझाव देने और सीएजी के संवैधानिक और संविधिक अधिदेश के ढांचे के अन्तर्गत लेखापरीक्षा पर ध्यान केन्द्रित करने के लिए सीएजी की अध्यक्षता में एक लेखापरीक्षा सलाहकार बोर्ड का गठन किया गया है। इसमें विविध क्षेत्रों से उच्च शिक्षाविद तथा पेशेवर शामिल हैं। यह बाहरी सलाह के लिए हमारी स्पष्टता का प्रतिबिम्ब है तथा अन्तर्राष्ट्रीय पीअर रिव्यू दल द्वारा एक उत्तम प्रयास के रूप में पहचाना गया है। बोर्ड के सदस्य अवैतनिक क्षमता में कार्य करते हैं। बोर्ड में विभिन्न क्षेत्रों में प्रतिष्ठित व्यक्ति और विभाग के डीएआई होते हैं। 2011-12 के दो वर्ष के लिए बोर्ड का गठन निम्न प्रकार से है:

श्री विनोद राय भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक	पदेन अध्यक्ष
सुश्री शैलजा चंद्रा भूतपूर्व प्रमुख सचिव, दिल्ली	सदस्य
श्री टी. सेथूमाधवन सार्वजनिक वित्त सलाहकार	सदस्य
श्री प्रताप भानू महता अध्यक्ष, नीति अनुसंधान केन्द्र, नई दिल्ली	सदस्य
डॉ. ए.के. शिव कुमार सलाहकार, यूनिसेफ, नई दिल्ली	सदस्य
सुश्री रोहिणी नीलेकणी अध्यक्ष, अरघ्यम	सदस्य
सुश्री कल्पना मोरपारिया प्रमुख कार्यकारी अधिकारी, जेपी मोरगन इण्डिया प्रा. लि., मुम्बई	सदस्य
सुश्री सुनीता नारायण महानिदेशक, विज्ञान तथा पर्यावरण केन्द्र, नई दिल्ली	सदस्य
श्री के. वी. कामथ अध्यक्ष, आईसीआईसीआई बैंक, मुम्बई	सदस्य
सुश्री शबाना आजमी सामाजिक कार्यकर्ता	सदस्य
श्री प्रदीप कुमार केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त	सदस्य
सीए सुबोध कुमार अग्रवाल अध्यक्ष, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान	सदस्य
उप नियंत्रक - महालेखापरीक्षक	पदेन सदस्य
उप नियंत्रक - महालेखापरीक्षक (रिपोर्ट सेन्ट्रल)	पदेन सदस्य

स्वतंत्र लेखापरीक्षा आश्वासन एवं सार्वजनिक प्रबंधन के द्वारा जवाबदेही बढ़ाना



उप नियंत्रक - महालेखापरीक्षक (वाणिज्यिक)	पदेन सदस्य
उप नियंत्रक - महालेखापरीक्षक (सरकारी लेखा एवं केन्द्रीय राजस्व लेखापरीक्षा तथा अध्यक्ष गसब)	पदेन सदस्य
उप नियंत्रक - महालेखापरीक्षक (प्राप्ति लेखापरीक्षा)	पदेन सदस्य
प्रधान निदेशक (एसएमयू)	बोर्ड के पदेन सचिव

लेखापरीक्षा सलाहकार बोर्ड की 2011-12 में दो बैठकें हुई थीं, एक 17 अगस्त 2011 को और दूसरी 12 जनवरी 2012 को। बोर्ड ने क्षमता निर्माण तथा लेखापरीक्षित इकाईओं में एमआईएस उत्पन्न होने, महात्मा गाँधी ग्राम रोजगार गारंटी योजना, बेनाम लेन-देन की लेखापरीक्षा आदि से संबंधित मामलों को उठाया।

राज्यों में लेखापरीक्षा सलाहकार बोर्ड का गठन प्रधान महालेखाकार/महालेखाकार द्वारा किया जाता है। अन्य महालेखाकार बोर्ड के सदस्य हैं। नामित सदस्य प्रख्यात शिक्षाविदों, पेशेवरों तथा सेवानिवृत्त सिविल सेवकों में से लिए जाते हैं। लेखापरीक्षा सलाहकार बोर्ड सभी राज्यों में बना दिए गए हैं। बोर्ड का पुनर्गठन हर दो वर्ष में किया जाता है।



अध्याय 3

महत्वपूर्ण परिणाम एवं उपलब्धियाँ - लेखापरीक्षा

भारतीय लेखा एवं लेखापरीक्षा विभाग (आईएएण्डएडी) में हम सरकारी व सार्वजनिक क्षेत्र में वित्तीय और निष्पादन प्रबंधन पर एक स्वतंत्र लेखापरीक्षा आश्वासन प्रदान करके जवाबदेही, पारदर्शिता तथा सुशासन को बढ़ावा देने का प्रयास करते हैं। आईएएण्डएडी लेखापरीक्षण परिणामों में सुधार लाने हेतु निर्धारित लेखापरीक्षण मानकों और दिशा-निर्देशों पर आधारित नवीन लेखापरीक्षण प्रथाओं के रूप में लगातार नई पहल करता है। विभाग के महत्वपूर्ण कार्यात्मक क्षेत्र, केन्द्र सरकार, राज्य सरकारों, स्थानीय निकायों, स्वायत्त निकायों, सार्वजनिक क्षेत्र निकायों इत्यादि के अधीन विभिन्न लेखापरीक्षित निकायों की लेखापरीक्षा करना है; सूचना प्रतिवेदन (आईआर), लेखापरीक्षा प्रतिवेदन और लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र, लेखापरीक्षा प्रक्रिया के मुख्य परिणाम हैं। इन उत्पादों की गुणवत्ता और घटनाक्रम सुनिश्चित करना आईएएण्डएडी का एक महत्वपूर्ण परिणाम क्षेत्र है।

I हमारी नवीनता एवं पहल

I क केन्द्रीय प्राप्ति लेखापरीक्षा (प्रत्यक्ष कर):

राजस्व लेखापरीक्षा प्रत्यक्ष कर का दृष्टिकोण मूलरूप से आयकर विभाग द्वारा संपन्न निर्धारण संवीक्षा की लेखापरीक्षा पर केन्द्रित था। प्रत्येक निर्धारण की इसके विनियामक अर्थात् मौजूदा कर संविधियों के प्रति जाँच की गई। चूंकि ये निर्धारण, उपायुक्तों/सहायक आयुक्तों/आयकर अधिकारियों के स्तर पर निर्धारण अधिकारियों द्वारा संपन्न किए गए थे, अतः हमारी मूल लेखापरीक्षा ईकाई निर्धारण अधिकारी था। कर प्रशासन और मूलभूत कार्यों के वृहद् पैमाने पर कम्प्यूटरीकरण में लाए गये बदलाव को देखते हुए, जैसे संक्षिप्त निर्धारण, प्रत्यक्ष कर की लेखापरीक्षा के दृष्टिकोण से आशोधन की आवश्यकता महसूस की गई। विभाग केन्द्रस्थ लेखापरीक्षा (डीसीए) को अंतरण मूलरूप से एक प्रकार का बदलाव है जिसमें हम लेखापरीक्षा योजना, निष्पादन और रिपोर्टिंग पर ध्यान देते हैं। डीसीए का मूल उद्देश्य आयकर विभाग के क्रियाकलापों पर समग्र रूप से केन्द्रित करना तथा आंतरिक नियंत्रण के स्तरों और उनके प्रति विभाग की निष्ठा की समीक्षा करना है। जनवरी-मार्च 2012 के दौरान, क्षेत्रीय कार्यालयों ने एक कमिशनरी की विभाग केंद्रित लेखापरीक्षा का प्रारम्भिक अध्ययन किया। क्षेत्रीय कार्यालयों से अध्ययन रिपोर्ट तथा फरवरी 2012 में आयोजित जोनल कार्यशालाओं में विचार-विमर्श के आधार पर लेखापरीक्षा जाँच के साथ-साथ विभाग केन्द्रित लेखापरीक्षा के लिए दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए थे।

स्वतंत्र लेखापरीक्षा आश्वासन एवं सार्वजनिक प्रबंधन के द्वारा जवाबदेही बढ़ाना



I ख रेलवे लेखापरीक्षा

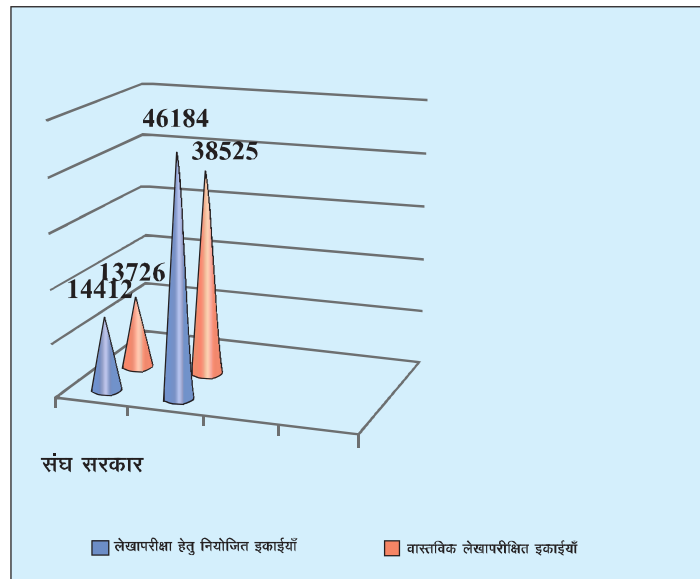
भारतीय रेल भारत सरकार का एक सबसे बड़ा विभाग है जिसका अपना एक स्वतंत्र बजट है। रेलवे वित्त पर संकेंद्रण को पैना करने की आवश्यकता को स्वीकार करते हुए हमने एक उपयुक्त साधन के रूप में रेलवे वित्त पर एक एकल रिपोर्ट पर विचार किया। तदनुसार, रेलवे वित्त में सुधारात्मक क्षेत्रों और शक्तियों पर प्रकाश डालते हुए रेलवे वित्त पर एक एकल रिपोर्ट तैयार की गई (2012-13 की सं. 3)।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान जोन के कार्यों के वार्षिक मूल्यांकन पर केंद्रित करने के उद्देश्य से हमने जोनल रेलवे रिपोर्ट की अवधारणा की भी शुरूआत की। यह रेलवे लेखापरीक्षा रिपोर्ट रेलवे लेखापरीक्षा कार्यालयों के स्थानीय प्रमुखों द्वारा तैयार की जाती है तथा सम्बद्ध रेलवे जोन के संबंधित महाप्रबंधक को जारी की जाती है। यह प्रबंधन पत्र की तरह है और इससे प्रबंधन को सहायता मिलने की उम्मीद की जाती है। हमारी पहल को अच्छी तरह से प्राप्त किया गया और लेखापरीक्षित इकाईयों द्वारा इसकी सराहना की गई।

II लेखापरीक्षा कवरेज -- योजनाबद्ध लेखापरीक्षित इकाईयां बनाम 2011-12 के दौरान लेखापरीक्षित इकाईयां

आईएण्डएडी के क्षेत्रीय लेखापरीक्षा कार्यालय जरूरी आवश्यकताओं, मामलों की गंभीरता, जोखिम आंकलन तथा उपलब्ध श्रमशक्ति संसाधनों के आधार पर निष्पादन, वित्तीय और अनुपालन लेखापरीक्षा की योजना प्रत्येक वर्ष बनाते हैं। 2011-12 के दौरान कुल 52,251 इकाईयों की लेखापरीक्षा की गई।

नीचे दर्शाये गये ग्राफ से पता चलता है कि संघ स्तर पर योजनाबद्ध लेखापरीक्षाओं में से 96.19 प्रतिशत और राज्य स्तर पर योजनाबद्ध लेखापरीक्षाओं में से 81.33 प्रतिशत लेखापरीक्षाएं पूरी की गई। आईएण्डएडी में क्षेत्रीय लेखापरीक्षा कार्यालयों ने संबंधित कार्यालयों हेतु निर्धारित लेखापरीक्षा नियमों के अनुसार संस्वीकृतियां, वाउचरों तथा संविदाओं की भी लेखापरीक्षा की। सीएजी एमएसओ की धारा 14 के अंतर्गत लेखापरीक्षा करने हेतु 36 संगठनों से विशेष अनुरोध प्राप्त हुए। इस सम्बन्ध में हमने 31 अनुरोध/विशेष लेखापरीक्षाएं (संघीय स्तर पर 10 लेखापरीक्षाएं और राज्य स्तर पर 21 लेखापरीक्षाएं) की।



III हमारे लेखापरीक्षा उत्पाद

इससाई 20 परिकल्पित करता है कि साई ही लेखापरीक्षा की पहल करते हैं और उनको आयोजित करते हैं तथा समय रहते उपयुक्त रिपोर्टों को जारी करते हैं। उन्हें प्रत्येक लेखापरीक्षा के एक मुख्य परिणाम के रूप में एक लेखापरीक्षा रिपोर्ट तैयार करनी चाहिए। निरीक्षण प्रतिवेदन, लेखापरीक्षा प्रतिवेदन और लेखापरीक्षा प्रमाण-पत्र लेखापरीक्षा प्रक्रिया के मुख्य परिणाम हैं। इन उत्पादों की गुणवत्ता और समयबद्धता को सुनिश्चित करना आईएएडी के मुख्य परिणाम क्षेत्र हैं।

III क निरीक्षण प्रतिवेदन

निरीक्षण प्रतिवेदन लेखापरीक्षा का प्राथमिक उत्पाद है। प्रत्येक लेखापरीक्षित इकाई की लेखापरीक्षा पूरी होने पर लेखापरीक्षा आपत्तियों की व्याख्या करते हुए एक निरीक्षण प्रतिवेदन लेखापरीक्षित इकाई प्रमुख को जारी किया जाता है। 2011-12 के दौरान हमने 49,390 निरीक्षण प्रतिवेदन जारी किये।

	जारी किए गए निरीक्षण प्रतिवेदन	दिये गये संदर्भों की संख्या
संघ	12,383	188
राज्य	37,007	2,700

संघीय स्तर पर 94.02 प्रतिशत निरीक्षण प्रतिवेदन समय पर जारी किये गये। राज्य स्तर पर 74.73 प्रतिशत निष्पादन समय पर था। निरीक्षण प्रतिवेदनों में लेखापरीक्षा निरीक्षण और टिप्पणियों के दौरान देखे गये कमजोर आंतरिक नियंत्रण/बेकार व्यय/राजस्व हानि आदि के

स्वतंत्र लेखापरीक्षा आश्वासन एवं सार्वजनिक प्रबंधन के द्वारा जवाबदेही बढ़ाना



आधार पर उच्चतर प्रशासकीय स्तरों को क्षेत्रीय लेखापरीक्षा कार्यालयों के शीर्षों द्वारा संघीय स्तर पर 188 संदर्भ और राज्य स्तर पर 2,700 संदर्भ दिये गये थे।

IIIख लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

लेखापरीक्षा प्रक्रिया में लेखापरीक्षा के परिणामों को दर्शाने के लिए एक प्रतिवेदन तैयार करना शामिल है। संविधान का अनुच्छेद 151 परिकल्पित करता है कि भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक प्रतिवेदन तैयार करेंगे तथा संसद या राज्य विधान पालिका, जैसा भी मामला हो, में प्रस्तुत करने के लिए राष्ट्रपति या राज्यपाल को प्रस्तुत करेंगे। हमने 2011-12 के दौरान 137 लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (एकल निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों सहित) तैयार किये तथा संसद और राज्य विधानमंडल में प्रस्तुत किए।

	प्रतिवेदनों की सं.
संघ सरकार	33
राज्य सरकारें और संघ शासित प्रदेश	104

IIIग निष्पादन लेखापरीक्षा

हालांकि 2011-12 में साई इंडिया द्वारा जारी सभी लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों से सम्बद्ध जानकारी पिछले पैराग्राफ में उपलब्ध है, तथापि यह पैराग्राफ हमारी निष्पादन लेखापरीक्षा परिणाम और निष्कर्ष को पूर्णतः दर्शाता है। सीएजी ने 252 निष्पादन लेखापरीक्षा उत्पाद [एकल प्रतिवेदन (38), लेखापरीक्षा पैराग्राफ (189), संग्रह पुस्तक (25) सहित] अनुमोदित किये। हमने संघ और राज्य स्तर पर हमारी लेखापरीक्षित इकाईओं से 1,590 सिफारिशें की। लेखापरीक्षित इकाईयों द्वारा 627 सिफारिशें (39.43 प्रतिशत) मान ली गई थी। नीचे दी गई तालिका संघ और राज्य स्तर पर विवरणों को दर्शाती है:

	लेखापरीक्षा उत्पाद	की गई सिफारिशें	स्वीकृत सिफारिशें
संघ स्तर	16	195	98 (50.25 प्रतिशत)
राज्य स्तर	236	1,395	529 (37.92 प्रतिशत)
कुल	252	1,590	627 (39.43 प्रतिशत)

III घ सत्यापन लेखापरीक्षा

नियंत्रक - महालेखापरीक्षक डीपीसी अधिनियम (1971) में भारत के सीएजी द्वारा संघ और राज्य सरकारों, स्वायत्त निकायों और सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के व्यय और प्राप्तियों की



लेखापरीक्षा का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त, हमसे बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं पर किये गये व्यय को भी सत्यापित करने की उम्मीद की जाती है।

हमने संघ और राज्य सरकारों, पीएसयूज़, स्वायत्त निकायों, बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं और अन्य के 5,730 लेखे सत्यापित किए। 4,738 प्रमाण पत्र निर्धारित समय सीमा में जारी किये गए।

	प्रमाणित लेखे	समय पर किये गये सत्यापन
संघ सरकार	653	486
राज्य सरकार	2,270	2,242
पीएसयूज़	1,223	913
स्वायत्त निकाय	859	564
बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाएं तथा अन्य	725	533
कुल	5,730	4738 (82.69 प्रतिशत)

लेखापरीक्षित इकाई से लेखों की प्राप्तियों में विलम्ब, लेखापरीक्षा टिप्पणियों के उत्तरों की प्राप्तियों में विलम्ब और स्टाफ का उपलब्ध न होना लेखाओं के विलम्बित प्रमाणन के कुछ कारण थे।

III ड. अनुपालन लेखापरीक्षा

अनुपालन लेखापरीक्षा के दौरान लेखापरीक्षा द्वारा की गई टिप्पणियाँ अनुपालन लेखापरीक्षा के रूप में संकलित और संबद्ध मंत्रालय/कार्पोरेशन/कंपनी को जारी की जा रही हैं। 2011-12 के दौरान, निष्पादन लेखापरीक्षाओं के रूप में विनिर्दिष्ट पैराग्राफों के अलावा, 2,115 पैराग्राफ अनुपालन प्रतिवेदन में शामिल किये गये थे। 576 टिप्पणियों में से 436 लेखापरीक्षा पैराग्राफ संघ स्तर पर लेखापरीक्षित इकाईयों द्वारा स्वीकृत थे। राज्य स्तर पर, अनुपालन प्रतिवेदनों में 1,539 लेखापरीक्षा पैराग्राफ शामिल किये गये थे जिनमें से 544 को लेखापरीक्षित इकाईयों द्वारा मान लिया गया था।

IV हमारा लेखापरीक्षा प्रभाव

हमारी कुछ लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ करों के कम निर्धारण या राजकोष में विशेष हानि की तरफ इशारा करती हैं। यह कार्यकारी द्वारा संबंधित पार्टियों से वसूलियों को अनिवार्य बना देती हैं। लेखापरीक्षा के कहने पर की गई वसूलियों की चर्चा नीचे की गई है:

स्वतंत्र लेखापरीक्षा आश्वासन एवं सार्वजनिक प्रबंधन के द्वारा जवाबदेही बढ़ाना



(₹ करोड़ में)

	बताई गई वसूलियां	स्वीकृत वसूलियां	प्रभावित वसूलियां
संघ सरकार	33,723.40	7,073.90	1,721.41
राज्य सरकार	45,490.12	20,706.15	1,635.53
कुल	79,213.52	27,780.05	3,356.94

लेखापरीक्षित संस्थानों ने लेखापरीक्षा द्वारा बताई गई वसूलियों का करीब 35.06 प्रतिशत स्वीकार किया। लेखापरीक्षा के परिणामस्वरूप सरकार ने ₹ 3,356.94 करोड़ की वसूली की जो वर्ष के दौरान वसूली के लिये बताई गई राशि का केवल करीब 4.24 प्रतिशत है।

V कार्यकारी द्वारा स्वीकार की गई सिफारिशें

हालांकि संघ स्तर पर लेखापरीक्षा संस्थानों ने की गई सिफारिशों का 38.76 प्रतिशत स्वीकार किया, राज्य स्तर पर स्वीकृति की प्रतिशतता लगभग 27.39 प्रतिशत थी। स्वीकृत सिफारिशों का वित्तीय मूल्य संघ स्तर पर ₹271.16 करोड़ और राज्य स्तर पर ₹4,807.19 करोड़ था।

VI पीएसयूज़ के वार्षिक लेखों की लेखापरीक्षा का वित्तीय प्रभाव

सरकारी कंपनियों और निगमों के वार्षिक लेखों के मामले में हम कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(4) के अंतर्गत अनुपूरक लेखापरीक्षा करते हैं। कंपनियों और निगमों की संघ स्तर की तीन चरणीय लेखापरीक्षा के परिणामस्वरूप किये गये सुधार नीचे दी गई तालिका में दिये गये हैं:

	कंपनियों की संख्या	₹ करोड़ में
लेखांकन नीतियां/लेखों के लिये टिप्पणियाँ/वर्गीकरण गलतियाँ, आदि।	53	29,304.81
क) लेखांकन नीति पर प्रभाव	5	241.90
ख) लेखों के लिये टिप्पणी में संशोधन	26	27,686.99
ग) वर्गीकरण गलतियाँ	22	1,375.92
टिप्पणी किये गये लेन-देनों पर प्रभाव	164	6,567.49
क) लाभ	61	4,340.90
ख) हानि	5	81.12
ग) परिसम्पत्तियाँ	50	1,009.76
घ) देयताएं	48	1,135.71

स्वतंत्र लेखापरीक्षा आश्वासन एवं सार्वजनिक प्रबंधन के द्वारा जवाबदेही बढ़ाना



राज्य स्तर पर, लेखापरीक्षा टिप्पणियों के परिणामस्वरूप 9 कंपनियों, और 21 निगमों ने अपने लेखे संशोधित किये। संशोधन का वित्तीय प्रभाव निम्नलिखित था।

(₹ करोड़ में)

लाभ/हानि का अधिक बताया जाना	583.16
लाभ/हानि का कम बताया जाना	56,739.45
परिसम्पत्तियों/देयताओं का अधिक बताया जाना	56,112.44
परिसम्पत्तियों /देयताओं का कम बताया जाना	2,142.77

VII प्रमुख लेखापरीक्षा निष्कर्ष

हमारी लेखापरीक्षा के परिणामस्वरूप हमने नियमों, विनियमों में विचलन, योजना और पद्धति के कार्यान्वयन में कमियों, विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय की कमी आदि के कई उदाहरण बताये।

VIII निष्पादन लेखापरीक्षाओं के संबंध में मुख्य लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ

कुछ निष्पादन लेखापरीक्षाओं के निष्कर्ष नीचे सूचीबद्ध हैं:

VIII क दिल्ली में आयोजित XIX राष्ट्रमंडल खेलों पर लेखापरीक्षा रिपोर्ट

हमने पाया कि, घटिया संचालन प्रतिरूप के कारण निर्णय लेने में अकथनीय देरी हुई जिससे एक बनावटी अथवा जानबूझ कर अत्यावश्यकता उत्पन्न की गई। खेलों की तिथियां (अक्तूबर 2010) निर्धारित कर दी गई थीं, प्रक्रिया को, विशेषतः ठेका प्रक्रियाओं को छोटा करने हेतु निर्धारित सरकारी पद्धतियों पर स्वत्वत्याग मांगते हुए और स्वतंत्र रूप से उसे देते हुए ऐसे विलम्बों पर काबू पाया जा सकता था। सार्वजनिक राजकोष को ऐसी चूकों, जिनसे खेलों के आयोजन हेतु बेहतर संचालन प्रतिरूप को अपनाकर बचा जा सकता था; के लिए भारी अतिरिक्त वित्तीय दबाव सहन करना पड़ा। इन टिप्पणियों को इस तथ्य के दृष्टिकोण से देखे जाने की आवश्यकता है कि खेलों की तैयारी पर अध्ययन रिपोर्ट जुलाई 2009 में प्रस्तुत की गई थी, जहां हमने इस बात की पुरजोर सिफारिश की थी कि सरकार को सीडब्ल्यूजी हेतु संचालन के प्रतिरूप पर पुनः चर्चा करनी चाहिए क्योंकि अंगीकृत प्रतिरूप में, प्राधिकारी दुराचारी था, जवाबदेही को गम्भीरता से नहीं लिया गया था और आदेशों में समरूपता नहीं थी या उनका पालन नहीं किया गया था।



VIII ख उर्वरक सब्सिडी की निष्पादन लेखापरीक्षा

उर्वरक सब्सिडी/छूट पर भारत सरकार द्वारा भारी मात्रा में व्यय करने के बावजूद उर्वरक का वार्षिक उत्पादन 2003-04 में 284 लाख एमटी से थोड़ा सा बढ़ कर 2008-09 में 298 लाख एमटी हो गया था। सब्सिडी पद्धति में परिवर्तन उर्वरक के घरेलू उत्पाद में महत्वपूर्ण वृद्धि को प्रोत्साहित करने में असफल रहा। उर्वरक आवश्यकताओं के विस्तृत आंकलन की प्रक्रिया विगत मौसम/वर्ष की आवश्यकता पर 5 से 10 प्रतिशत की वृद्धि के महज अनुमानों की सामान्य कार्यप्रणाली के कारण दोषपूर्ण थी, इसके अतिरिक्त, उर्वरक सब्सिडी पारित करने के उद्देश्य से प्रथम स्तर बिक्री को खपत के रूप में लिया गया।

हमने अपर्याप्त/बेकार संरचना, पर्याप्त कुशल श्रमशक्ति के अभाव और उर्वरक नमूनों की जांच में भारी कमी के रूप में सब्सिडी प्रदत्त उर्वरकों पर गुणवत्ता नियंत्रण में भी महत्वपूर्ण कमियां देखीं।

इस प्रकार हम यह आश्वासन नहीं दे सकते कि उर्वरकों के उत्पादकों/आयातकों हेतु उर्वरक सब्सिडी भुगतानों पर किये गये भारी व्यय के परिणामस्वरूप किसानों को बताये गये समय पर सब्सिडीकृत मूल्यों पर आवश्यकतानुसार उच्च गुणवत्ता वाले उर्वरक पूर्णतः उपलब्ध करवाये गये।

VIII ग कर मांग की बकाया राशि की वसूली

मार्च 2010 में प्रत्यक्ष कर मांग की बकाया राशि ₹ 2.29 लाख करोड़ थी जो कुल प्रत्यक्ष कर संग्रहण के 54 प्रतिशत के बराबर था। इसमें विगत पांच वर्षों में एक तीव्र वृद्धि देखी गई। हमने पाया कि सीबीडीटी के विभिन्न स्कंधों द्वारा रखे गये डाटा में भिन्नता थी। प्रसंस्करण के विभिन्न स्तरों पर चूक ढीले आंतरिक नियंत्रण की ओर इशारा करती थी। उच्च मूल्य मांग के मामलों के विश्लेषण ने दर्शाया कि मांग की अप्रतिलभ्यता, परिसमापन/दिवालिया कार्यवाहियों, वसूली हेतु कोई संपत्ति न होने, निर्धारिती का पता न होने, रथगन द्वारा कवर की गई मांग में देरी का कारण था। हमने यह भी पाया कि कर वसूली अधिकारियों ने मांग की वसूली के प्रति विशेष अधिकारों का प्रयोग पूरी तरह से नहीं किया।

VIII घ भारत में नागरिक उड्डयन पर निष्पादन लेखापरीक्षा

एयर इंडिया (एआई) और इंडियन एयरलाइन्स (आईए) को 2007 में भारत की राष्ट्रीय उड्डयन कम्पनी लिमिटेड में मिला दिया गया। हम इन दो निकायों के विलय हेतु विस्तृत औचित्य को सुनिश्चित करने में विफल रहे। विलय दिशा में कार्रवाई आरंभ करना एआई



और आईए द्वारा वायुयानों का स्वतंत्र रूप से बड़े पैमाने पर अधिग्रहण गलत समय पर किया गया प्रतीत हो रहा था। विलय/परिचालन एकीकरण को मूर्त रूप देने में काफी अधिक देरी हो रही थी। वायुयान अधिग्रहण प्रक्रिया ने भी अनावश्यक रूप से अधिक समय लिया। पश्च बोली परिवर्तनों ने समझौता प्रक्रिया की पारदर्शिता को प्रभावित किया।

जबकि अंतर्राष्ट्रीय पात्रता के साथ-साथ बाह्य कारकों (उड्डयन टर्बाइन ईंधन (एटीएफ) मूल्य और 2008 के अंत से आर्थिक मंदी) पर द्विपक्षीय समझौतों के प्रति उदार दृष्टिकोण महत्वपूर्ण सहायक कारक थे जिन्होंने पूर्व आईएएल/एआईएल और विलय निकाय के परिचालनात्मक निष्पादन को खराब कर दिया, उनके कामकाज में पुरानी परिचालनात्मक कमियों की अनदेखी नहीं की जा सकती।

IX लेखापरीक्षा के इशारे पर नीतियों, नियमों, कानूनों और अन्य महत्वपूर्ण परिवर्तनों में बदलाव

आर्थिक प्रभावों के अतिरिक्त, लेखापरीक्षा टिप्पणियों के आधार पर नीति, कानून नियमों और सरकार द्वारा किये गये अन्य महत्वपूर्ण परिवर्तनों में बदलाव इस प्रकार है:

संघ लेखापरीक्षा

IX क केन्द्रीय उत्पादशुल्क और सेवाकर

- हमने इंगित किया था कि नियमों में आंशिक रूप से लिखे गये इनपुट्स के संबंध में क्रेडिट के आनुपातिक उत्क्रमण का प्रावधान नहीं था। तदनुसार, सरकार ने नियम 3(5बी) में संशोधन किया जिसके लिए इनपुट्स या पूँजीगत माल, जहां ऐसे इनपुट्स या पूँजीगत माल के मूल्य को आंशिक रूप से बट्टे खाते डाला गया था; के संबंध में लिये गये सेनवैट क्रेडिट के बराबर एक राशि की अदायगी हेतु निर्माता या सेवा प्रदाता की आवश्यकता थी।
- हमने इंगित किया था कि 08.01.2005 से केवल एलोपैथिक दवाईयां एमआरपी आधारित उगाही हेतु शिफ्ट की गई थी और आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक दवाई धारा 4 के अंतर्गत निर्धारित की जा रही थी जिससे शुल्क का कम संग्रहण हुआ। लेखापरीक्षा के कहने पर धारा 4ए के अंतर्गत एमआरपी आधारित निर्धारण का तिथि 24.12.2011 की अधिसूचना के अनुसार ड्रग और कॉस्मेटिक अधिनियम, 1940 की पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट आधिकारिक पुस्तिका में दिये गये सूत्रों के अनुसार पूरी तरह से उत्पादित सभी दवाओं (आयुर्वेदिक, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथिक या जैव-रासायनिक प्रणालियों सहित) के लिए विस्तार किया गया था।



- हमने यह भी बताया कि करयोग्य और छूट प्राप्त माल या सेवाओं के सृजन में उपयोग हेतु विभिन्न इनपुट सेवाओं पर सेनवैट क्रेडिट प्राप्त किया गया था और छूट प्राप्त माल के संबंध में इनपुट सेवाओं हेतु क्रेडिट आनुपातिक रूप से उत्क्रमित था, जबकि, विभिन्न न्यायिक घोषणाओं का उल्लेख करते हुए निर्माता द्वारा उन पर ब्याज अदा नहीं किया गया था। विभिन्न विवेचनाओं के कारण आयुक्तालयों द्वारा समान ब्याज नहीं वसूला गया था। लेखापरीक्षा के कहने पर, सेनवैट क्रेडिट नियमावली 2004 का नियम 6 पूर्वव्यापी वित्त अधिनियम, 2010 की धारा 73 द्वारा संशोधित किया गया था और उप-नियम 7 को जोड़ा गया था जिसे इनपुट या प्रयुक्त इनपुट सेवाओं में या छूट प्राप्त सामान के निर्माण से संबद्ध लगाये जाने योग्य सेनवैट क्रेडिट के समान राशि की निर्धारित तिथि से अदायगी की तिथि तक 24 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर पर ब्याज के भुगतान हेतु उपलब्ध कराया गया था। अलग-अलग विवेचनाओं के मामले को मै. इंड-स्विफ्ट लेबोरेट्रीज़ लिमि. {2011(265)इएलटी 3 (एससी)} के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भी निपटाया गया था। बोर्ड ने भी, यह प्रमाणित करते हुए कि बोर्ड का दृष्टिकोण सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समर्थित था, दिनांक 14.3.2011 को परिपत्र सं. 942/03/2011-सीएक्स भी जारी किया था।
- केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम 1944 की धारा 11ए के अंतर्गत ब्याज की वसूली हेतु कारण बताओ ज्ञापन जारी करने का कोई प्रावधान नहीं था। हमने पाया कि विभिन्न शुल्कों पर ब्याज की वसूली न किये जाने से संबंधित कई मामले थे। इनका निवारण वित्त अधिनियम 2011 की धारा 11ए में संशोधन करते हुए किया गया।
- 2010-11 के दौरान इंगित लेखापरीक्षा टिप्पणियों के आधार पर, जो एक माह में इनपुट्स और इनपुट सेवाओं पर उपलब्ध सेनवैट क्रेडिट के पचास प्रतिशत के समान एक राशि, प्रति माह हेतु कर योग्य सेवाएं प्रदान करने हेतु अपेक्षित बैंकिंग कम्पनी और एक वित्तीय संस्थान सहित एक गैर-बैंकिंग वित्तीय कम्पनी सेनवैट क्रेडिट नियमावली, 2004 से जारी संशोधन द्वारा बजट 2011-12 में मौजूदा नियमों में आवश्यक सुधार किये गये। इस प्रकार प्रभावी रूप से, लिए गए केवल 50 प्रतिशत सेनवैट क्रेडिट की ही कर अथवा शुल्क के भुगतान के प्रति उपयोग की अनुमति है।
- बजट 2011-12 में भी, विदेशी सेवाओं पर दलाली सेवाएं प्रस्तुत करने वाले संस्थानों द्वारा सेवाकर के भुगतान से संबंधित उपयुक्त नियमों में संशोधन किया गया है। अब सेवा कर मुद्रा विनिमय के टर्नओवर के मूल्य पर आधारित लेन-देन के रूप में ही स्तरीय प्रतिशतता पर देय है। वैकल्पिक रूप से, सेवा का मूल्य लेन-देन मूल्य और आरबीआई संदर्भ दर के बीच अंतर के रूप में निर्धारित किया जा सकता है।

**IX ख वाणिज्यिक उपक्रम:**

- इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कम्पनी लिमिटेड (आईआईएफसीएल) - हमारे लेखापरीक्षा अवलोकन के आधार पर, मंत्रीमंडल ने फाइनेंसिंग वायेएबल इन्फ्रास्ट्रक्चर जिसके द्वारा आईआईएफसीएल को भारतीय रिज़र्व बैंक की, एक बैंकिंग रहित वित्तीय कम्पनी-इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कम्पनी (एनबीएफसी-आईएफसी) के रूप में पंजीकृत करते हुए, नियामक निरीक्षण के अंतर्गत लाया गया है। इसलिए, एनबीएफसी - आईएफसी के लिए लागू सभी विवेकपूर्ण मानदंडों को आईआईएफसीएल पर लागू किया जाएगा।
- राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड, इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया लिमिटेड, भारत डायनामिक्स लिमिटेड और मिश्र धातु निगम लिमिटेड छूट्टी नकदीकरण की गणना के उद्देश्य हेतु "30 दिनों का एक महीना" को एक नियम के रूप में अपनाने के लिए निर्देश जारी करके सुधारात्मक कार्रवाई कर चुके हैं। इससे पूर्व, इन कम्पनियों ने छूट्टी नकदीकरण हेतु 26 दिनों के एक महीने वाले नियम को अपनाया था।
- स्टील अथारिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) ने अपने अधिकारियों द्वारा अदा किये गये बिजली शुल्कों हेतु विस्तारित सब्सिडी से संबंधित लेखाकरण नीति परिवर्तित कर दी।
- हमारे लेखापरीक्षा अवलोकनों के आधार पर सेल ने बेहतर तालमेल हेतु पट्टा आधारित भूमि के परिशोधन और निर्माण संबंधी अपनी लेखाकरण नीति का संशोधन किया।

IX ग प्रत्यक्ष कर:

- हमने इंगित किया कि मैट की अवधारणा केवल कम्पनियों पर लागू होती है न कि फर्म/एओपीज़ पर। लेखापरीक्षा ने सिफारिश की कि धारा 115जेबी के प्रावधानों को फर्म/एओपीज़, पर लागू किया जाए जो आय कर अधिनियम में उपलब्ध कटौती व बढ़ावे के लाभ को प्राप्त कर रहे हैं। वित्त अधिनियम, 2012 द्वारा धारा 115 जेसी के अंतर्गत आयकर अधिनियम 1961 में एक संशोधन किया गया जिसमें मैट की अवधारणा को कम्पनी रहित निर्धारितियों के लिए विस्तारित किया गया है।

IX घ रेलवे

हमारे लेखापरीक्षा टिप्पणियों के आधार पर सरकार/प्रबंधन द्वारा किये गये परिवर्तनों का विवरण नीचे सूचीबद्ध है:



- रेलवे बोर्ड ने जोनल रेलवे को निर्धारित समय-अवधि में रेलवे स्टेशन की विज्ञापन क्षमता और अन्य संपत्तियों के उचित प्रयोग की निविदाओं को अंतिम रूप देना सुनिश्चित करने के निदेश दिये।
- रेलवे बोर्ड बाद में अस्पष्टता से बचने के लिए एमओयू स्तर में पावर एवं ट्रेफिक ब्लॉक हेतु मांग पार्टियों पर उगाही किये जाने वाले विभिन्न प्रभारों को निगमित करने के लिए सहमत हो गया।
- रेलवे बोर्ड ने जोनल रेलवे को कार्य के कार्यान्वयन के दौरान रेलवे ट्रैक के साथ-साथ रेलवे केबल खराब करने वाले ठेकेदारों से उपयुक्त तंत्र व्यवस्थित करने हेतु और उचित शास्ति की वसूली के निर्देश दिये।

IX ड. संघीय व्यय:

- "भारत में जल प्रदूषण की निष्पादन लेखापरीक्षा" पर सीएजी की रिपोर्ट में दी गई टिप्पणियों/सिफारिशों के आधार पर, पर्यावरण और वन मंत्रालय ने भारत में जल प्रदूषण के प्रबंधन हेतु एक रोड मैप तैयार किया।
- परियोजना अनुदानों से प्राप्त परिसम्पत्तियों के उपयोग से संबंधित लेखांकन नीति भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, पुणे द्वारा परिवर्तित नहीं की गई थी और परिसम्पत्तियों के मूल्य का लेखांकन संस्थान के साथ विलय नहीं किया गया था।

राज्य सरकारें:

- हमने इंगित किया कि केंद्रीय बिक्री कर (सीएसटी) का घटक मोटर वाहन अधिनियम 1988 के अंतर्गत वाहन कर निर्धारण लागत मूल्य में शामिल नहीं था। सरकार ने एमवीए 1988 के अंतर्गत कर निर्धारण के लिए वाहन के लागत मूल्य में सीएसटी घटक को शामिल करने के लिए दिनांक 5 जुलाई 2011 के परिपत्र सं. कर/आंकलन/सीएसटी/सहित/ ओएन/4781 द्वारा निर्देश जारी किये। (गुजरात)
- राजस्थान लघु खनिज रियायत नियमावली, 1986 के नियम 63(6), 10 से 25 प्रतिशत के बीच, इससे अधिक और परमिट में स्वीकृत मात्रा से अधिक खनिजों की खुदाई और उनको हटाने की लागत की वसूली के संबंध में कोई निर्देश नहीं देता। लेखापरीक्षा के कहने पर नियम को इस प्रकार संशोधित किया गया,

"परमिट धारक द्वारा परमिट में दी गई अवधि के भीतर परमिट में विनिर्दिष्ट 10 प्रतिशत से 25 प्रतिशत तक और इससे अधिक मात्रा के खनिज की खुदाई और ढुलाई के मामले में, खनिज की अधिक खुदाई के लिए परमिट धारक से दोहरी रायल्टी वसूली जाएगी।"



- हमारी लेखापरीक्षा टिप्पणी के आधार पर, परिपत्र सं. 27/2010 को राजस्थान राज्य सरकार द्वारा यह सूचित करते हुए जारी किया गया कि आस पास के क्षेत्र, नगर पालिका क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र जिसका क्षेत्र 1000 एसएम से कम है, में मौजूद कृषि भूमि की दरें कृषि दर और पास में मौजूद आवासीय भूखंड हेतु निर्धारित दर, जो भी अधिक हो; से तीन गुणा अधिक होनी चाहिए।

X अनुवर्ती कार्रवाई

इससाई 10 सुझाव देता है कि साई के पास अनुवर्ती कार्रवाई हेतु स्वतंत्र पद्धतियां होनी चाहिए जो यह सुनिश्चित कर सके कि लेखापरीक्षित संस्थाओं ने उनकी टिप्पणियों और सिफारिशों को उचित ढंग से समझा है और उन पर सुधारात्मक कार्रवाई कर ली गई है। लेखा और लेखापरीक्षा विनियम 2007 में यह प्रावधान है कि संबंधित विभाग के सरकार के सचिव अपने विभाग से संबंधित लेखापरीक्षा पैराग्राफ (पैराग्राफों) जो पीएस/सीओपीयू के प्रस्तुतीकरण हेतु, लेखापरीक्षा में शामिल नहीं है, पर की गई स्व व्याख्यात्मक कार्रवाई टिप्पणी (नोट्स) तैयार करेगा। एक कार्रवाई टिप्पणी दर्शाती है कि क्या

- लेखापरीक्षा रिपोर्ट में दिये गये तथ्य और आंकड़ें स्वीकार्य हैं;
- वे परिस्थितियां जिनमें लेखापरीक्षा पैराग्राफ में बताई गई अनियमितताएं हुई;
- दायित्व निर्धारण हेतु की गई कार्रवाई और कार्रवाई को पूरा करने हेतु संभावित समय सीमा;
- वसूली की वर्तमान स्थिति;
- लेखापरीक्षा द्वारा दिये गये सुझावों और सिफारिशों पर प्रस्तावित या की गई कार्रवाई; और
- भविष्य में ऐसे मामलों के घटित होने से बचने के लिए प्रस्तावित या की गई उपचारात्मक कार्रवाई।

नीचे दी गई तालिका 31 मार्च 2012 तक की गई कार्रवाई टिप्पणी की स्थिति दर्शाती है:

	31 मार्च 2012 के अंत तक प्रतीक्षित एटीएन	वर्ष के दौरान निपटाये गये एटीएन
संघ स्तर	1,050	1,486
राज्य स्तर	17,712	1,073

स्वतंत्र लेखापरीक्षा आश्वासन एवं सार्वजनिक प्रबंधन के द्वारा जवाबदेही बढ़ाना



अध्याय 4

महत्वपूर्ण परिणाम और उपलब्धियाँ - लेखा एवं हकदारी

संविधान के अनुच्छेद 149 में संघ और राज्य सरकारों के लेखाओं को संकलित, तैयार और प्रस्तुत करने के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को अधिदेश दिया जाता है। वर्तमान रूप से हम राज्य सरकारों के लेखाओं के संकलन और तैयार करने, जीपीएफ लेखाओं के रखरखाव एवं राज्य सरकार के कर्मचारियों के पेंशन भुगतानों को प्राधिकृत करने के लिए उत्तरदायी हैं। तदनुसार, मासिक सिविल लेखे, वित्त लेखे और विनियोग लेखे महत्वपूर्ण उत्पाद हैं। वर्ष 2011-12 के दौरान इस स्कंध के महत्वपूर्ण फोकस क्षेत्र और उपलब्धियों की चर्चा नीचे की गई है:

I महत्वपूर्ण फोकस क्षेत्र

वर्ष 2011-12 के दौरान इस स्कंध का महत्वपूर्ण फोकस क्षेत्र का कार्य वर्ष 2009-10 के दौरान प्रारम्भ किए गए राज्यों के वित्तीय लेखाओं के फोर्मेट में संशोधन के अनुपालन को देखना था। वर्ष 2010-11 के लिए सभी राज्यों के वित्तीय लेखाओं की समीक्षा गुणवत्ता आश्वासन के लिए लेखा स्कंध में की गई थी और सीखे गए पाठों का हमने वर्ष 2011-12 के लिए वित्तीय लेखे तैयार करने में पुनः सुधार को सरल करने के लिए सम्बन्धित महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के मध्य प्रचार किया था। इस अवधि में प्रारम्भ किए गए दूसरे महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में ओरेकल डॉटाबेस और अनुप्रयोग सरवर के आधुनिक वरजन के वीएलसी अनुप्रयोग⁶ का तकनीकी उन्नयन था। यह वीएलसी कार्यान्वयन से दशक में तीव्र प्रौद्योगिकीय परिवर्तनों का सामना करने में कारोबार निरन्तरता को सुनिश्चित करने के लिए किया गया था।

II नवप्रवर्तन और पहल

भारत सरकार और राज्य सरकारों द्वारा अनुसरण की जा रही वर्गीकरण की विद्यमान प्रणाली छः टीयर श्रेणीबद्ध संरचना है। व्यय को पन्द्रह अंक वाले संख्यात्मक कोड का उपयोग करते हुए कार्य, कार्यक्रम और इसके मितव्ययी स्वरूप के अनुसार वर्गीकृत किया जाता है। प्राप्तियों को उनके स्वरूप और स्रोत के अनुसार वर्गीकृत किया जाता है।

⁶ वीएलसी: वाजचर लेवल कम्प्यूटरीकरण अनुप्रयोग आईएएडी के सभी लेखा एवं हकदारी कार्यालयों द्वारा प्रयुक्त मुख्य लेखाकरण सॉफ्टवेयर है।



संघ और राज्यों के लेखाओं के मुख्य और लघु शीर्षों की सूची के संशोधन के लिए भारत सरकार, वित्त मंत्रालय द्वारा गठित समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट वित्त मंत्रालय को अन्तिम अनुमोदन के लिए प्रस्तुत की गई। विद्यमान वर्गीकरण संरचना के असमान, जिसमें एकल श्रेणीबद्ध छः टीयर संरचना (मुख्य शीर्ष → उप मुख्य शीर्ष → लघु शीर्ष → उप शीर्ष → विस्तृत शीर्ष → वस्तु शीर्ष) है, प्रस्तावित वर्गीकरण संरचना एक बहु - खण्ड - संरचना है। इसमें पृथक क्षेणीबद्ध (वर्टिकल) संरचना सहित सात स्वतन्त्र खण्ड हैं।

प्रस्तावित संशोधित वर्गीकरण संरचना के लिए हमारी तैयारी को सुनिश्चित करने और उसके साथ हमारे राज्य के महालेखाकारों को सुपरिचित कराने के लिए वर्ष 2011-12 के दौरान लेखा स्कंध द्वारा पाँच क्षेत्रीय कार्यशालाओं का आयोजन किया गया था। कार्यशालाओं का आयोजन मुम्बई (जनवरी 2012), गुवाहाटी (जनवरी 2012), कोलकाता (जनवरी 2012), बेंगलूरु (फरवरी 2012) और चण्डीगढ़ (फरवरी 2012) में किया गया था।

III हमारे लेखा निष्पादन

III क लेखा स्कंध की कार्य योजना

मासिक सिविल लेखे, वित्तीय एवं विनियोग लेखे, एक नजर में लेखे, व्यय की रिपोर्ट सहित विभिन्न एमआईएस रिपोर्टें, डीडीओ वार व्यय के आँकड़ें, चेतावनी पर्ची, अनुदान - वार - अधिक व्यय को राज्य महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वारा राज्य सरकार को प्रस्तुत किया जाता है। इन दस्तावेजों का प्रतिपादन क्षेत्रीय कार्यालय के साथ-साथ मुख्यालय स्तर पर मॉनीटर किया जाता है। कोषागार निरीक्षण यह सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार की सहायता करने के लिए भी किया जाता है कि कोषागारों की प्रणाली निर्धारित क्रियाविधियों के अनुसार कार्य कर रही है।

III ख सामयिकता

आईएएडी के 27 लेखा कार्यालयों को राज्य सरकारों को मासिक लेखे प्रस्तुत करने थे। जबकि 16 लेखा कार्यालयों ने अपने मासिक लेखे समय पर प्रस्तुत किए थे। मासिक सिविल लेखाओं को 11 लेखा कार्यालयों द्वारा विलम्ब से प्रस्तुत किया गया था। सात पूर्वोत्तर राज्यों, पूर्व से दो राज्यों, दक्षिण में एक राज्य और उत्तर में एक राज्य में मुख्यतः लेखा कार्यालयों में हुआ विलम्ब कोषागारों से लेखाओं की देशी से प्राप्ति के कारण था।

III ग सम्पूर्णता

प्रस्तुत किए गए 66.66 प्रतिशत मासिक सिविल लेखे सभी प्रकार से पूर्ण थे। 27 लेखा कार्यालयों में से 18 ने राज्य सरकारों को पूर्ण मासिक लेखे प्रस्तुत किए। नौ लेखा



कार्यालयों में प्रस्तुत किए गए मासिक लेखे अधूरे थे क्योंकि कोषागारों को लेखे प्रस्तुत करने से अपवर्जित किया गया था। कोषागारों को लेखाओं की सम्पूर्णता और/अथवा लेखाओं की देरी से प्राप्ति के कारण लेखाओं से अपवर्जित किया गया था।

III घ राज्य सरकारों को लेखाओं के प्रस्तुत करने में विलम्ब के कारण और लेखाओं की अपूर्णता

विलम्ब मुख्यतः कोषागारों/डिवीजनों से लेखाओं और राज्य सरकार के प्रस्तुत करने वाले प्राधिकारियों से अन्य लेखों की प्राप्ति में विलम्ब, स्टाफ की कमी और सॉफ्टवेयर एवं हार्डवेयर के लेखाकरण से संबंधित तकनीकी कठिनाईयों के कारण हुआ था। कोषागारों/डिवीजनों को लेखाओं की अपूर्णता और देरी से प्राप्ति के लिए लेखाओं से अपवर्जित किया गया है। कोषागारों द्वारा लेखाओं के प्रस्तुत करने में विलम्ब कुछ समय तक कठिन एवं खराब सड़क कनेक्टिविटी और स्टाफ की कमी बताया गया था।

IV कोषागार निरीक्षण

कोषागार निरीक्षण राज्य सरकार को सहायता देने के लिए किया जाता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोषागारों की प्रणाली निर्धारित क्रियाविधियों के अनुसार कार्य कर रही है।

राज्य सरकार के लेखाओं के संकलनकर्ता और तैयार करने वाले होने की वजह से महालेखाकार (ले. एवं हक.) कोषागार में आन्तरिक नियंत्रण तन्त्र की जाँच करता है। कोषागार निरीक्षण का उद्देश्य यह आश्वासन प्राप्त करना है कि प्रारम्भिक लेखाओं के तैयार करने के लिए विभिन्न जाँच और निर्धारित क्रियाविधियों का कोषागारों द्वारा विधिवत अनुपालन किया गया।

निरीक्षण कोषागार और उप कोषागार के स्तर पर किया जाता है। हमने 95.68 प्रतिशत नियोजित कोषागार निरीक्षण किए। राज्य सरकार ने हमारे द्वारा की गई 67.22 प्रतिशत सिफारिशों को स्वीकार किया।

वर्णन	नियोजित निरीक्षणों की संख्या	किए गए निरीक्षणों की संख्या	जारी की गई निरीक्षण रिपोर्ट	की गई सिफारिशें	स्वीकार की गई सिफारिशें
कोषागार	710	699	702	3,887	1,889
उप कोषागार	2,163	2,050	1,271	2,594	2,468
जोड़	2,873	2,749	1,973	6,481	4,357

**IV क 2011-12 के दौरान कोषागार निरीक्षणों के मुख्य निष्कर्ष**

हमने संक्षिप्त आकस्मिक (एसी) बिलों के विलम्ब से प्रस्तुत करने/प्रस्तुत न करने, पेंशनरी अभिलाभों का अधिक भुगतान, राज्य की समेकित निधि के बजाए वैयक्तिक खाता लेखा को सरकारी प्राप्तियों का क्रेडिट करते हुए आदि जैसे उदाहरण के लिए राज्यों के वित्तीय प्रबन्धन को प्रभावित करते हुए वित्तीय नियमों के अनुपालन में विचलन देखे। ऐसे सभी मामलों को आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई के लिए राज्य सरकार को सूचित किया गया था।

V हमारे हकदारी निष्पादन**V क पेंशन मामलों को अन्तिम रूप देना**

आईएण्डएडी में लेखा एवं हकदारी कार्यालयों ने 5,50,762 पेंशन और संशोधन मामलों को अन्तिम रूप दिया। मामलों के अन्तिम रूप देने में लिया गया औसत समय 2 दिन (छत्तीसगढ़) से 75 दिन (पश्चिम बंगाल) के बीच था। जबकि 15 कार्यालयों में पेंशन मामलों के प्रक्रियागत करने में कोई विलम्ब नहीं हुआ था, 7 दिनों से 60 दिनों तक के बीच का औसत विलम्ब शेष कार्यालयों में हुआ था। छठे वेतन आयोग के कारण पेंशन के संशोधन, अधूरी सूचना, स्टाफ की कमी, पेंशन मामलों को प्रक्रियागत करने में विलम्ब के कुछ कारण थे।

V ख सामान्य भविष्य निधि लेखाओं का रखरखाव

भारतीय लेखा एवं लेखापरीक्षा विभाग में लेखा एवं हकदारी कार्यालय राज्य सरकारी कर्मचारियों के सामान्य भविष्य निधि लेखाओं (जीपीएफ) के रखरखाव करने के लिए उत्तरदायी हैं। वर्ष 2011-12 के दौरान हमने 23 लेखा एवं हकदारी कार्यालयों के माध्यम से 40,95,796 जीपीएफ लेखाओं का रखरखाव किया। 37,78,502 जीपीएफ लेखा अर्थात् 92.25 प्रतिशत के संबंध में लेखा पर्चियां समय में जारी की गई थी।

रखरखाव किए गए जीपीएफ लेखाओं की संख्या	समय में जारी की गई लेखा पर्चियों की संख्या
40,95,796	37,78,502

VI ग्राहक शिकायतों का समाधान करने के लिए किए गए विशिष्ट उपाय/की गई नई पहलें

हम अपने ग्राहकों को निश्चित समय के अन्दर सेवाएं प्रदान करने और उनकी शिकायतों का समाधान करने के लिए हमारी जिम्मेवारियों के प्रति सचेत हैं। हम इस प्रयत्न में उनके सहयोग की इच्छा से पणधारियों के साथ बातचीत करते हुए और दक्ष सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रौद्योगिकी को सन्तुलित कर रहे हैं। इस खण्ड में कुछ लेखा एवं हकदारी कार्यालयों द्वारा की गई कुछ पहलों का वर्णन किया गया है।

**VI क आन्ध्र प्रदेश**

कार्यालय की वेबसाइट का उपयोग निधियों के समूह के कार्यकलापों और पहलों के संक्षिप्त विवरण देने के लिए किया जाता है। 2009-10 से जीपीएफ की पर्चियों को अंशदाता द्वारा डाउनलोड करने के लिए वेबसाइट पर डाला जाता है। पर्ची को डाउनलोड करते समय कर्मचारी के डॉटा को अंशदाता द्वारा दी गई सूचना से संग्रहीत किया जाता है। अवशिष्ट शेष के अन्तर्गत भुगतान के लिए पात्रता के अधिक प्रचार के लिए वेबसाइट में भी प्रदर्शन किया जाता है। अभिलेखों का अंकीकरण करने और शीघ्र पुनः प्राप्ति के लिए अभिलेखों को सुरक्षित रखने के लिए जीपीएफ खाता कार्डों को स्कैन किया जाता है और इन स्कैन किए गए चित्रों को समीक्षा करने के उद्देश्य के लिए जीपीएफ पैकेज में समावेशित किया जाता है। पत्राचार से संबंधित जीपीएफ के लिए एक मात्र समर्पित जी-मेल 2011 से कार्य कर रही है। औसतन लगभग 200 ई-मेल माह में प्राप्त होती हैं और इस प्रयोजन के लिए तैनात किए गए एक कर्मचारी द्वारा इन पर ध्यान दिया जाता है। एक सहायक लेखा अधिकारी जो जन सम्पर्क अधिकारी/जन शिकायत अधिकारी भी है को जीपीएफ अंशदानों और पेंशनरों की शिकायतों में सुधार करने के लिए लगाया गया है।

प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वारा एक दस्तावेज "पेंशन में नवप्रवर्तन" का भी प्रकाशन किया गया। इस प्रकाशन का उद्देश्य दस्तावेज में संरचनात्मक परिवर्तन करना है ताकि यह अभिलेख के रूप में काम आ सके और कार्यालय में कर्मचारियों का मार्गदर्शन कर सके तथा भारतीय लेखा एवं लेखापरीक्षा विभाग जो राज्य सरकार के कर्मचारियों को पेंशन प्राधिकार देता है के सभी कार्यालयों में प्रत्युत्तर को भी सरल बना सके। यह दस्तावेज दर्शाता है कि गुणवत्ता नियंत्रण की डोर आवेदन-पत्र के स्तर से प्राधिकरण के प्रेषण तक और भविष्य के सन्दर्भ और उपयोग के लिए मामले की फाइल को पुराने अभिलेख को अन्तर्गत करने के लिए समस्त प्रक्रिया के माध्यम से सतत् रूप से चलती रहती है। दूसरी ध्यान देने योग्य विशेषता पेंशनर के लिए स्थिर फीड बैक है जो पेंशन आवेदनपत्र में त्रुटियों का संशोधन करने के लिए उसे समर्थ बनाने के लिए है और उसके मामले पर कार्यवाही करने के स्तर पर उसे सूचित करने के बारे में है।

VI ख हरियाणा

प्रेस नोट्स हरियाणा सरकार के कर्मचारियों और सेवानिवृत्तियों को पेंशन और अन्तिम भुगतान मामलों के समय से प्रस्तुत करने की आवश्यकता के साथ-साथ उनकी शिकायतों के समाधान करने के बारे में उन्हें सूचित करने के लिए मुख्य समाचार पत्रों में दिया गया था। महालेखाकार ने देय राशियां जारी करने के लिए अप्राप्त ब्यौरो/दस्तावेजों की प्रतिक्रिया में उन पर दबाव बनाने के लिए भिवानी में जनवरी 2012 में कार्यालयाध्यक्षों के साथ एक



बैठक आयोजित की। अंशदाताओं को कार्यालय की वेबसाइट पर उनके जीपीएफ खातों और अन्तिम भुगतान मामलों की प्रास्थिति का अवलोकन करने के लिए पीआईएन (वैयक्तिक सूचकांक नम्बर) जारी किया।

VI ग हिमाचल प्रदेश

आईआरवीएस और वेबसाइट का गठन जीपीएफ लेखा धारकों और पेंशनरों से संबंधित शिकायतों को दर्ज करने और सूचना उपलब्ध कराने के लिए किया गया। महालेखाकार कार्यालय द्वारा पेंशन और जीपीएफ के अन्तिम भुगतान की कार्रवाई को प्रभावित करने वाले प्रलेखन में अन्तरालों के बारे में पणधारियों को सूचित करने के लिए वर्ष 2011-12 के दौरान कीयोलोंग एवं काजा में दो सेमीनारों का आयोजन किया गया था।

VI घ कर्नाटक

सभी जीपीएफ अंशदाताओं के मोबाइल फोन नम्बर एवं ई-मेल आईडी का एक डॉटाबेस, दावों/क्रेडिट के अद्यतन करने/डेबिट के दर्ज करने, आदि की प्रास्थिति को एसएमएस के माध्यम से अंशदाता को सूचित करने के उद्देश्य से अंशदाताओं के साथ सीधा और शीघ्र सम्पर्क/बातचीत करने के लिए तैयार किया जा रहा है। एक नया पेंशन सॉफ्टवेयर, एसएआई (प्रणाली स्वचलन पहल) - पेंशन को लागू किया जा रहा है। यह सूचना अन्तराल को कम करेगी चूँकि पेंशनर कार्यालय वेबसाइट से अभिगम करते हुए महालेखाकार कार्यालय में अपने पेंशन मामले की प्रास्थिति अभिनिश्चित कर सकते हैं।

VI ङ महाराष्ट्र

एसएआई (पेंशन) मॉड्यूल के अनुसार एक पूर्णतः कम्प्यूटरीकृत जीपीएफ पैकेज (जीईएमएस) को अप्रैल, 2011 से प्रारम्भ किया गया और सभी अन्तिम प्रतिदाय आवेदन-पत्र/अवशिष्ट शेषों को इस मॉड्यूल के माध्यम से भेजा जाता है। कार्यालय ने सभी सुसंगत सूचना को एकत्र करते हुए जीपीएफ अनुसूचियों की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए डीडीओज़ एवं कोषागार अधिकारियों को प्रशिक्षित करने के लिए जिला स्तर पर कार्यशाला का आयोजन किया। पेंशन अदालत का आयोजन पेंशनरों की शिकायतों का समाधान करने के लिए किया गया था।

VI च त्रिपुरा

एसएआई (प्रणाली स्वचलन पहल) - पेंशन परियोजना का कार्यान्वयन पेंशनरों को दक्ष और समय से सेवाएँ उपलब्ध कराने के लिए किया जा रहा है।

**VI छ उत्तराखण्ड**

जीपीएफ शेषों और अंशदान की ऑन लाइन प्रास्थिति एवं एसएमएस पुल तथा पुश सुविधाओं जैसी ई-पहल को संस्थापित किया जा रहा है। नई पहलों में ऑनलाइन शिकायतों के दर्ज करने और समाधान सुविधा को शामिल किया गया।

VI ज पश्चिम बंगाल

इस कार्यालय के पेंशन स्कन्ध के पास एक पूर्णतः अनुभव वाला शिकायत समाधान अनुभाग नामतः "पेंशन सरलीकरण कक्ष" है जहाँ पेंशनर अपनी शिकायतों के समाधान के लिए आ सकते हैं। इस कक्ष को पुनः सुदृढ़ किया गया है और इसे एसएआई - पेंशन की सीमा के अन्तर्गत लाना है ताकि पेंशनरों के प्रश्नों/शिकायतों का शीघ्रता से एक इलेक्ट्रॉनिक परिवेश के माध्यम से समाधान किया जा सके।



अध्याय 5

व्यावसायिक मानक और गुणवत्ता प्रबंधन

हम सरकारी लेखापरीक्षकों और लेखाकारों दोनों के लिए व्यावसायिक मानक और पद्धति के महत्व के बारे में जागरूक हैं। यह सभी व्यवसायियों द्वारा असमान परिस्थितियों में अनुकरणीय मार्गदर्शन उपलब्ध कराता है और उस सीमा तक गुणवत्ता नियंत्रण और गुणवत्ता आश्वासन प्रक्रिया के लिए बैंच मार्क का कार्य करता है।

I सरकारी लेखाकरण मानक सलाहकार बोर्ड (गसब)

भारत सरकार के समर्थन से भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक ने अगस्त 2002 में सरकारी लेखाकरण मानक सलाहकार बोर्ड (गसब) की स्थापना की थी। गसब का उद्देश्य सार्वजनिक जवाबदेही और निर्णय लेने में गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए सरकारी लेखाकरण और वित्तीय प्रतिवेदनों में सुधार के मद्देनजर लेखाकरण मानकों का निरूपण और सिफारिश करना है। गसब में सरकार (केन्द्रीय और राज्य), व्यावसायिक लेखाकरण संस्थान, भारतीय रिजर्व बैंक और अकादमी के बहुपक्षीय पणधारियों में से उच्च स्तर के प्रतिनिधित्व वाले 16 सदस्य शामिल हैं।

गसब को निम्नलिखित उत्तरदायित्व सौंपे गए हैं:

- जवाबदेही तंत्र को बढ़ाने के लिए सरकारी लेखाकरण और वित्तीय प्रतिवेदन के मानकों की स्थापना और सुधार करना;
- मानकों का निरूपण करना और प्रस्तावित करना जो उपयोगकर्ताओं की आवश्यकता के आधार पर वित्तीय प्रतिवेदनों की उपयोगिता को सुधारेगें;
- मानकों को अद्यतन रखना और शासकीय वातावरण में बदलाव को दर्शाना;
- मानकों के कार्यान्वयन के लिए मार्गदर्शन उपलब्ध कराना;
- लेखाकरण और वित्तीय प्रतिवेदन के विशेष क्षेत्रों पर विचार करना जिनमें मानक स्थापना प्रक्रिया के माध्यम से सुधार किया जा सकता है; और
- वित्तीय प्रतिवेदनों में निहित सूचना की प्रवृत्ति और उद्देश्य की सामान्य समझदारी में सुधार करना।

रोकड़ आधारित लेखाकरण प्रणाली के आधार पर मानकों को भारतीय सरकार लेखाकरण मानक (आईजीएस) कहा जाता है और यह सरकार द्वारा अधिसूचित तिथि से संघ, राज्य और संघ शासित क्षेत्रों के विधानमण्डल द्वारा अनुपालन के लिए अनिवार्य बन गए हैं।

स्वतंत्र लेखापरीक्षा आश्वासन एवं सार्वजनिक प्रबंधन के द्वारा जवाबदेही बढ़ाना



प्रोदभूत आधारित लेखाकरण प्रणाली के आधार पर मानकों को भारतीय सरकार वित्तीय प्रतिवेदन मानक (आईजीएफआरएस) कहा जाता है और यह गसब द्वारा अनुमोदित तिथि से पायलट अध्ययन के लिए सिफारिशकर्ता बन गई। पणधारियों के परामर्श से विकसित मानक, संविधान के प्रावधानों के अनुसार विचार करने और अधिसूचना के लिए वित्त मंत्रालय को भेजे जाते हैं।

I क आईजीएएस अधिसूचित

मार्च 2012 तक, निम्नलिखित तीन आईजीएएस अधिसूचित किए गए हैं:

- सरकार द्वारा दी गई प्रतिभूति पर आईजीएस 1: प्रकटीकरण अपेक्षाएं, सरकार द्वारा दिसम्बर 2010 में अधिसूचित की गई थी।
- सहायता अनुदान पर आईजीएस 2: लेखाकरण और वर्गीकरण को सरकार द्वारा मई 2011 में अधिसूचित किया गया था।
- सरकार द्वारा दिए गए ऋण और अग्रिम आईजीएस 3 सरकार द्वारा फरवरी 2012 में अधिसूचित किए गए थे।

I ख विचाराधीन आईजीएएस और आईएफआरएस

सरकार के विचाराधीन आईजीएएस और आईजीएफआरएस की सूची नीचे दी गई है:

- विदेशी मुद्रा लेनदेन और विनियम दर भिन्नताओं द्वारा हानि या लाभ पर आईजीएएस
- सरकार की अन्य देयताओं और सार्वजनिक ऋण पर आईजीएएस: प्रकटीकरण अपेक्षाएं
- सम्पत्ति, संयंत्र और उपस्कर पर आईजीएफआरएस
- आकस्मिक परिसम्पत्तियों और आकस्मिक देयताओं पर आईजीएफआरएस: प्रकटीकरण अपेक्षाएं

I ग विचाराधीन आईजीएएस और आईजीएफआरएस

विकास और विचाराधीन के विभिन्न स्तरों के अन्तर्गत आईजीएसज़ और आईजीएफआरएसज़ में निम्नलिखित शामिल हैं:

- सरकार के सामान्य उद्देश्य वित्तीय विवरण पर आईजीएएस
- इक्विटी में सरकारी निवेश पर आईजीएएस



- पट्टे पर आईजीएस
- वित्तीय विवरणियों की प्रस्तुति पर आईजीएफआरएस
- विनियम लेन-देन से राजस्व पर आईजीएफआरएस
- सम्पत्ति सूचियों पर आईजीएफआरएस
- लेखाकरण नीतियों, लेखाकरण अनुमानों में बदलाव और त्रुटियों पर आईजीएफआरएस

II लेखापरीक्षा विंग का पुनर्गठन

नवीनतम लेखापरीक्षा कार्यप्रणालियों, जिन्हें भारतीय लेखा एवं लेखापरीक्षा विभाग द्वारा अपनाया गया है, को आन्तरिक बनाने, नियम पुस्तिकाओं को अद्यतन करने और दैनिक कार्य में इन कार्यप्रणालियों का उपयोग करने के लिए क्षमता निर्माण की आवश्यकता महसूस की गई। जिसके परिणामस्वरूप, पूर्व लेखापरीक्षा विंग को मई 2011 में व्यावसायिक कार्यकारी समूह (पीपीजी) और नीतिगत प्रबंधन इकाई (एसएमयू) में पुनःरूपित किया गया था। ये इकाईयाँ उप-नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के पर्यवेक्षण और मार्गदर्शन के तहत कार्य करती हैं।

II क व्यावसायिक कार्यकारी समूह (पीपीजी)

पीपीजी के निर्माण के पीछे तर्काधार, उभरती हुई लेखापरीक्षा कार्यप्रणालियों और श्रेष्ठ प्रक्रिया के प्रसार को प्रोत्साहन उपलब्ध कराना था। पीपीजी द्वारा किए गए प्रमुख कार्यों में शामिल है:

- वांछित लेखापरीक्षा गुणवत्ता प्रणाली की स्थापना, बढ़ोतरी और लागू करना।
- इंटोसाई मानकों के अनुरूप विकास, समीक्षा और लेखापरीक्षा मानकों का अद्यतन।
- सभी नई लेखापरीक्षा कार्यप्रणालियों का विकास, प्रसार और कार्यान्वयन।

II ख नीतिगत प्रबंधन यूनिट (एसएमयू)

एसएमयू को भारतीय लेखा एवं लेखापरीक्षा विभाग के लिए योजना, सामान्य लेखापरीक्षा नीति और नीतिगत लेखापरीक्षा योजनाओं से संबंधित सभी मामलों की देखभाल करनी होती है। एसएमयू की जिम्मेदारियों में शामिल है:



- आईएएण्डएडी की पंचवर्षीय परिदृश्य योजना और आईएएण्डएडी की रणनीतिक योजना कार्यान्वयन, 2020 का विकास और मध्यावधि समीक्षा
- लेखापरीक्षा नीति का विकास
- नीतिगत लेखापरीक्षा योजना

III लेखापरीक्षा कार्यप्रणाली और मार्गदर्शन :

दिशानिर्देशों और नियमपुस्तिकाओं की नियमित समीक्षा की जाती है और उन्हें अद्यतन किया जाता है। 2011-2012 के दौरान हमने राज्य सरकार के वित्तीय लेखों को दो संस्करणों में प्रस्तुत करने का निर्णय लिया। इसने राज्य सरकारों के वित्तीय और विनियोग लेखों पर सीएजी के लेखापरीक्षा प्रमाणपत्रों के प्रारूप में विषय वस्तु की समीक्षा को आवश्यक बनाया था। हमने वर्ष 2010-11 के लेखों के लिए राज्य सरकारों के वित्तीय और विनियोग लेखों के लिए लेखापरीक्षा प्रमाणपत्रों के प्रारूप को संशोधित किया था।

IV गुणवत्ता आश्वासन

गुणवत्ता आश्वासन, लेखापरीक्षा प्रक्रिया का एक आवधिक मूल्यांकन है। इसका उद्देश्य साई को समुचित आश्वासन देना है कि साई का लेखापरीक्षा कार्य व्यावसायिक और अनुप्रयोज्य वैध मानकों के अनुरूप है। गुणवत्ता आश्वासन उन व्यक्तियों द्वारा किया जाता है जो उस लेखापरीक्षा प्रक्रिया का हिस्सा नहीं हैं जिसकी वे समीक्षा कर रहे हैं। यह कार्य साई द्वारा या अन्य साई द्वारा आन्तरिक रूप से किया जा सकता है।

IV क साई इण्डिया का बाह्य पीअर रिव्यू

साई इण्डिया के निष्पादन लेखापरीक्षा कार्य की समीक्षा सुप्रीम ऑडिट इन्स्टीट्यूशन ऑफ कनाडा, डैनमार्क, नीदरलैंड्स और संयुक्त राज्य अमेरिका सहित आस्ट्रेलिया के राष्ट्रीय लेखापरीक्षा कार्यालय के अन्तर्राष्ट्रीय पीअर रिव्यू दल द्वारा अक्टूबर 2011 से मार्च 2012 की अवधि में की गई थी। पीअर रिव्यू के संदर्भ की शर्तें थी:

- उस सीमा का निर्धारण करना जहां तक साई इण्डिया का निष्पादन लेखापरीक्षा कार्य व्यावसायिक पद्धति के मानकों का पालन करता है; और
- सुधार के लिए अवसरों को चिन्हित करना।

IV ख आन्तरिक पीअर रिव्यू

हम गुणवत्ता आश्वासन तंत्र के भाग के रूप में लेखापरीक्षा कार्यालयों का पीअर रिव्यू भी करते हैं। ये "पीअर रिव्यू के माध्यम से गुणवत्ता आश्वासन" पर दिशानिर्देशों द्वारा परिचालित किए जाते हैं। 2011-12 में, हमने 31 लेखापरीक्षा कार्यालयों का पीअर रिव्यू किया था।



निरीक्षण विंग ने इन पीअर रिव्यूज का समन्वय किया। पीअर रिव्यू प्रतिवेदन पर अनुवर्ती कार्रवाई संबंधित कार्यकारी विंग द्वारा की जाती है।

पीअर रिव्यू प्रतिवेदनों ने लेखापरीक्षा योजना, समनुदेशन योजना और लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की अनुवर्ती कार्रवाई के क्षेत्रों में सुधार की संभावना को विन्हित किया।

IV ग महानिदेशक निरीक्षण

निरीक्षण विंग ने 3 वर्षीय चक्र में 90 लेखापरीक्षा कार्यालयों और 28 लेखा एवं हकदारी कार्यालयों के निरीक्षण किए। हमारे आंतरिक नियंत्रण तंत्र के भाग के रूप में यह निरीक्षण सारे देश में कार्यालयों की कार्यप्रणाली में परिवर्तिता को, यदि कोई है, इंगित करते हैं। निर्धारित प्रक्रियाओं, नियमों, विनियमों आदि के संदर्भ में देखे गए विचलन उचित अनुवर्ती कार्रवाई के लिए संबंधित कार्यालयों को सूचित किए जाते हैं। वर्ष 2011-12 के दौरान 395 पार्टी दिनों का उपयोग करते हुए 49 कार्यालयों⁷ का निरीक्षण किया गया था।

नियोजित निरीक्षणों की संख्या	किए गए निरीक्षणों की संख्या	की गई सिफारिशों की संख्या	कार्यान्वित की गई सिफारिशों की संख्या	अनुपालन की प्रतिशतता
65	49 ⁸	2,001	912	45.57

⁷ (एएवंई-09, लेखापरीक्षा-10, सदस्य लेखापरीक्षा बोर्ड -04 रक्षा लेखापरीक्षा -01, रेलवे -08, प्रशिक्षण संस्थान-01 और शाखा कार्यालय-16)

⁸ 33 मुख्य कार्यालय एवं 16 शाखा कार्यालय



अध्याय 6

हम अपने संसाधनों का प्रबंध कैसे करते हैं

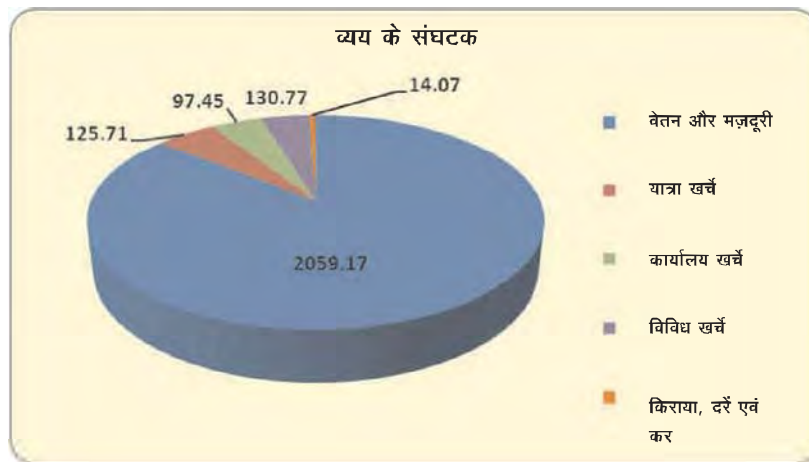
इससाई 10 निर्धारित करता है कि साई के पास प्रभावी रूप से कार्य करने के लिए आवश्यक और उचित व्यक्ति, सामग्री और मुद्रागत संसाधन होने चाहिए। उन्हें अपने बजट का प्रभावी रूप से प्रबंधन और उसे उचित रूप से आवंटित करना चाहिए।

I हमारा वित्तीय प्रबंधन

₹ 2,430.97 करोड़ के बजट आवंटन के प्रति हमने 2011-2012 में ₹ 2,427.17 करोड़ का व्यय किया। हमने निम्नलिखित घटकों पर व्यय किया :

I क व्यय के घटक

हम अपने संसाधनों का 84.84 प्रतिशत "वेतन" एवं मजदूरी और 5.18 प्रतिशत "यात्रा" पर खर्च किया। इस प्रकार हमारे कुल व्यय का 90 प्रतिशत सीधा हमारी श्रमशक्ति पर व्यय हुआ था।



I ख कार्यात्मक आधार पर व्यय प्रतिमान

सीएजी कार्यालय तथा यूएन लेखापरीक्षा यूनिट को छोड़कर भारतीय लेखा एवं लेखापरीक्षा विभाग पर किया गया समस्त व्यय दत्तमत है। सिविल लेखा कार्यालयों के बाद सिविल लेखापरीक्षा कार्यालयों ने सबसे अधिक व्यय किया। हमने कुल 60 प्रतिशत लेखापरीक्षा पर खर्च किया (मुख्यालय को छोड़कर)। सिविल लेखा कार्यालयों पर किया गया कुल व्यय लगभग 36 प्रतिशत था।

स्वतंत्र लेखापरीक्षा आश्वासन एवं सार्वजनिक प्रबंधन के द्वारा जवाबदेही बढ़ाना



कार्यालयों की श्रेणियां	वास्तविक व्यय (₹ करोड़ में)	व्यय की प्रतिशतता
मुख्यालय कार्यालय	71.59	2.95
विदेशी लेखापरीक्षा कार्यालय	16.91	0.70
सिविल लेखापरीक्षा कार्यालय	1,099.93	45.31
डाक एवं तार लेखापरीक्षा कार्यालय	70.56	2.91
रेलवे लेखापरीक्षा कार्यालय	129.91	5.35
रक्षा लेखापरीक्षा कार्यालय	47.34	1.95
वाणिज्यिक लेखापरीक्षा कार्यालय	94.15	3.88
एनएएए, शिमला	8.57	0.35
विभागीय कैंटीन (दत्तमत)	10.12	0.42
सिविल लेखा कार्यालय	868.85	35.80
यूएन लेखापरीक्षा	9.24	0.38
जोड़	2,427.17	100

I ग लेखापरीक्षा की लागत⁹

2011-12 के दौरान लेखापरीक्षा कार्यों पर कुल व्यय ₹ 1,538.96 करोड़ था जिसमें प्रशासनिक तथा प्रशिक्षण के उपरि खर्चे शामिल थे। प्रतिशतता के रूप में लेखापरीक्षा पर किया गया व्यय 2011-12 के लिए केन्द्र और राज्य सरकारों के कुल व्यय और राजस्व का केवल 0.036 प्रतिशत था। 2011-2012 के लिए केन्द्र तथा राज्य सरकारों के व्यय तथा राजस्व का विवरण निम्नानुसार है:

लेखापरीक्षण कार्यों पर व्यय

लेखापरीक्षित प्रत्येक एक लाख रुपये के लेन देन के लिए लेखापरीक्षा पर व्यय मात्र ₹ 36 था।

⁹ लेखापरीक्षा की लागत = लेखापरीक्षा पर व्यय/(कुल राजस्व प्राप्तियाँ-व्यय)



(₹ करोड़ में)

विवरण	संघ सरकार	राज्य सरकारें	योग
I. राजस्व प्राप्तियाँ			
कर राजस्व	6,33,983	5,77,368	12,11,351
गैर कर राजस्व	2,73,611	98,597	3,72,208
योग-I	9,07,594	6,75,965	15,83,559
II. व्यय			
राजस्व व्यय	13,05,195	10,92,476	23,97,671
पूँजीगत व्यय	1,39,465	1,75,352	3,14,817
योग- II	14,44,660	12,67,828	27,12,488
कुल राजस्व प्राप्तियाँ + व्यय (I+II)	23,52,254	19,43,793	42,96,047

राजस्व तथा व्यय के उपर्युक्त आंकड़ों में केन्द्र एवं राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों, स्वायत्त निकायों, सरकारी अनुदानों, कर्जों, भारी मात्रा में वित्तपोषित निकायों के लेन-देन तथा संघ तथा राज्य सरकारों के सार्वजनिक ऋण के लेन-देन जिनकी लेखापरीक्षा भी सीएजी द्वारा की जाती है, शामिल नहीं हैं। इन प्राप्तियों तथा व्यय की भी गणना करने पर, लेखापरीक्षित प्राप्तियों और व्यय की कुल राशि के अनुपात के रूप में लेखापरीक्षा पर व्यय 0.036 प्रतिशत से काफी कम था।

II हम अपने मानव संसाधनों का प्रबंध कैसे करते हैं

ज्ञान आधारित संगठन होने के कारण, हमारे लोग हमारी प्रमुख परिसम्पत्ति हैं। इससाई 40 निर्धारित करता है कि साई को यह सुनिश्चित करने के लिये नीतियाँ और प्रक्रियाएँ बनानी चाहिए कि उसके पास अपना कार्य प्रभावशाली रूप से करने के लिये पर्याप्त संख्या में सक्षम और प्रेरित कर्मचारी हैं। 2011-12 के दौरान कुछ महत्वपूर्ण विकासों में निम्नलिखित शामिल थे:

- डिविज़नल लेखाकारों, लेखापरीक्षकों, लेखाकारों और डाटा एंट्री ऑपरेटर्स के पद पर सीधी भर्ती के लिए कर्मचारी चयन आयोग को की गई समस्त माँग 2011-12 के दौरान पूरी कर ली गई। इसके परिणामस्वरूप समूह " ग " संवर्ग में कमी का काफी हद तक समाधान हुआ।
- संविदा भर्ती के आधार पर सलाहकारों की नियुक्ति की अनुमति थी ताकि क्षेत्रीय कार्यालयों में स्टाफ की कमी के कारण कार्य प्रभावित न हो।



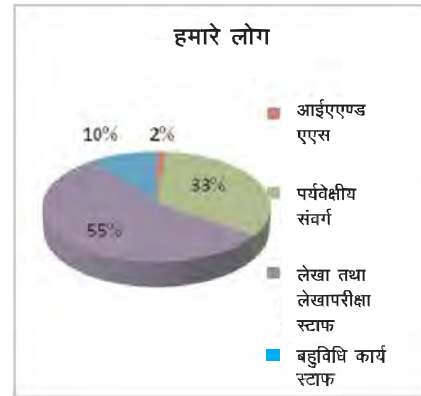
III हमारे लोग

हमारी श्रमशक्ति मोटे तौर पर चार श्रेणियों में वर्गीकृत है:

श्रेणी	संख्या
आईए एण्ड एएस	667
पर्यवेक्षीय संवर्ग	14,996
लेखा तथा लेखापरीक्षा स्टाफ	24,613
बहुविधि कार्य स्टाफ	4,596
जोड़	44,872

आईएएडी में करीब 34.90 प्रतिशत लोग विभिन्न प्रबंधन और पर्यवेक्षीय स्तर पर हैं और 54.85 प्रतिशत

लेखा तथा लेखापरीक्षा स्टाफ है। कुल संख्या का केवल 10.24 प्रतिशत (एमटीएस) ही विशुद्ध रूप से कार्य में सहायता करता है। 67,984 की स्वीकृत संख्या के प्रति वर्तमान में केवल 66 प्रतिशत स्टाफ ही विभाग में कार्य कर रहा है। हमने वर्ष में समूह "ग" संवर्ग में 1,833 लोगों की भर्ती की। इससे काफी हद तक कमी दूर करने में सहायता मिली।



भारतीय लेखा तथा लेखापरीक्षा सेवा - (आईए एण्ड एएस) अधिकारियों की भर्ती संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) द्वारा की जाती है। आईएएडी के उच्चतम, वरिष्ठ और मध्य प्रबंधन स्तर इस सेवा के अधिकारियों द्वारा संचालित होते हैं। यह सेवा भारत सरकार की समूह "ए" सेवा कहलाती है।

पर्यवेक्षी संवर्ग - राजपत्रित पर्यवेक्षी संवर्ग (समूह बी) में वरिष्ठ लेखापरीक्षा/लेखा अधिकारी, लेखा/ लेखापरीक्षा अधिकारी और सहायक लेखा/लेखापरीक्षा अधिकारी होते हैं। वे हमारे पदानुक्रम में महत्वपूर्ण परिचालनात्मक प्रबन्धन का हिस्सा हैं। सामान्य रूप से अनुभाग अधिकारी ग्रेड परीक्षा के रूप में जानी जाने वाली अखिल भारतीय विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद ही सहायक लेखा/लेखापरीक्षा अधिकारियों के संवर्ग में पदोन्नति की जाती है।



लेखा तथा लेखापरीक्षा स्टाफ:- यह संवर्ग लेखापरीक्षकों/लेखाकारों और वरिष्ठ लेखापरीक्षकों/वरिष्ठ लेखाकारों से बनता है और हमारी कुल श्रमशक्ति का 55 प्रतिशत है। इनकी भर्ती कर्मचारी चयन आयोग द्वारा की जाती है या लिपिकों के सहायक संवर्ग से पदोन्नति होती हैं।

बहुविधि कार्य स्टाफ:- सभी भारतीय लेखा तथा लेखापरीक्षा विभाग के कार्यालयों में विभिन्न समर्थन कार्य, मल्टीटास्किंग स्टाफ (एमटीएस) द्वारा किया जाता है।

हमारे मुख्य स्कंद में विभिन्न श्रेणियों के अधिकारियों के पदनाम अनुबंध III में दिए गए हैं।

IV अर्हता

अर्हता के दृष्टिकोण से देखते हुए हमारे पास 923 लेखांकन तथा लेखापरीक्षा व्यवसायी, 109 सीआईएसए/सीआईए अर्हता-प्राप्त कार्मिक और हमारे समूह ख और ग संवर्गों में 28,395 स्नातक हैं।

भारतीय लेखा तथा लेखापरीक्षा सेवा में आठ डॉक्ट्रेट, 232 व्यावसायिक रूप से अर्हता प्राप्त¹⁰ अधिकारी, 292 स्नातकोत्तर और 135 स्नातक हैं।

V नियुक्तियां

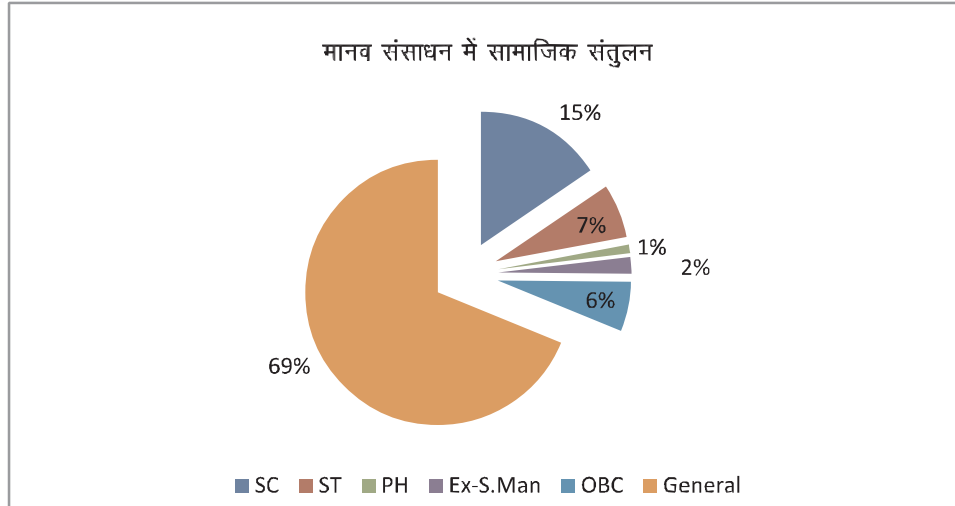
हमने 2011-2012 में 2,983 कार्मिक नियुक्त किये। ग्रुप "ग" श्रेणी अर्थात् लेखा तथा लेखापरीक्षा स्टाफ श्रेणी में सब से ज्यादा संख्या में नियुक्तियां (1,833) की गई।

श्रेणी	नियुक्त व्यक्तियों की संख्या
भारतीय लेखा तथा लेखापरीक्षा सेवा	20
पर्यवेक्षणीय संवर्ग	0
लेखा और लेखापरीक्षा स्टाफ	1,833
मल्टीटास्किंग स्टाफ	1,130
योग	2,983

VI सकारात्मक कार्रवाई

हमारे कार्मिकों में से हमारे पास "अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति" और "अन्य पिछड़े वर्ग" के 28 प्रतिशत कार्मिक हैं। हमारे एक प्रतिशत कार्मिक "भिन्न योग्यता वाले" लोग और दो प्रतिशत "भूतपूर्व सैन्य कर्मी" हैं।

¹⁰ इंजीनियर, डाक्टर, एमबीए, सीए, आईसीडब्ल्यू, सीएफई, सीआईए, सीआईए, सीआईएसए आदि।



VII लिंग संतुलन

किसी भी संवर्ग में महिला कर्मचारियों की संख्या, संवर्ग की कुल संख्या के 24 प्रतिशत से अधिक नहीं है। तुलनात्मक दृष्टि से, भारतीय लेखा तथा लेखापरीक्षा सेवा में, महिला कर्मचारियों की प्रतिशतता अधिकतम लगभग 24 प्रतिशत और मल्टीटासकिंग स्टाफ के बीच निम्नतम 11 प्रतिशत है। इस प्रकार, यद्यपि हमारे संवर्गों में अधिक महिलाएं नहीं हैं, तथापि, हमारे पास निर्णय लेने के स्तर पर महिलाओं की अधिक प्रतिशतता है।

श्रेणी	महिलाएं	पुरुष
भारतीय लेखा तथा लेखापरीक्षा सेवा	160	507
पर्यवेक्षीय संवर्ग	2,735	12,261
लेखा/लेखापरीक्षा स्टाफ	5,702	18,911
मल्टी टासकिंग स्टाफ	521	4,075
योग	9,118	35,754

VIII स्टाफ एसोसिएशन

हमारे पास लेखा तथा लेखापरीक्षा स्टाफ और पर्यवेक्षण संवर्ग के अधिकारियों का प्रतिनिधित्व करने वाली 240 स्टाफ एसोसिएशन और पाँच आल इण्डिया फेडरेशन हैं। 2011-12 के दौरान लेखा तथा लेखापरीक्षा विभाग मुख्यालय के शीर्ष स्तर पर फेडरेशनों और उच्च प्रशासनिक स्तर के बीच बारह बैठकें हुईं। राज्य स्तरीय बैठकें संबंधित क्षेत्र स्तर सेवा संघ के साथ प्रधान महालेखाकारों/महालेखाकारों द्वारा आयोजित की गई थी।



IX व्यावसायिक क्षमता विकास

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक संसद और राज्य विधानसभाओं को प्रतिवर्ष 100 से अधिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हैं। हमारे पास साई इण्डिया में सेवारत विभिन्न पदों में करीब 45,000 कार्मिक हैं। व्यापक रूप से कर्मचारियों के लेखापरीक्षा कौशल को बढ़ाने और क्षेत्र के ज्ञान के अद्यतन के लिये, विभाग की प्रशिक्षण संरचना में मुख्यतः भारतीय लेखा तथा लेखापरीक्षा सेवा अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिये शिमला में, राष्ट्रीय लेखा तथा लेखापरीक्षा अकादमी है। अंतर्राष्ट्रीय सूचना प्रणाली और लेखापरीक्षा केन्द्र, नोएडा मुख्यतः दुनिया भर में साई के प्रतिभागियों की प्रशिक्षण की आवश्यकताओं को पूरा करता है। हमारे पास पर्यवेक्षक संवर्गों और लेखा और लेखापरीक्षा स्टाफ की क्षमता बढ़ाने के लिये नौ क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थान और तीन क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्र हैं। पर्यावरण लेखापरीक्षा के लिये पर्यावरण लेखापरीक्षा के क्षेत्र में विशिष्ट कार्यक्रम के संचालन के लिये एक नया केन्द्र जयपुर में बनाया जा रहा है।

X नव नियुक्त अधिकारियों को प्रशिक्षण

सीधे भर्ती भारतीय लेखा तथा लेखापरीक्षा सेवा और सीधे भर्ती सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी (डीआरएओ) सेवा में स्थायीकरण से पहले व्यापक और व्यावसायिक प्रशिक्षण लेते हैं। भारतीय लेखा तथा लेखापरीक्षा सेवा अधिकारी 104 सप्ताह का प्रशिक्षण लेते हैं। इस प्रशिक्षण में 15 सप्ताह का आधार पाठ्यक्रम, 70 सप्ताह का व्यावसायिक प्रशिक्षण, दो चरणों में 3 सप्ताह का अध्ययन दौरा और 16 सप्ताह का ऑन द जॉब प्रशिक्षण शामिल है। सेवा में स्थायीकरण से पहले अधिकारियों से विभागीय परीक्षा (भाग-I और भाग-II) उत्तीर्ण करना अपेक्षित है।

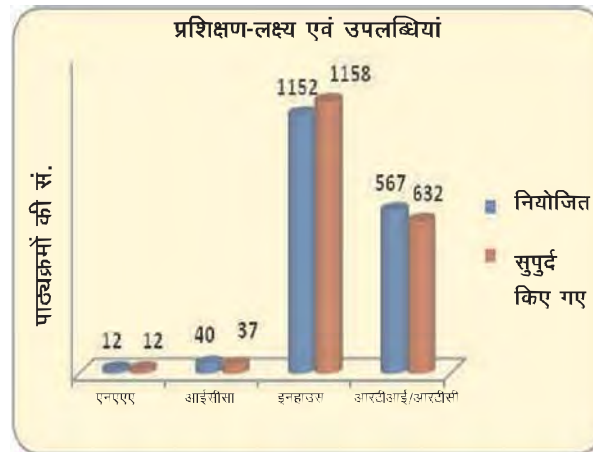
अधिकारी, प्रौन्नति पर या पार्श्विक नियुक्ति के माध्यम से भी भारतीय लेखा तथा लेखापरीक्षा सेवा ज्वाइन का सकते हैं। वे तीन सप्ताह की अवधि का राष्ट्रीय लेखा तथा लेखापरीक्षा अकादमी (एनएएए) शिमला, में आधार प्रशिक्षण लेते हैं।

डीआरएओ परिवीक्षार्थी क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थानों में सात माह का प्रशिक्षण लेते हैं, जब वे नियुक्त होते हैं। इसमें तीन माह का आधार प्रशिक्षण उनके संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों में, एक माह का ऑन द जॉब प्रशिक्षण और तीन माह का प्रारंभिक प्रशिक्षण शामिल है। एएओ के रूप में स्थायीकरण से पहले उनसे अनुभाग अधिकारी ग्रेड परीक्षा उत्तीर्ण करना अपेक्षित है।

**XI सेवा में प्रशिक्षण**

हमारे संगठन के अधिकारी और स्टाफ व्यापक रूप से लेखा, लेखापरीक्षा, प्रशासन, प्रबंधन और आईटी में प्रशिक्षित हैं। नई पद्धतियां कार्यान्वित करने और वर्तमान प्रथाओं के साथ अपने मानव संसाधनों को अद्यतन करने के लिए पाठ्यक्रम आयोजित किये जाते हैं। विभाग के 12 प्रशिक्षण संस्थानों में संचालित प्रशिक्षण के अलावा प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा अपने कर्मिकों की विशिष्ट प्रशिक्षण आवश्यकताओं का ध्यान रखने के लिए आन्तरिक प्रशिक्षण का संचालन अपेक्षित है।

उक्त ग्राफ दर्शाता है कि आरटीआई और आन्तरिक प्रशिक्षण के मामले में निर्धारित लक्ष्य, प्राप्त किये गये लक्ष्यों से अधिक थे। जबकि एनएएए शिमला ने वर्ष के दौरान 274 आईएएंडएएस अधिकारियों, आरटीआईज़ ने वर्ष के दौरान 12,368 लोगों को प्रशिक्षित किया, आईसीसा नोएडा ने 1,041 लोगों को प्रशिक्षण दिया और 23,145 कार्यालयों को क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा आयोजित आंतरिक प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से प्रशिक्षण दिया गया।



डीआरएओज़ के लिये एसएएस प्रारंभिक प्रशिक्षण और एसएएस परीक्षार्थियों के लिये प्रशिक्षण का भी सभी आरटीआईज़ और आरटीसीज़ में आयोजन किया गया था। प्रशिक्षण के प्रयास अनुभाग अधिकारी ग्रेड परीक्षा के परीणामों में स्पष्ट रूप में दिखे। राजभाषा विभाग के निर्देशों के कार्यान्वयन को सरल बनाने के लिये "नवीन अक्षर" और "सारांश" साफ्टवेयर पर विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम का भी आयोजन किया। विभाग में प्रशिक्षण के अतिरिक्त, हमारे 24 अधिकारियों को भारत में बाहरी प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण दिया गया और 2011-12 के दौरान 35 अधिकारियों को भारत के बाहर के प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण दिया गया।

XII श्रेष्ठता के केन्द्र

भारतीय लेखा तथा लेखापरीक्षा विभाग के सभी आरटीआई/आरटीसी उनको आबंटित विषयों के लिए श्रेष्ठता के केन्द्र के रूप में निर्दिष्ट किये गये हैं। श्रेष्ठता के केन्द्र के रूप में आरटीआई ढांचागत प्रशिक्षण माड्यूल, विषय अध्ययन और अन्य पठन सामग्री के विशिष्टिकरण के निर्दिष्ट क्षेत्र पर अधिक जोर देकर विकास करते हैं। वे विशिष्टिकरण के



निर्धारित क्षेत्र पर कार्यशालाओं और संगोष्ठियों का भी आयोजन करते हैं। वर्ष 2011-12 के दौरान विभिन्न संस्थानों के लिए श्रेष्ठता के क्षेत्र इस प्रकार हैं :

क्र.स.	आरटीआई/आरटीसी	श्रेष्ठता का क्षेत्र
1	आरटीआई, जम्मू	रक्षा लेखापरीक्षा
2	आरटीआई, जयपुर	सामाजिक क्षेत्र लेखापरीक्षा
3	आरटीआई, कोलकता	रेलवे लेखापरीक्षा और स्थानीय निकाय लेखापरीक्षा
4	आरटीआई, मुंबई	निगम प्रशासन और वित्त और नगर निगमों की लेखापरीक्षा
5	आरटीआई, नागपुर	राजस्व लेखापरीक्षा
6	आरटीआई, चेन्नै	अवसंरचनात्मक परियोजनाओं में सार्वजनिक निजी भागीदारी की लेखापरीक्षा
7	आरटीआई, राँची	लेखापरीक्षा गुणवत्ता प्रबंधन ढांचा
8	आरटीआई, इलाहाबाद	गसब और प्रमाणन लेखापरीक्षा
9	आरटीआई, शिलाँग	लागू वित्तीय प्रमाणन लेखापरीक्षा नियमपुस्तिका के अनुसार स्वायत्त जिला परिषदों में प्रमाणन लेखापरीक्षा
10	आरटीसी, बेंगलुरु	सूचना प्रौद्योगिकी लेखापरीक्षा
11	आरटीसी, हैदराबाद	स्थानीय निकाय और सामाजिक लेखापरीक्षा
12	आरटीसी, नई दिल्ली	सूचना प्रौद्योगिकी

XIII अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण लेखापरीक्षा और सतत विकास केन्द्र

" अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण लेखापरीक्षा और सतत विकास केन्द्र, (आईसीईडी) " नामक प्रशिक्षण सुविधा इंटोसाई के लिये विश्व प्रशिक्षण सुविधा के रूप में जयपुर शहर में स्थापित की गई है। इसने क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थान जयपुर परिसर से 09-05-2011 से जयपुर में कार्य करना शुरू किया क्योंकि आईसीईडी इमारत निर्माणाधीन है।



इस केन्द्र के उद्देश्य हैं।

- (i) प्रशिक्षण के माध्यम से क्षमता बढ़ाना।
- (ii) ज्ञान का प्रसार और सहभाजन।
- (iii) पर्यावरण नीति अनुसंधान का केन्द्र होना।
- (iv) पर्यावरणीय अध्ययन पर व्यवसायिक प्रमाणीकरण देना।



निर्माणाधीन आईसीईडी भवन

XIV प्रकाशन

ज्ञान को साझा करने के प्रयास के एक भाग के रूप में हमारी संस्था के कार्यात्मक विंगों और कार्यालयों द्वारा त्रैमासिक समाचार पत्र और जर्नल प्रकाशित किये जाते हैं। स्थानीय निकाय विंग का ग्रासरूट्स-ई-जर्नल स्थानीय निकायों की लेखापरीक्षा के क्षेत्र में नई पहलों पर ध्यान केन्द्रित करता है; ग्रीन फाइल्स आईसीईडी का त्रैमासिक समाचार पत्र पर्यावरण के क्षेत्र में विकास को दर्शाता है; प्रत्यक्ष कर विंग "रूपि ट्रेल" के नाम से एक त्रैमासिक जर्नल प्रकाशित करता है जिसमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों की लेखापरीक्षा के क्षेत्र में विकास को दर्शाया है।

XV हम सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग कैसे करते हैं

सूचना प्रणाली (आईएस) विंग विभिन्न कार्यात्मक विंगों द्वारा निर्धारित गतिविधियों के कम्प्यूटरीकरण के लिये सुविधाप्रदाता के रूप में कार्य करता है। यह सीएजी की वेबसाइट, सीएजीएसपीएस (इंट्रानेट) और अन्य सम्बन्धित वेबसाइटों के अनुरक्षण के लिए जिम्मेदार है। अन्य पहलों में मैनुअलों का डिजिटलइज़ेशन/प्रकाशन/नियम पुस्तिकाएँ; पाँच सेवाओं सहित वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क (वीपीएन) अर्थात् 189 कार्यालयों में वीडियो कांफ्रेंसिंग, वॉइस ऑन इंटरनेट प्रोटोकॉल (वीओआईपी), फ़ैक्स, इंटरनेट और ई-मेल; भारतीय लेखा एवं लेखापरीक्षा विभाग के पीएओज़ में ई-भुगतान का कार्यान्वयन शामिल है।

आईएस विंग 40 साइटों (27 राज्यों) में लाइनेक्स ऑपरेटिंग प्रणाली पर 3 स्तरीय संरचना में मौजूदा वीएलसी प्रणाली को ऑरेकल 8 आई से ऑरेकल 11जी तक तकनीकी उन्नयन के कार्यान्वयन को सरल बनाता है।

हम अपने सभी कार्यात्मक क्षेत्रों में भी सूचना प्रौद्योगिकी का व्यापक रूप से प्रयोग करते हैं।

लेखा कार्यालयों में: सभी लेखा कार्यालयों में ओरेकल प्लेटफॉर्म पर वाउचर लेवल कम्प्यूटराइज़ेशन कार्यान्वित किया गया। इससे लेखाओं पर एमआईएस मज़बूत हुआ है।



अन्य हकदारी कार्य जैसे जीपीएफ खातों (आईवीआरएस सहित), पेंशन को अन्तिम रूप देना और राजपत्रित हकदारी का भी कम्प्यूटरीकरण किया गया है।

प्रशासनिक कार्य: हमारे कार्यालयों में कई प्रशासनिक कार्य कम्प्यूटरीकृत हैं जैसे वेतन नामावली, व्यय की मासिक समीक्षा, पुस्तकालय, डाक आदि। सीएजी कार्यालय में एकीकृत डाक प्रबंधन प्रणाली को एनआईसी के सहयोग से सफलतापूर्वक में कार्यान्वित किया गया है।

लेखापरीक्षा कार्यालय: हमारे लेखापरीक्षा कार्यालय लेखापरीक्षा योजना, लेखापरीक्षा कार्यक्रम, लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों और आपत्तियों का पता लगाने, लेखापरीक्षिती डाटाबेस के रख-रखाव आदि के लिए आईटी का प्रयोग करते हैं।

कार्यप्रणाली और प्रशिक्षण : अधिकांश नियम-पुस्तिकायें, दिशा-निर्देश और प्रशिक्षण सामग्री डिजिटल फॉर्म में उपलब्ध है। इस सामग्री का उपयोग आईएएडी के भीतर मेल सर्वर के माध्यम से किया जाता है। इसके अतिरिक्त शाखा कार्यालयों सहित आईएएंडएडी के 189 से अधिक कार्यालयों में वीपीएन सेवाएं कार्यान्वित की जा चुकी हैं।

XVI राजभाषा को बढ़ावा देना के लिये हमारे प्रयास

XVI क प्रकाशन

हमने मुख्यालय से वर्ष के दौरान राजभाषा की त्रैमासिक पत्रिका "लेखापरीक्षा प्रकाश" के चार अंक प्रकाशित किये। क्षेत्रीय कार्यालय भी राजभाषा के रूप में हिंदी के प्रचार प्रसार के लिये हिन्दी की पत्रिकाएं नियमित रूप से प्रकाशित करते हैं।

XVI ख हिन्दी कार्यक्रम

- (क) हमने राजभाषा विभाग, भारत सरकार, गृह मंत्रालय के आदेशों के अनुसार मुख्यालय में राजभाषा के प्रगामी प्रयोग की समीक्षा के लिये चार तिमाही बैठकें आयोजित की।
- (ख) मुख्यालय के साथ-साथ क्षेत्रीय कार्यालयों में 3-09-2012 से 14-09-2012 तक हिन्दी पखवाड़ा मनाया गया। कार्यालय के दैनिक कामकाज में हिंदी के प्रयोग के प्रचार के लिये कई प्रतियोगितायें आयोजित की गईं। हमारे क्षेत्रीय कार्यालयों के बीच हिंदी में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन और सर्वश्रेष्ठ हिन्दी पत्रिका के लिये सीएजी द्वारा 28-09-2012 को राजभाषा शील्ड्स प्रदान की गईं।



- (ग) हमने राजभाषा विभाग, भारत सरकार, गृह मंत्रालय द्वारा निर्धारित हमारे 25 प्रतिशत क्षेत्रीय कार्यालयों के निरीक्षण का लक्ष्य प्राप्त किया।
- (घ) संसदीय राजभाषा समिति ने वरिष्ठ उप-महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) सिक्किम (14.05.2011), उप-महालेखाकार (निर्माण) ओडिशा, (3-10-2011), महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) नागालैंड (31-10-2011), महालेखाकार गोवा (18.01.2012) के कार्यालयों का निरीक्षण किया।

XVI ग अनुवाद

जैसा राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) के अंतर्गत अपेक्षित है प्रसार से पहले निम्नलिखित दस्तावेज़ हिन्दी में अनुवादित किए गए।

- क) सभी प्रस्ताव, सामान्य आदेश, नियमावली, अधिसूचनाएं, प्रशासनिक या अन्य प्रतिवेदन और प्रेस विज्ञप्तियाँ;
- ख) लेखापरीक्षा प्रतिवेदन और अन्य प्रतिवेदन और सदन या संसद के सदनों के समक्ष रखे जाने वाले सरकारी कागजात;

XVII अवसंरचना विकास

समस्त भारत में विभिन्न स्टेशनो पर भारतीय लेखा तथा लेखापरीक्षा विभाग के उपयोग के लिये आवासीय इकाईयों के साथ कार्यालय स्थल के संवर्धन हेतु कई भवन परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं जैसा कि नीचे विस्तृत रूप से बताया गया है:-

निम्नलिखित परियोजनाओं की 2011-12 के दौरान पूर्ण होने की संभावना थी लेकिन संसाधनों की अपर्याप्तता के कारण पूर्ण नहीं हो पाई। वे समापन की उन्नत अवस्था में हैं

- i अगरतला, त्रिपुरा - 8 क्वार्टर
- ii आईजोल, मिजोरम - महालेखाकार कार्यालय
- iii बेंगलुरु - महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के लिये एनेक्सी भवन
- iv देहरादून, उत्तराखंड - 219 आवासीय क्वार्टर, अतिथि गृह और मल्टीपर्स हॉल
- v कोहिमा, नागालैंड - 104 आवास
- vi पुरी, ओडिशा - शाखा कार्यालय
- vii शिलांग, मेघालय - आरटीआई हॉस्टल

निर्माणाधीन परियोजनाएं नीचे सूचीबद्ध हैं :

- i देहरादून, उत्तराखंड - कार्यालय
- ii आईसीसी, नोएडा - नवीकरण और उन्नयन



- iii ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश - कार्यालय
- iv जयपुर, राजस्थान - आईसीईडी
- v लखनऊ, उत्तर प्रदेश-कार्यालय
- vi पटना - 178 आवास और मल्टीपर्स हॉल
- vii पोर्ट ब्लेयर, अंडमान और निकोबार - 20 क्वार्टर
- viii शिलांग, मेघालय - आरटीआई
- ix शिमला - खेल सुविधाएँ

निम्नलिखित परियोजनाओं को भी शुरू करने की योजना है:

- (i) अहमदाबाद -7 आवास, अतिथि गृह और पारगमन आवास
- (ii) बेंगलुरु - जे सी रोड पर नया कार्यालय



अध्याय 7

संगोष्ठियां एवं कार्यक्रम

लेखापरीक्षण एक ज्ञान केन्द्रित व्यवसाय है। एक लेखापरीक्षक को उस वातावरण के बारे में जानना आवश्यक है जिसमें लेखापरीक्षित सत्ता कार्य कर रही है और लगातार उनके साथ सम्बद्ध रहना है। इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए हमने ज्ञान के आदान प्रदान को सुखद बनाने हेतु संगोष्ठियां और कार्यशालाएं आयोजित की हैं। वर्ष 2011-12 के दौरान आयोजित संगोष्ठियों और कार्यक्रमों पर नीचे चर्चा की गई है:

I प्रोद्भूत आधारित वित्तीय प्रतिवेदन पर वित्त मंत्रियों का सम्मेलन



सरकार में प्रोद्भूत आधारित वित्तीय प्रतिवेदन पर सम्मेलन 21 जून 2011 को आयोजित किया गया था। सम्मेलन का उद्घाटन केन्द्रीय वित्त मंत्री श्री प्रणब मुखर्जी द्वारा किया गया था और इसमें राज्यों और संघ सरकार के वित्त विभागों के मुख्य अधिकारियों के अतिरिक्त राज्यों के वित्त मंत्रियों ने भाग लिया था। सरकार में प्रोद्भूत आधारित वित्तीय प्रतिवेदनों के लिए परिचालनात्मक दिशानिर्देशों की एक बुकलेट जारी की गई थी। भागीदारों को श्री विनोद राय, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक और सम्मेलन में भाग ले रहे राज्यों के वित्त मंत्रियों द्वारा सम्बोधित किया गया था। इसमें श्री फ्रैंडरिक फ्रेआर वोन डोर्नबर्ग की प्रस्तुति भी शामिल है जो जर्मनी के मुख्य परामर्शदाता है जिन्होंने हैसे राज्य, जमनी में रोकड़ से प्रोद्भूत आधारित लेखाकरण प्रणाली की पारगमन प्रक्रिया के अनुभव को बांटा था। इस प्रस्तुति के बाद प्रोद्भूत आधारित वित्तीय प्रतिवेदनों और परिसम्पति लेखाकरण पर पैनल द्वारा चर्चा की गई थी।

स्वतंत्र लेखापरीक्षा आश्वासन एवं सार्वजनिक प्रबंधन के द्वारा जवाबदेही बढ़ाना



सरकार में प्रोद्भूत आधारित वित्तीय प्रतिवेदनों के लिए परिचालनात्मक दिशानिर्देशों पर बुकलेट: यह पुस्तिका¹¹ भारत में प्रोद्भूत लेखाकरण, गसब सचिवालय के संरक्षण में प्रोद्भूत लेखाकरण पर किए गए पायलट अध्ययन के परिणाम, प्रोद्भूत आधारित लेखाकरण प्रणाली के अन्तर्गत सामान्य उद्देश्यीय वित्तीय प्रतिवेदन के उद्देश्यों और तत्वों पर बैक-ग्राउंड टिप्पणी की व्याख्या करती है और सरकार में रोकड़ से प्रोद्भूत लेखाकरण में पारगमन के लिए उपाय सुझाती है।

II प्रोद्भूत लेखाकरण के पारगमन पर कार्यशाला

आईसीसा, नोएडा में 26 एवं 27 सितम्बर 2011 को प्रोद्भूत लेखाकरण के पारगमन पर दो दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई थी। प्रशिक्षण में राज्यों के महालेखाकार (ले. एवं हक) के कार्यालयों से 17 भागीदारों और केन्द्र सरकार की संगठित लेखाकरण सेवाओं से चयनित अधिकारियों ने भाग लिया था। प्रशिक्षण का उद्घाटन श्री टी.के.सान्याल, उप नियंत्रक-महालेखापरीक्षक और अध्यक्ष गसब, द्वारा किया गया था। समापन भाषण श्री शंकर नारायण, महानिदेशक/लेखा एवं सदस्य सचिव, गसब द्वारा दिया गया।

III प्रत्यक्ष कर संहिता पर राष्ट्रीय संगोष्ठी



भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के कार्यालय ने प्रत्यक्ष कर संहिता की अवधारणाओं और कार्यान्वयन से संबंधित मामले को उठाने के साथ-साथ लेखापरीक्षित वातावरण में प्रत्याशित बदलाव से विभाग के अधिकारियों को सुग्राही बनाने के मद्देनजर 4 मई 2011 को प्रत्यक्ष कर संहिता पर एक दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन किया था।

¹¹ इस पुस्तिका को <http://gasab.gov.in/pdf/booklet-on-operational-guidelines.pdf> पर एक्सेस किया जा सकता है।



संगोष्ठी का उद्घाटन डा. सी रंगराजन, अध्यक्ष, प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद द्वारा किया गया था। श्री सुनील मित्रा, भारत सरकार के राजस्व सचिव सम्मानित अतिथि थे।

गणमान्य अतिथियों में केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के सदस्य, केन्द्रीय कर बोर्ड के अधिकारी, फिक्की, एसोचेम, सीआईआई, आईसीएआई और पीएसयू के प्रतिनिधि शामिल थे। संगोष्ठी में महानिदेशक/प्रधान महालेखाकार/प्रधान निदेशक/महालेखाकारों और क्षेत्रीय कार्यालयों में ग्रुप अधिकारियों और भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के कार्यालय के अधिकारियों ने भाग लिया।

संगोष्ठी में किए गए विचार विमर्श में निम्नलिखित व्यापक क्षेत्रों को समाविष्ट किया गया:

- डीटीसी-विहंगावलोकन
- डीटीसी-सामान्य एंटी एवायडेंस नियमावली और अन्तर्राष्ट्रीय कराधान
- डीटीसी- कॉरपोरेट निर्धारिती

हर सत्र में सीबीडीटी के अधिकारियों, आईसीएआई के प्रतिनिधियों और अन्य विशेषज्ञों द्वारा प्रस्तुतियाँ दी गई थीं।

IV राजस्व लेखापरीक्षा पर अन्तर्राष्ट्रीय संगोष्ठी-नए आयाम



भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के कार्यालय द्वारा 14-15 नवम्बर 2011 को "राजस्व लेखापरीक्षा-नए आयाम" पर दो दिन की अन्तर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया जिसमें प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर और राज्य प्राप्ति लेखापरीक्षा को समाविष्ट किया गया था। संगोष्ठी का उद्घाटन श्री विनोद राय, भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक द्वारा किया गया था और साई इण्डिया द्वारा इसे सीएजी की संस्था के 150 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में



तथा राजस्व लेखापरीक्षा के 50 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर आयोजित किया गया था। संगोष्ठी में सात देशों (ब्राजील, चीन, डेनमार्क, जर्मनी, मॉरीशस, दक्षिण अफ्रिका और अमरीका के सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थाओं) के प्रतिनिधियों और सीएजी ऑफ इण्डिया के अधिकारियों ने भाग लिया।

संगोष्ठी में विचार विमर्श में निम्नलिखित व्यापक क्षेत्रों को समाविष्ट किया गया:

- आयकर प्राप्तियों की लेखापरीक्षा
- वैट की लेखापरीक्षा
- सीमा-शुल्क प्राप्तियों की लेखापरीक्षा
- राजस्व प्रशासन की आईटी लेखापरीक्षा

V 150वीं वर्षगांठ का समापन समारोह



भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की संस्था के 150 वर्ष पूरे होने पर नई दिल्ली में 16 नवम्बर 2011 को समापन समारोह आयोजित किया गया था। समापन समारोह में माननीय वित्त मंत्री श्री प्रणब मुखर्जी और माननीय अध्यक्ष लोक लेखा समिति डा. मुरली मनोहर जोशी ने अपनी उपस्थिति से समारोह की शोभा बढ़ाई। भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक श्री विनोद राय ने संविधान निर्माताओं द्वारा बनाए गए अधिदेश के अनुसार पिछले कई दशकों में सीएजी संस्था द्वारा निभाई जा रही उपयोगी भूमिका का वर्णन किया। उन्होंने अन्तर्राष्ट्रीय लेखापरीक्षा बिरादरी में संस्था द्वारा निभाई जा रही भूमिका के बारे में भी उल्लेख किया।

स्वतंत्र लेखापरीक्षा आस्थासन एवं सार्वजनिक प्रबंधन के द्वारा जवाबदेही बढ़ाना



श्री प्रणब मुखर्जी ने अपने भाषण में अपने बहुविध पणधारियों को आश्वासन प्रदान करने में सीएजी की भूमिका पर जोर दिया।

श्री मुरली मनोहर जोशी ने सीएजी की संस्था के विकास को संदर्भित करते हुए संस्थान की स्वतंत्रता पर बल दिया। उन्होंने यह भी बताया कि नई चुनौतियों का सामना करने के लिए सीएजी के डीपीसी अधिनियम 1971 पर दोबारा गौर करने की आवश्यकता है।

इस अवसर पर, माननीय वित्त मंत्री ने ₹10 और ₹ 150 के स्मारक सिक्के भी जारी किए।



अध्याय 8

प्रमुख पणधारकों के साथ हमारा संपर्क

सीएजी के प्राथमिक ग्राहक संसद, राज्य विधानसभा एवं जनता हैं। संसद एवं प्रत्येक राज्य विधानसभा के लिए एक लोक लेखा समिति (पीएसी) एवं सार्वजनिक उपक्रम समिति (कोपू) है जो साई इण्डिया के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की जाँच करती है। सीएजी के अन्य प्रमुख पणधारकों में सरकारी विभाग एवं मंत्रालय, तथा साई इण्डिया द्वारा संचालित लेखापरीक्षा, की विषय वस्तु में विशेष हित वाले संगठन एवं व्यक्ति सम्मिलित हैं।

अपने पणधारकों के साथ वार्तालाप एक निरंतर एवं गतिशील प्रक्रिया है। अपने ग्राहकों एवं पणधारकों के साथ हमारा संपर्क हमें उन अपेक्षाओं को समझने में सहायता करता है जो पणधारकों को साई इण्डिया से हैं एवं हमारे द्वारा किए जा रहे आश्वासन और जवाब देही के कार्य को अर्थ प्रदान करती हैं। हमारी एक प्रलेखित सूचना नीति है जो बाहरी पणधारकों के साथ हमारे संपर्क का मार्गदर्शन करती है।

I लेखापरीक्षा सलाहकार बोर्ड

सीएजी के संवैधानिक एवं वैधानिक अधिदेश के ढांचे में लेखापरीक्षा के निष्पादन एवं फोकस में सुधार के लिए सुझाव देने एवं लेखापरीक्षा से संबंधित मामलों में उसे सलाह देने के लिए सीएजी की अध्यक्षता में एक लेखापरीक्षा सलाहकार बोर्ड का गठन किया गया है। यह भारतीय लेखा तथा लेखापरीक्षा विभाग में नेतृत्व एवं निर्देशन को बढ़ावा देने के लिए एवं तदनुसार लेखापरीक्षा गुणवत्ता में सुधार के लिए नियोजित मुख्य यंत्रों में से एक है। बोर्ड के सदस्य अवैतनिक रूप से कार्य करते हैं। बोर्ड में विभाग से उप नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक और विविध क्षेत्रों के प्रभावशाली व्यक्ति सम्मिलित हैं। पहला लेखापरीक्षा सलाहकार बोर्ड 1999 में गठित किया गया था। उसके पश्चात बोर्ड पाँच बार पुनर्गठित किया गया था (2001, 2003, 2006, 2009, 2011)। 2011 में गठित वर्तमान बोर्ड छठा बोर्ड है।

II लेखापरीक्षित इकाईयों के साथ संपर्क

हमारी लेखापरीक्षित इकाईयाँ लेखापरीक्षा प्रक्रिया में मुख्य पणधारकों में से एक हैं। उनके साथ हमारा संपर्क एक निरंतर आधार पर लेखापरीक्षा से पहले, लेखापरीक्षा के दौरान एवं लेखापरीक्षा के बाद में होता रहता है। हमारे लेखापरीक्षा कार्यक्रमों की सूचना काफी पहले ही लेखापरीक्षित इकाईयों को दे दी जाती है। महत्वपूर्ण लेखापरीक्षाओं, उदाहरणार्थ निष्पादन लेखापरीक्षा के मामले में लेखापरीक्षा योजना लेखापरीक्षित इकाई के साथ परामर्श करके बनाई जाती है। सभी लेखापरीक्षा दल लेखापरीक्षा के आरंभ एवं समाप्ति पर एन्ट्री एवं



एग्जिट कॉन्फ्रेंस करते हैं। लेखापरीक्षा के प्रत्येक स्तर पर लेखापरीक्षित इकाइयों को लेखापरीक्षा शंकाओं एवं निष्कर्षों पर प्रतिक्रिया देने का अवसर दिया जाता है।

सभी क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा क्षेत्रीय स्तर पर जारी लेखापरीक्षा आपत्तियों पर विचार एवं कार्रवाई करने के लिए लेखापरीक्षा समिति की बैठकों का आयोजन किया जाता है। जब एक क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा एक क्रमबद्ध प्रकृति की सतत् अनियमितताएं पायी जाती हैं, तो लेखापरीक्षित इकाई को लेखापरीक्षा की चिंताओं की सूचना देने के लिए प्रबन्धन पत्रों का प्रयोग किया जाता है।

लेखापरीक्षित इकाइयों के अधिकारियों को विभाग में आयोजित संगोष्ठियों/कार्यशालाओं एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों में नियमित रूप से आमंत्रित किया जाता है।

III लोक लेखा समिति एवं सार्वजनिक उपक्रम समिति के साथ संपर्क

लोक लेखा समिति (पीएसी) एवं सार्वजनिक उपक्रम समिति (कोपू) संघ एवं राज्य स्तर पर सार्वजनिक वित्तीय जवाबदेही सुनिश्चित करने में हमारे प्रमुख भागीदार हैं। सीएजी के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन जो संसद/विधान सभा के पटल पर रखे जाते हैं, पीएसी/कोपू को विचारार्थ भेजे जाते हैं। सीएजी प्रतिवेदन चर्चा के लिए मुख्य बिन्दुओं का ज्ञापन तैयार करके समितियों के कामकाज में सहायता करता है। सीएजी एवं उसके प्रतिनिधि बैठक के दौरान साक्ष्यों की जांच में पीएसी/कोपू की सहायता करते हैं। पीएसी/कोपू अपनी जाँच पर आधारित सिफारिशों वाला प्रतिवेदन प्रकाशित करती हैं। समिति की सिफारिशों पर की गई कार्रवाई पर कार्यकारिणी से सूचना अपेक्षित होती है। तब समिति एक कार्रवाई रिपोर्ट प्रकाशित करती है। बैठकों में चर्चा न की गई लेखापरीक्षा आपत्तियों के मामले में, कार्यकारिणी से लेखा परीक्षा द्वारा विधिवत जाँच की गई कार्रवाई टिप्पणियां प्रस्तुत करना आवश्यक है।

2011-12 में केन्द्रीय पीएसी/कोपू ने लेखापरीक्षा प्रतिवेदनो पर चर्चा करने के लिए 48 बैठके आयोजित की।

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन	वर्ष 2011-12 के दौरान पीएसी/कोपू की आयोजित बैठकों की संख्या	वर्ष 2011-12 के दौरान चर्चा किये गए पैराओं/निष्पादन लेखापरीक्षा की संख्या
रिपोर्ट केन्द्रीय	14	09
वाणिज्यिक	15	06
रेलवे	04	05
प्रत्यक्ष कर	03	01

स्वतंत्र लेखापरीक्षा आश्वासन एवं सार्वजनिक प्रबंधन के द्वारा जवाबदेही बढ़ाना



आईएनडीटी (सीमा शुल्क)	01	01
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क	02	00
रक्षा एवं संचार	09	06
जोड़	48	28

राज्य पीएसीज/कोपू की 775 बार बैठकें हुई एवं 1618 पैराओं/निष्पादन लेखापरीक्षा समीक्षाओं पर चर्चा हुई।

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन	आयोजित बैठकों की संख्या	चर्चा किये गए पैराओं/निष्पादन लेखापरीक्षा की संख्या
पश्चिमी क्षेत्र	170	444
उत्तरी क्षेत्र	161	380
पूर्वी क्षेत्र	81	73
पूर्वोत्तर क्षेत्र	112	458
केन्द्रीय क्षेत्र	227	242
स्थानीय निकाय	24	21
जोड़	775	1618

IV शैक्षणिक एवं व्यावसायिक संस्थाओं के साथ संपर्क

हम कुछ शैक्षणिक एवं व्यावसायिक संस्थानों के साथ संपर्क करते हैं। विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को केन्द्रीय संस्थान परिषदों जैसे भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) भारतीय कम्पनी सचिव संस्थान (आईसीएसआई) एवं भारतीय लागत एवं कार्य लेखाकार संस्थान (आईसीडब्ल्यूएआई) के लिए नामित किया जाता है। आईसीएआई की परिषद का सदस्य होने के नाते, अधिकारियों को विभिन्न संस्थानों की समितियों/बोर्डों जैसे लेखाकरण मानक बोर्ड, लेखापरीक्षण एवं आश्वासन मानक बोर्ड, आंतरिक लेखापरीक्षा मानक बोर्ड, व्यावसायिक विकास समिति, ऐथिकल स्टैण्डर्ड बोर्ड, सूचना प्रौद्योगिकी समिति, पीयर रिव्यू बोर्ड इत्यादि में भी नामित किया जाता है। ताकि इन व्यवसायिक निकायों के साथ लगातार संपर्क सुनिश्चित हो सके। हमारे स्टाफ एवं अधिकारियों के प्रशिक्षण में संकाय सहायता के लिए विभाग के प्रशिक्षण संस्थान विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों के साथ संपर्क करते हैं।



V मीडिया के साथ संपर्क

बाहरी पणधारियों के लिए हमारी संचार नीति के अनुसार, सीएजी संचार नीति से संबंधित मामलों में निर्णय के लिए एवं मीडिया के साथ संपर्क करने के लिए सर्वोच्च प्राधिकारी है। उनकी अनुपस्थिति में, जीएआई एवं संचार नीति का प्रभारी अधिकारी मीडिया से संपर्क करेगा। ऐसा संपर्क विभाग, लेखापरीक्षा प्रतिवेदन एवं स्पष्टीकरण यदि कोई है, जारी करने के विषय में सूचना के प्रसार के उद्देश्य से होता है जो पणधारियों की मूलभूत सूचना की आवश्यकताओं को पूरा करने अथवा मीडिया सहित किसी बाहरी संस्था द्वारा तथ्यों के गलत प्रस्तुतीकरण अथवा मिथ्यावर्णन को दूर करने के लिए आवश्यक है।

मुख्यालय कार्यालय में मीडिया सलाहकार की अध्यक्षता वाला संचार नीति सैल प्रिंट/इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तथा जनता के साथ प्रभावशाली संचार व्यवस्था के लिए उत्तरदायी है। मीडिया सलाहकार मुख्यालय में प्रवक्ता है। राज्यों/यूटीज में, प्रधान महालेखाकार अथवा महालेखाकार स्तर का सबसे वरिष्ठ अधिकारी, जहाँ राज्य में कोई प्रधान महालेखाकार नहीं है, मीडिया के साथ प्रभावशाली संचार व्यवस्था के लिए उत्तरदायी है।

हम संसद एवं राज्य विधानसभा में लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के बाद अपने ग्राहकों को लेखापरीक्षा संदेश पहुँचाने के लिए कई तरह के कार्य करते हैं। लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर चर्चा के लिए एक मीडिया सम्मेलन आयोजित किया जाता है। प्रस्तुतीकरण के बाद लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की विषय-वस्तु को दर्शाते प्रैस सार भी जारी किये जाते हैं। प्रतिवेदन हमारी वेबसाइट पर भी उपलब्ध कराये जाते हैं। हमने महत्वपूर्ण सामाजिक क्षेत्र की निष्पादन लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षा संदेश देने के लिए छोटी पुस्तिकाओं की भी शुरुआत की है।



अध्याय 9

हमारी अन्तर्राष्ट्रीय भागीदारी और योगदान

साई इण्डिया अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय में लेखापरीक्षा मानकों और पद्धतियों के विकास का मुख्य भागीदार और प्रमुख सहयोगी है। साई इण्डिया अन्तर्राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और द्विपक्षीय स्तर पर सभी साई की लेखापरीक्षा पद्धतियों को सुदृढ़ करने में मदद करता है।

I इंटोसाई के साथ हमारी भागीदारी

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक, सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थाओं के अन्तर्राष्ट्रीय संगठन (इंटोसाई) के एक सदस्य है जिसके सदस्य 190 देश हैं। इंटोसाई समुदाय में सीएजी निम्नलिखित भूमिकाएं निभाता है:

- इंटोसाई के शासकीय बोर्ड का सदस्य।
- इंटोसाई के लक्ष्य 3 की नॉलेज शेयरिंग और नॉलेज सर्विसेस कमेटी की अध्यक्षता।
- आईटी लेखापरीक्षा पर कार्यकारी ग्रुप की अध्यक्षता।
- विभिन्न इंटोसाई समितियों और कार्यकारी समूहों सदस्यता।
- इंटोसाई कोलेबोरेशन टूल का प्रबन्धन।

II इंटोसाई, उसके क्षेत्रीय निकायों और कार्यकारी समूहों और समितियों के साथ कार्य

II क नॉलेज शेयरिंग और नॉलेज सेवाओं पर समिति

साई इण्डिया इंटोसाई की नॉलेज शेयरिंग और नॉलेज सेवाओं (लक्ष्य 3) की समिति का अध्यक्ष है। समिति का जनादेश बैंच मार्क प्रदान करना, अच्छी प्रथाओं का अध्ययन, लेखापरीक्षा मार्गदर्शन सामग्री और आपसी हित और चिन्ताओं के मुद्दों पर अनुसंधान करने सहित नालेज शेयरिंग के माध्यम से साई सहयोग, सहकार्य और निरन्तर सुधार करना है। साई इण्डिया वर्किंग ग्रुप्स/टार्स्क फोर्सेस के मूल्यांकन/उनके कार्यक्षेत्र के दायरे/गतिविधियों और गतिविधियों की अतिव्याप्ति को रोकने के लिए उनकी नीतिगत योजना के संरेखण में सहायता करता है। इसके अतिरिक्त, साई इण्डिया ने 2005 में इंटोसाई कोलेबोरेशन टूल (आईसीटी) विकसित किया था। इंटोसाई कोलेबोरेशन टूल का लक्ष्य असंरचित सामग्री, दस्तावेजों, ई-मेल, कैलेंडरिंग और वास्तविक उपकरणों को जोड़ना है ताकि इंटोसाई समुदाय में प्रयोक्ताओं को वास्तव में सहयोग, संचार और कन्टेंट प्रबन्धन उपलब्ध कराया जा सके।



II ख आईटी लेखापरीक्षा पर वर्किंग ग्रुप

आईटी लेखापरीक्षा पर वर्किंग (डब्ल्यूजीआईटीए) ग्रुप की अध्यक्षता साई इंडिया द्वारा की जाती है। डब्ल्यूजीआईटीए के अध्यक्ष के रूप में, हमारा ध्यान सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित लेखापरीक्षाओं में अच्छी प्रथाओं और विधियों के सृजन और शेयरिंग और सूचना के आदान प्रदान की सुविधा पर था। साई इंडिया सूचना प्रौद्योगिकी के अग्र क्षेत्रों अर्थात् "क्लाउड कम्प्यूटिंग एंड वर्चुआलाइज़ेशन एंड ग्रीन आईटी" परियोजनाओं में भी हिस्सा ले रहा है।

II ग अन्य क्षेत्रीय निकायों, वर्किंग ग्रुप और टास्क फोर्स

नॉलेज शेयरिंग समिति (केएससी) और डब्ल्यूजीआईटीए के अतिरिक्त, साई इंडिया के प्रतिनिधियों ने निम्नलिखित क्षेत्रीय निकायों/वर्किंग ग्रुपों/टास्क फोर्स की बैठकों में हिस्सा लिया और उनके कार्य अनुभव को अन्य साई सदस्यों के साथ बांटा:

- ❖ पर्यावरणीय लेखापरीक्षा पर वर्किंग ग्रुप
- ❖ आपदा संबंधी सहायता की लेखापरीक्षा के लिए जवाबदेही पर वर्किंग ग्रुप
- ❖ इन्टोसाई डोनर सहयोग की संचालन समिति
- ❖ व्यावसायिक मानक समिति (लक्ष्य 1) की संचालन समिति
- ❖ लेखापरीक्षा गुणवत्ता नियंत्रण (लक्ष्य 1) पर परियोजना
- ❖ हारमोनाइज़ेशन परियोजना ग्रुप (लक्ष्य 1)
- ❖ अनुपालन लेखापरीक्षा उप समिति (लक्ष्य 1)

II घ जयपुर में ग्लोबल प्रशिक्षण सुविधा

इसके अतिरिक्त, इन्टोसाई डब्ल्यूजीआईटीए अपनी ग्लोबल प्रशिक्षण सुविधा के रूप में जयपुर में स्थापित "अन्तर्राष्ट्रीय पर्यावरणीय लेखापरीक्षा और सतत विकास केन्द्र" (आईसीईडी) का उपयोग करेगा। यह सुविधा पर्यावरण लेखापरीक्षा और सतत विकास के क्षेत्र में व्यापक प्रशिक्षण और अनुभव शेयरिंग में पिछले 20 वर्षों में 100 से अधिक पर्यावरण लेखापरीक्षाएं करने में भारत की विशेषज्ञता को काम में लाना चाहती है।

III चौथी इन्टोसाई डोनर संचालन समिति की बैठक

साई इंडिया ने 23 से 25 फरवरी 2012 को जयपुर में चौथी इन्टोसाई डोनर संचालन समिति की बैठक का आयोजन किया। इसमें विभिन्न पणधारियों जैसे पूल्ड फंड टास्क फोर्स बैठक, इन्टोसाई समन्वय बैठक, डोनर समन्वय बैठक, संचालन समिति नेतृत्व समन्वय बैठक आदि के बीच उपयोगी बैठकें और बातचीत के अवसर प्रदान किए। बैठकों के अलावा,



अन्तर्राष्ट्रीय पर्यावरण लेखापरीक्षा और सतत विकास केन्द्र (आईसीईडी) जयपुर के दौरे का भी आयोजन किया गया था।

IV इन्टोसाई भविष्य के लिए कार्रवाई

नॉलेज शेयरिंग समिति

केएससी के अध्यक्ष के रूप में, हम वर्किंग ग्रुपों/टास्क फोर्स के मूल्यांकन/उनके कार्यक्षेत्र के दायरे/गतिविधियों और उनकी रणनीतिक योजना के संरक्षण जिससे वर्किंग ग्रुपों/टास्क फोर्स की गतिविधियों की अतिव्याप्ति को रोकने के दृष्टिगत एक ढांचा विकसित करेंगे। हम लक्ष्य 3 के लिए एक ग्लोबल फीड बैक तंत्र भी आरंभ और स्थापित करेंगे। इन्टोसाई संचार नीति और रणनीति के समान इन्टोसाई कोलेबोरेशन टूल (आईसीटी) के व्यापक प्रयोग को बढ़ावा देने की हमारी योजना है। इन्टोसाई की सभी समितियों, उपसमितियों, वर्किंग ग्रुप, टास्क फोर्स को आईसीटी के प्रयोग से परियोजनाएं शुरू करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। आईसीटी विभिन्न ग्रुपों के लिए इन्टोसाई समुदाय के प्रासंगिक संयुक्त उत्पादों के विकास में मिलकर कार्य करने के लिए एक अनूठा अवसर प्रदान करता है। हम लक्ष्य 3 के वर्किंग ग्रुपों और टास्क फोर्स के बीच बातचीत को प्रोत्साहित करने के लिए वेबसाइट <http://www.intosaiksc.cag.gov.in> का विकास करेंगे। वेबसाइट सभी वर्किंग ग्रुपों/टास्क फोर्स और उनके उत्पादों के लिए उपलब्ध होगी। वेबसाइट में उनकी विरासत को संरक्षित करने के लिए भंग वर्किंग ग्रुप/टास्क फोर्स के उत्पाद भी सम्मिलित होंगे।

V एसोसाई के साथ हमारी भागीदारी

इन्टोसाई के शासकीय बोर्ड ने सात क्षेत्रीय वर्किंग ग्रुपों: सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थाओं के एशियन संगठन (एसोसाई, 1979 में स्थापित), सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थाओं के अरब संगठन (अरबोसाई, 1976 में स्थापित), सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थाओं के अफ्रिकन संगठन (एफ्रोसाई, 1976 में स्थापित), सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थाओं के कैरिबियन संगठन (कैरोसाई 1988 में स्थापित), सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थाओं के यूरোपियन संगठन (यूरोसाई, 1990 में स्थापित), सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थाओं की पैसिफिक एसोसिएशन (पसाई, 1987 में स्थापित), सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थाओं के लेटिन अमेरिकन और कैरिबियन संगठन (ओलसेप्स, 1965 में स्थापित) को मान्यता दी है। साई इण्डिया एसोसाई का एक चार्टर सदस्य है।

साई इण्डिया ने एसोसाई में एक प्रमुख भूमिका निभाई है क्योंकि यह 1979 से 1982, 1994 से 1997 तक अध्यक्ष और 2000 से 2009 तक महासचिव थे। भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक 1979 से लगातार एसोसाई के शासकीय बोर्ड पर हैं। वर्तमान में, साई



इण्डिया एसोसाई के अध्यक्ष हैं। साई इण्डिया एशियन जर्नल ऑफ गवर्नमेंट ऑडिट, एसोसाई बिरादरी के मुखपत्र, जो वर्ष में दो बार प्रकाशित होती है के संपादक भी हैं।

VI एसोसाई की 12^{वीं} सभा

साई इण्डिया ने जयपुर में 28 फरवरी से 3 मार्च 2012 तक 12^{वीं} एसोसाई सभा का आयोजन किया। (इसमें 44^{वीं} जीबी बैठक, 5^{वीं} एसोसाई सिम्पोजियम और 45^{वीं} जीबी बैठक क्रमशः 28 फरवरी, 2 मार्च और 3 मार्च 2012 सम्मिलित है)। यह प्रतिभागियों (181) की संख्या और सदस्य देशों के प्रतिनिधित्व (42) दोनों के मामले में सबसे सफल सभा रही। साई इण्डिया ने साई पाकिस्तान से एसोसाई की अध्यक्षता ली थी। इससाईज को अपनाने में साई सदस्यों के बीच व्यापक सहमति को ध्यान में रखते हुए और एसोसाई के अध्यक्ष के रूप में साई इण्डिया शासन के सभी स्तरों पर इससाईज को लागू करने में साई सदस्यों को समर्थन देने में सक्रिय भूमिका निभाने का इरादा रखता है।



12^{वीं} एसोसाई सभा के दौरान कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर लिए गए निर्णय नीचे दिए गए हैं :

एसोसाई के शासकीय बोर्ड एवं लेखापरीक्षा समिति के लिए 2012-15 की अवधि के लिए चुनाव आयोजित किया गया था। बारह साई नामतः बंगलादेश, भूटान, चीन, ईरान, ईराक, जोर्डन, मंगोलिया, फिलिपींस, रूस, साउदी अरब, थाईलैण्ड एवं संयुक्त अरब अमीरात की साई ने शासकीय बोर्ड के छह पदों के लिए चुनाव लड़ा। बंगलादेश, जोर्डन, मंगोलिया, म्यांमार, नेपाल और तुर्की की साई ने लेखापरीक्षा समिति के दो पदों के लिए चुनाव लड़ा। जहाँ बंगलादेश, चीन, फिलिपींस, रूस, सऊदी अरब एवं थाईलैण्ड के साई शासकीय बोर्ड के लिए चुने गए थे, वहीं जोर्डन एवं तुर्की के साई लेखापरीक्षा समिति में दो पद हासिल करने में सफल रहे।

स्वतंत्र लेखापरीक्षा आस्थासन एवं सार्वजनिक प्रबंधन के द्वारा जवाबदेही बढ़ाना



मलेशिया के साई 2015 में आयोजित होने वाली 13^{वीं} सभा के लिए मेजबान साई के रूप में अनुमोदित किए गए थे। सभा ने 2012-15 की अवधि के लिए एसोसाई के महासचिव के रूप में डा. कुन यांग के दूसरे कार्यकाल का भी अनुमोदन किया।

वि.व. 2009-2011 के लिए वित्तीय विवरण एवं वि.व. 2012-15 के लिए तीन वर्षीय रोलिंग बजट योजना का भी अनुमोदन किया गया। लेखापरीक्षा समिति ने अपनी बाह्य लेखापरीक्षा के परिणाम के रूप में वि.व. 2009-11 के लिए वित्तीय विवरण पर एक अयोग्य राय दी थी। इसके अतिरिक्त, लेखापरीक्षा समिति ने सिफारिश की कि वर्तमान सचिवालय एक एकीकृत लेखाकन नीति तैयार करे जो सचिवालय के परिवर्तन के मामले में भी लागू हो।

प्रशिक्षण प्रशासक ने एसोसाई के क्षमता-निर्माण कार्यक्रमों के परिणाम पर एक त्रैवार्षिक रिपोर्ट दी। इसके अतिरिक्त, जापान के साई ने प्रशिक्षण अवसरों को बढ़ाने के लिए एसोसाई के नए क्षेत्रीय परिचालन की सूचना दी जिसे अन्तरिम रूप से "एसोसाई प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना" कहा गया।

एसोसाई की रणनीतिक योजना (2011-15) के मध्यावधि कार्यान्वयन के मूल्यांकन का अनुमोदन किया गया था।

महासचिव प्रथम एसोसाई-यूरोसाई संयुक्त सम्मेलन में पहुँचे एवं एसोसाई एवं यूरोसाई के बीच सहयोग पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये। विशेष सहयोग गतिविधियों को सरल बनाने के लिए, सभा यूरोसाई को सुझाव देने के लिए सहमत हुई कि एसोसाई एवं यूरोसाई: (क) एक दूसरे के प्रशिक्षण कार्यक्रमों एवं प्रशिक्षण विशेषज्ञों के पूल पर सूचना साझा करेंगे; एवं (ख) एक दूसरे के प्रशिक्षण विशेषज्ञों को अपने संबंधित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में आमंत्रित करेंगे।

"आन्तरिक लेखापरीक्षा प्रणालियों में सुधार एवं मूल्यांकन तथा आईएयूज तथा साई के मध्य संबंध" पर 9^{वीं} एसोसाई अनुसंधान परियोजना की अन्तिम रिपोर्ट अपनाई गई थी।

पिछले तीन वर्षों से एसोसाई जर्नल को दिये गए लेखों में से सर्वोत्तम लेख का पुरस्कार डा. बट्बयार बादामदोर्ज, मंगोलिया के उप महालेखापरीक्षक, को दिया गया था।

श्री हादी पोयरमो, अध्यक्ष, इंडोनेशिया गणराज्य के लेखापरीक्षा बोर्ड, ने एशियन सुप्रीम लेखापरीक्षा संस्थानों (एशियन साई), 10 दक्षिण पूर्व एशियन साई वाली एक उप क्षेत्रीय लेखापरीक्षा समुदाय, की स्थापना पर एक विशेष रिपोर्ट प्रस्तुत की।



VII एसोसाई की 44^{वीं} शासकीय बोर्ड की बैठक

28 फरवरी, 2012 को एसोसाई की शासकीय बोर्ड की 44^{वीं} बैठक के दौरान, संगठन की विभिन्न गतिविधियों पर रिपोर्टें प्रस्तुत की गई थीं। इनमें सचिवालय गतिविधियों, एसोसाई के वित्तीय प्रबन्धन एवं 2011-15 के लिए एसोसाई की रणनीतिक योजना के कार्यान्वयन पर रिपोर्टें सम्मिलित थीं। एसोसाई जर्नल, इंटोसाई व्यावसायिक मानक समिति, आईटी लेखापरीक्षा पर इंटोसाई कार्य समूह, इंटोसाई वित्त एवं प्रशासन समिति, पर्यावरणीय लेखापरीक्षा पर एसोसाई कार्य समूह, एसोसाई-यूरोसाई सहयोग, यूएन-इंटोसाई पहल 2010 की प्रगति पर रिपोर्टें एवं 9^{वीं} अनुसंधान परियोजना के परिणामों पर रिपोर्ट भी थी। शासकीय बोर्ड ने 2012-15 की अवधि के लिए एसोसाई के प्रशिक्षण प्रशासक के रूप में जापान की साई के कार्यकाल के विस्तार को मंजूरी दी।

VIII 5^{वीं} एसोसाई संगोष्ठी

एसोसाई सभा के मौके पर, 2 मार्च को "सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थाओं (इससाईज़) के अन्तर्राष्ट्रीय मानकों को आत्मसात करना" विषय पर 5^{वीं} एसोसाई संगोष्ठी का आयोजन किया गया था। संगोष्ठी ने उन लाभों पर विचारों के आदान प्रदान के लिए एक सार्थक मंच के रूप में कार्य किया जो इससाईज़ को लागू करने से सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थानों को होंगे।

भारत एवं स्वीडन के साई द्वारा मुख्य भाषण के बाद, चीन एवं रूस के साई द्वारा अपने घरेलू लेखापरीक्षा वातावरण में इससाईज़ को आत्मसात करने में उनके राष्ट्रीय अनुभवों पर विशेष रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। पैनल प्रस्तुति सत्र में, आस्ट्रेलिया, भूटान, साइप्रस एवं पाकिस्तान के साई ने इससाईज़ को लागू करने पर अपने विचार साझा किये।

IX एसोसाई की 45^{वीं} शासकीय बोर्ड की बैठक

"धोखाधड़ी एवं भ्रष्टाचार का पता लगाने के लिए लेखा परीक्षा: भ्रष्टाचार एवं काले धन के विरुद्ध लड़ाई का मूल्यांकन" को 10^{वीं} एसोसाई अनुसंधान परियोजना के विषय के रूप में चुना गया था।

श्री अम्बरिन बिन बुआंग, मलेशिया के महालेखापरीक्षक, ने घोषणा की कि 13^{वीं} सभा फरवरी 2015 में क्वालालम्पुर, मलेशिया में आयोजित की जाएगी एवं शासकीय बोर्ड को इस संबंध में तैयारियों के विषय में अवगत भी कराया।

फिलिपींस के साई को 2013 में आयोजित होने वाली शासकीय बोर्ड की 46^{वीं} बैठक के लिए मेजबान साई के रूप में चुना गया एवं रूस के साई के शासकीय बोर्ड की 47^{वीं} बैठक



के साथ-साथ 2014 में होने वाले दूसरे एसोसाई-यूरोसाई संयुक्त सम्मेलन के लिए मेजबान साई के रूप में चुना गया था।

X 9^{वीं} एसोसाई अनुसंधान परियोजना की दूसरी बैठक

"आन्तरिक लेखापरीक्षा प्रणालियों में सुधार एवं मूल्यांकन तथा आन्तरिक लेखापरीक्षा इकाईयों तथा साईज के बीच सम्बंध" पर 9^{वीं} एसोसाई अनुसंधान परियोजना की दूसरी बैठक कोरिया के लेखापरीक्षा एवं जाँच बोर्ड तथा भारत के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रशासकीय सहयोग के साथ 28-29 अप्रैल, 2011 को नई दिल्ली, भारत में आयोजित की गई थी।



दूसरी बैठक में 12 अनुसंधान दल के सदस्यों- चीन, भारत, इण्डोनेशिया, ईरान, ईराक, कोरिया, कुवैत, मलेशिया, पाकिस्तान, रूस, साउदीअरब एवं वियतनाम से कुल 21 प्रतिभागियों ने भाग लिया था। प्रत्येक सदस्य साई द्वारा आन्तरिक लेखापरीक्षा इकाईयों के साई के साथ संबंध पर प्रस्तुतियाँ एवं चर्चा की गई। अनुसंधान दल के कंट्री पेपर प्रश्नावलियों के परिणाम को पूरक करने के लिए अन्तिम प्रतिवेदन में शामिल किया गया था। अनुसंधान का अन्तिम प्रतिवेदन 29 फरवरी 2012 को जयपुर, भारत में आयोजित 12^{वीं} सभा के पहले पूर्ण सत्र में प्रस्तुत किया गया था।

XI अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों की लेखापरीक्षा

साई इण्डिया निम्नलिखित संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों का बाहरी लेखापरीक्षक था:

- विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ)
- अन्तर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन (आईएमओ)
- विश्व पर्यटन संगठन (यूएनडब्ल्यूटीओ)
- अन्तर्राष्ट्रीय प्रवास संगठन (आईओएम)
- विश्व खाद्य कार्यक्रम (डब्ल्यूएफपी)

स्वतंत्र लेखापरीक्षा आश्वासन एवं सार्वजनिक प्रबंधन के द्वारा जवाबदेही बढ़ाना



- विश्व मेरीटाईम विश्वविद्यालय (डब्ल्यूएमयू)
- अन्तर्राष्ट्रीय समुद्री विधि संस्थान (आईएमएलआई)

वर्ष के दौरान, साई इण्डिया को दो और यूएन एजेन्सी नामतः विश्व बौद्धिक सम्पदा संगठन (डब्ल्यूआईपीओ) एवं अन्तराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेन्सी (आईआईए) के बाहरी लेखापरीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था। ये नियुक्तियाँ राष्ट्रों जैसे ब्रिटेन, स्पेन, नार्वे एवं फिलीपीन्स से प्रतिस्पर्धा का सामना करने के लिए की गई थीं। डब्ल्यूआईपीओ के लिए लेखापरीक्षा की हमारी अवधि 2012 से 2017 तक है एवं आईआईए के लिए 2012 से 2013 तक है। एक बाहरी लेखापरीक्षक के रूप में, वित्तीय लेखापरीक्षा के अलावा, हमें निष्पादन एवं अनुपालन लेखापरीक्षा भी करनी होती है। इन लेखापरीक्षाओं के लिए चयनित अधिकारियों को विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है। ये लेखापरीक्षाएं दो अन्तिम उत्पादों में (वित्तीय विवरण की वित्तीय रिपोर्ट/प्रमाणीकरण- जो शार्ट फार्म रिपोर्ट के रूप में जाना जाता है एवं निष्पादन/अनुपालन रिपोर्ट जो लॉग फार्म रिपोर्ट के रूप में जाना जाता है) पराकाष्ठा पर पहुँचे जो इन एजेन्सियों की विधानसभाओं में संचरित की जाती हैं।

XII संयुक्त राष्ट्र के बाह्य लेखापरीक्षकों, विशेषीकृत एजेन्सियों एवं अन्तर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेन्सी के पैनल की बैठक

संयुक्त राष्ट्र के बाह्य लेखापरीक्षकों, विशेषीकृत एजेन्सियों एवं अन्तर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेन्सी के पैनल का 52वां नियमित सत्र नवम्बर/दिसम्बर 2011 में नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। महासभा ने 1959 में बाह्य लेखापरीक्षकों के पैनल का गठन किया जिसमें संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के बाह्य लेखापरीक्षक सम्मिलित हैं जो सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थानों के प्रमुख भी हैं। पैनल के सदस्य एक सतत आधार पर अनुभव एवं तरीके साझा करते हैं ताकि पूरी संयुक्त राष्ट्र प्रणाली में बाह्य लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं में अधिक से अधिक संभावित एकरूपता सुनिश्चित की जा सके। पैनल सदस्यों के निष्कर्ष एवं सिफारिशों को गंभीरता से लिया जाता है, एवं यथा समय एवं प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए सिफारिशों की स्थिति पर बारीकी से नजर रखी जाती है। इस प्रकार, पैनल के सदस्य संयुक्त राष्ट्र के चार्टर की पूर्ति के लिए काफी योगदान देते हैं।



पैनल के 52वें नियमित सत्र के दौरान, श्री विनोद राय, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को संयुक्त राष्ट्र, विशेषीकृत एजेंसियों और अन्तर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के बाहरी लेखापरीक्षकों के पैनल का अध्यक्ष चुना गया था। उन्होंने जर्मनी के लेखापरीक्षकों के फेडरल कोर्ट के उपराष्ट्रपति, श्री नार्बर्ट हॉसेर से कार्यकार संभाला।



पैनल के हित के अनुसंधान और विशिष्ट विषयों की समीक्षा के लिए सौंपा गया पैनल का अधिकतर कार्य तकनीकी ग्रुप द्वारा किया जाता है। तकनीकी ग्रुप समीक्षा किए गए विषयों और सिफारिशों पर उसकी नियमित बैठकों में पैनल को रिपोर्ट करता है। तकनीकी ग्रुप की 27^{वीं} बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई थी और इस बैठक के दौरान भारत के सीएजी कार्यालय के श्री जगबन्स सिंह, महानिदेशक, अन्तर्राष्ट्रीय संबंध, को पैनल के तकनीकी ग्रुप का अध्यक्ष चुना गया था।

XIII सितम्बर 2011 के दौरान पोलैंड, वारसाव में "मीडिया के माध्यम से जनता से संपर्क" पर 12वीं इण्डो-पोलिश संयुक्त संगोष्ठी

साई इण्डिया और साई पोलैंड के बीच समझौता ज्ञापन के अन्तर्गत सितम्बर 2011 के दौरान पोलैंड, वॉरसॉ में मीडिया के माध्यम से जनता से सम्पर्क पर 12वीं इण्डो-पोलिश संयुक्त संगोष्ठी आयोजित की गई थी। साई इण्डिया से सुश्री मालाश्री प्रसाद, अतिरिक्त उप नियंत्रक महालेखापरीक्षक ने प्रतिनिधि मंडल जिसमें श्री अमिताभ मुखोपाध्याय, महानिदेशक, श्री सुबीर मल्लिक, प्रधान निदेशक और सुश्री अल्का रेहानी भारद्वाज, प्रधान निदेशक शामिल थे, का नेतृत्व किया।



दोनों साई ने निम्नलिखित विषयों पर शोधपत्र प्रस्तुत किए थे:

- मीडिया के साथ साई के सहयोग के सिद्धान्त।
- साई के प्रैस अधिकारी के कार्य और कर्तव्यों के सिद्धान्त।
- पत्रकारों के साथ सहयोग/कार्य में समस्या।
- इंटरनेट के माध्यम से जनता की राय प्राप्त करना: साई के अवसर।
- साई में आंतरिक संचार।

XIV अक्टूबर - नवम्बर 2011 के दौरान मुम्बई में दूसरा इण्डो-चाईना यंग ऑडिटर्स फोरम

भारत और चीन के साई के बीच समझौता ज्ञापन के अन्तर्गत साई इण्डिया ने मुम्बई में दूसरे इण्डो-चाईना यंग ऑडिटर्स फोरम की मेजबानी की। दोनों साई से दस प्रतिनिधियों ने फोरम में भाग लिया। फोरम में चर्चा किए गए विषय "सरकारी लेखापरीक्षा की द्वितीय भूमिका और दूसरी लेखापरीक्षा पद्धतियों से इसकी श्रेष्ठता" और "लेखापरीक्षकों के लिए आचार संहिता" थे।



स्वतंत्र लेखापरीक्षा आश्वासन एवं सार्वजनिक प्रबंधन के द्वारा जवाबदेही बढ़ाना



अनुबंध-1

संगठनात्मक चार्ट



विनोद राय

1 उप नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (प्रशासन एवं स्टाफ विंग)		भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक	→	सीएजी के प्रधान निदेशक मीडिया सलाहकार
2 उप नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (वाणिज्यिक एवं अध्यक्ष लेखापरीक्षा बोर्ड) (केन्द्रीय वाणिज्यिक लेखापरीक्षा विंग)		महानिदेशक (प्रशि/सीपी)	→	निदेशक (आईआर)
		महानिदेशक (निरीक्षण)		निदेशक (कार्मिक), निदेशक (कार्य)
3 उप नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (रिपोर्ट केन्द्रीय) (रिपोर्ट केन्द्रीय विंग)		प्रधान निदेशक (आईआर)	→	सहायक सी एंड एजी (अराज), प्रधान सलाहकार (विधि)
		प्रधान निदेशक (मुख्यालय)		
4 उप नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (राजस्व लेखापरीक्षा एवं सूचना प्रणाली) (केन्द्रीय प्राप्ति लेखापरीक्षा विंग) (राज्य प्राप्ति लेखापरीक्षा विंग)		प्रधान निदेशक (स्टाफ)	→	
		प्रधान निदेशक (पीपीजी)		
5 उप नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (स्थानीय निकाय एड्सी एवं अध्यक्ष गस्तब) (लेखा, स्थानीय निकाय एवं रेलवे विंग)		प्रधान निदेशक (एसएमयू)	→	
		प्रधान निदेशक (परीक्षा)		
6 अपर उप नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (रिपोर्ट राज्य-I) (रिपोर्ट राज्य विंग)		प्रधान निदेशक (राजभाषा)	→	
		सहायक सी एंड एजी (कार्मिक)		
7 अपर उप नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (रिपोर्ट राज्य-III) (रिपोर्ट राज्य विंग)		महानिदेशक (वाणि.-I)	→	
		महानिदेशक (वाणि.-II)		
8 अपर उप नियंत्रक-महालेखापरीक्षक(वाणिज्यिक एवं एबी) (राज्य वाणिज्यिक एवं स्वायत्त निकाय विंग)		आर्थिक सलाहकार	→	
		प्रधान निदेशक (आरसी)		
9 अपर उप नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (रिपोर्ट राज्य- II) (रिपोर्ट राज्य विंग)		प्रधान निदेशक (आरसी)	→	
		सांख्यिकी सलाहकार		
10 अपर उप नियंत्रक एवं लेखापरीक्षक (रिपोर्ट राज्य विंग-IV)		महानिदेशक (प्रत्यक्ष कर)	→	निदेशक (प्रत्यक्ष कर)
		प्रधान निदेशक (एसआरए- II)		
11 अपर उप नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (रिपोर्ट राज्य-III) (रिपोर्ट राज्य विंग)		प्रधान निदेशक(आईएस एवं आईटी)	→	निदेशक (उत्पाद शुल्क)
		प्रधान निदेशक (सीमाशुल्क)		
12 अपर उप नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (रिपोर्ट राज्य- II) (रिपोर्ट राज्य विंग)		प्रधान निदेशक(एसआरए- I)	→	
		प्रधान निदेशक (के.उ.शु.एवं सेवा कर)		
13 अपर उप नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (रिपोर्ट राज्य- II) (रिपोर्ट राज्य विंग)		महानिदेशक (एलबी)	→	प्रधान निदेशक (एलबी)
		महानिदेशक (ले. एवं हक व शि.)		प्रधान निदेशक(लेखा), निदेशक (ले. एवं हक व शि.), प्रधान निदेशक (गस्तब)
14 अपर उप नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (रिपोर्ट राज्य- II) (रिपोर्ट राज्य विंग)		महानिदेशक (रेलवे)	→	
		प्रधान निदेशक (रेलवे बोर्ड लेखापरीक्षा)		
15 अपर उप नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (रिपोर्ट राज्य- II) (रिपोर्ट राज्य विंग)		महानिदेशक (आरएस-I)	→	
		महानिदेशक (आरएस-III)		
16 अपर उप नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (रिपोर्ट राज्य- II) (रिपोर्ट राज्य विंग)		महानिदेशक (एबी)	→	प्रधान निदेशक (एबी)
		प्रधान निदेशक (सीएस-I)		
17 अपर उप नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (रिपोर्ट राज्य- II) (रिपोर्ट राज्य विंग)		प्रधान निदेशक(सीएस- II)	→	
		प्रधान निदेशक (आरएस-III)		
18 अपर उप नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (रिपोर्ट राज्य- II) (रिपोर्ट राज्य विंग)		प्रधान निदेशक (आरएस-IV)	→	
		प्रधान निदेशक (आरएस-IV)		

टिप्पणी:- क्षेत्रीय कार्यालय गठन के प्रमुख डीजी/पीएजी/पीडी/एजी पदनाम के अधिकारी होते हैं और वे सम्बन्धित डीएआई/एडीएआई को रिपोर्ट करते हैं।

स्वतंत्र लेखापरीक्षा आश्वासन एवं सार्वजनिक प्रबंधन के द्वारा जवाबदेही बढ़ाना



अनुबंध II

भारतीय लेखा तथा लेखापरीक्षा विभाग के कार्यालय

I.	लेखापरीक्षा कार्यालय-संघ और संघ राज्य क्षेत्र
क.	सिविल
1.	महानिदेशक लेखापरीक्षा, केन्द्रीय प्राप्ति, नई दिल्ली
2.	महानिदेशक लेखापरीक्षा, केन्द्रीय व्यय, नई दिल्ली
3.	प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा, आर्थिक एवं सेवा मंत्रालय, नई दिल्ली
4.	प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा, वैज्ञानिक विभाग, नई दिल्ली
5.	प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा, केन्द्रीय, कोलकाता शाखा कार्यालय : पोर्ट ब्लेयर
6.	महानिदेशक लेखापरीक्षा, केन्द्रीय मुम्बई
	टिप्पणी: संघ राज्य क्षेत्र, चंडीगढ़, लक्षद्वीप और पांडिचेरी की लेखापरीक्षा क्रमशः महालेखकार (लेखापरीक्षा) हरियाणा, केरल और तमिलनाडु एवं पांडिचेरी के कार्यक्षेत्र में आती है। दादरा और नगर हवेली से संबंधित लेखापरीक्षा महालेखाकार (सिविल लेखापरीक्षा) गुजरात, राजकोट के कार्यक्षेत्र में आती है।
ख.	रक्षा
1.	महानिदेशक लेखापरीक्षा, रक्षा सेवाएं, नई दिल्ली
2.	प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा, रक्षा सेवाएं, चंडीगढ़
3.	प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा, वायु सेना एवं नौ सेना, नई दिल्ली
4.	प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा, आयुध फैक्ट्रियाँ कोलकाता
ग.	डाक एवं दूरसंचार
1.	महानिदेशक लेखापरीक्षा, डाक एवं दूरसंचार, दिल्ली

स्वतंत्र लेखापरीक्षा आश्वासन एवं सार्वजनिक प्रबंधन के द्वारा जवाबदेही बढ़ाना



घ.	रेलवे
1.	प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा, उत्तर मध्य रेलवे, इलाहाबाद
2.	प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा, पूर्व तट रेलवे, भुवनेश्वर
3.	प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, बिलासपुर
4.	प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा, दक्षिण रेलवे, चेन्नई
5.	प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा, पूर्वोत्तर रेलवे, गोरखपुर
6.	प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा, पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे, मालीगाँव, गुवाहाटी
7.	प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा, पूर्व मध्य रेलवे, हाजीपुर
8.	प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा, दक्षिण पश्चिम रेलवे, हुबली
9.	प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा, पश्चिम मध्य रेलवे, जबलपुर
10.	प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा, उत्तर पश्चिम रेलवे, जयपुर
11.	प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा, पूर्व रेलवे, कोलकाता
12.	प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा, दक्षिण पूर्व रेलवे, कोलकाता
13.	प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा, रेलवे उत्पादन युनिट एवं मैट्रो रेलवे, कोलकाता
14.	प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा, मध्य रेलवे, मुम्बई
15.	प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा, पश्चिम रेलवे, मुम्बई
16.	प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा, उत्तर रेलवे, नई दिल्ली
17.	प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा, दक्षिण मध्य रेलवे, सिकंदराबाद
18.	प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा, वाणिज्यिक, नई दिल्ली
ड.	वाणिज्यिक
1.	प्रधान निदेशक वाणिज्यिक लेखापरीक्षा एवं पदेन सदस्य लेखापरीक्षा बोर्ड, बंगलोर



2.	प्रधान निदेशक वाणिज्यिक लेखापरीक्षा एवं पदेन सदस्य लेखापरीक्षा बोर्ड, चेन्नई
3.	प्रधान निदेशक वाणिज्यिक लेखापरीक्षा एवं पदेन सदस्य लेखापरीक्षा बोर्ड, हैदराबाद
4.	प्रधान निदेशक वाणिज्यिक लेखापरीक्षा एवं पदेन सदस्य लेखापरीक्षा बोर्ड-I, कोलकाता
5.	प्रधान निदेशक वाणिज्यिक लेखापरीक्षा एवं पदेन सदस्य लेखापरीक्षा बोर्ड-II, कोलकाता
6.	प्रधान निदेशक वाणिज्यिक लेखापरीक्षा एवं पदेन सदस्य लेखापरीक्षा बोर्ड-I, मुम्बई
7.	प्रधान निदेशक वाणिज्यिक लेखापरीक्षा एवं पदेन सदस्य लेखापरीक्षा बोर्ड-II, मुम्बई
8.	प्रधान निदेशक वाणिज्यिक लेखापरीक्षा एवं पदेन सदस्य लेखापरीक्षा बोर्ड-I, नई दिल्ली
9.	प्रधान निदेशक वाणिज्यिक लेखापरीक्षा एवं पदेन सदस्य लेखापरीक्षा बोर्ड-II, नई दिल्ली
10.	प्रधान निदेशक वाणिज्यिक लेखापरीक्षा एवं पदेन सदस्य लेखापरीक्षा बोर्ड-III, नई दिल्ली
11.	प्रधान निदेशक वाणिज्यिक लेखापरीक्षा एवं पदेन सदस्य लेखापरीक्षा बोर्ड-IV, नई दिल्ली
12.	प्रधान निदेशक वाणिज्यिक लेखापरीक्षा एवं पदेन सदस्य लेखापरीक्षा बोर्ड, रांची
च.	विदेश स्थित
1.	प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा, भारत लेखापरीक्षा कार्यालय, लंदन



2. प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा, भारतीय लेखे, वाशिंगटन डीसी
3. प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा, भारत लेखापरीक्षा कार्यालय, क्वालालम्पुर
4. निदेशक बाह्य लेखापरीक्षा, खाद्य एवं कृषि संगठन, रोम
5. निदेशक बाह्य लेखापरीक्षा, विश्व स्वास्थ्य संगठन, जेनेवा
- II लेखापरीक्षा कार्यालय-राज्य**
1. प्रधान महालेखाकार (सिविल लेखापरीक्षा) आंध्र प्रदेश, हैदराबाद
2. वरिष्ठ उप महालेखाकार (स्थानीय निकाय लेखा एवं लेखापरीक्षा), आंध्र प्रदेश हैदराबाद
3. महालेखाकार (वाणिज्यिक एवं प्राप्ति लेखापरीक्षा), आंध्र प्रदेश, हैदराबाद
4. महालेखाकार, अरुणाचल प्रदेश, ईटानगर
5. प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), असम, गुवाहाटी
6. वरिष्ठ उप महालेखाकार (स्थानीय निकाय लेखा एवं लेखापरीक्षा), असम, गुवाहाटी
7. प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार, पटना
8. महालेखाकार (लेखापरीक्षा), छत्तीसगढ़, रायपुर
9. वरिष्ठ उप महालेखाकार (स्थानीय निकाय लेखा एवं लेखापरीक्षा), छत्तीसगढ़, रायपुर
10. महालेखाकार, गोवा
11. प्रधान महालेखाकार (वाणिज्यिक एवं प्राप्ति लेखापरीक्षा), गुजरात, अहमदाबाद
12. महालेखाकार (सिविल लेखापरीक्षा), गुजरात, राजकोट
13. वरिष्ठ उप महालेखाकार (स्थानीय निकाय लेखा एवं लेखापरीक्षा), गुजरात, अहमदाबाद
14. प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), हरियाणा, चंडीगढ़
15. प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), हिमाचल प्रदेश, शिमला



16.	वरिष्ठ उप महालेखाकार (स्थानीय निकाय लेखा एवं लेखापरीक्षा), हिमाचल प्रदेश, शिमला
17.	प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), जम्मू व कश्मीर, श्रीनगर
18.	प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), झारखंड, रांची
19.	प्रधान महालेखाकार (सिविल एवं वाणिज्यिक लेखापरीक्षा) कर्नाटक, बंगलोर
20.	वरिष्ठ उप महालेखाकार (स्थानीय निकाय लेखा एवं लेखापरीक्षा), कर्नाटक, बंगलोर
21.	महालेखाकार (निर्माण, वन एवं प्राप्ति लेखापरीक्षा), कर्नाटक, बंगलोर
22.	प्रधान महालेखाकार (सिविल एवं वाणिज्यिक लेखापरीक्षा), केरल, तिरुवनंतपुरम
23.	महालेखाकार (निर्माण, वन एवं प्राप्ति लेखापरीक्षा), केरल, तिरुवनंतपुरम
24.	वरिष्ठ उप महालेखाकार (स्थानीय निकाय लेखा एवं लेखापरीक्षा), केरल, तिरुवनंतपुरम
25.	प्रधान महालेखाकार (सिविल एवं वाणिज्यिक लेखापरीक्षा), मध्य प्रदेश, ग्वालियर
26.	वरिष्ठ उप महालेखाकार (स्थानीय निकाय लेखा एवं लेखापरीक्षा), मध्य प्रदेश, ग्वालियर
27.	महालेखाकार (निर्माण एवं प्राप्ति लेखापरीक्षा), मध्य प्रदेश, भोपाल,
28.	प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा)- I, महाराष्ट्र, मुम्बई
29.	वरिष्ठ उप महालेखाकार (स्थानीय निकाय लेखा एवं लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र, मुम्बई
30.	महालेखाकार, (लेखापरीक्षा)- II, महाराष्ट्र, नागपुर
31.	वरिष्ठ उप महालेखाकार (स्थानीय निकाय लेखा एवं लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र, नागपुर

स्वतंत्र लेखापरीक्षा आश्वासन एवं सार्वजनिक प्रबंधन के द्वारा जवाबदेही बढ़ाना



32.	महालेखाकार(वाणिज्यिक लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र, मुम्बई
33.	महालेखाकार (लेखापरीक्षा), मणिपुर, इम्फाल
34.	वरिष्ठ उप महालेखाकार (स्थानीय निकाय लेखा एवं लेखापरीक्षा), मणिपुर, इम्फाल
35.	प्रधान महालेखाकार(लेखापरीक्षा), मेघालय, शिलांग
36.	महालेखाकार, मिजोरम, आईजोल
37.	महालेखाकार (लेखापरीक्षा), नागालैंड, कोहिमा
38.	महालेखाकार (लेखापरीक्षा), नई दिल्ली, दिल्ली
39.	प्रधान महालेखाकार (सिविल लेखापरीक्षा), ओडिशा, भुवनेश्वर
40.	वरिष्ठ उप महालेखाकार (स्थानीय निकाय लेखा एवं लेखापरीक्षा), ओडिशा, भुवनेश्वर
41.	महालेखाकार (वाणिज्यिक, निर्माण एवं प्राप्ति लेखापरीक्षा), ओडिशा, भुवनेश्वर
42.	प्रधान महालेखाकार, (लेखापरीक्षा), पंजाब, चण्डीगढ़
43.	प्रधान महालेखाकार(सिविल लेखापरीक्षा), राजस्थान, जयपुर
44.	वरिष्ठ उप महालेखाकार(स्थानीय निकाय लेखा एवं लेखापरीक्षा), राजस्थान, जयपुर
45.	महालेखाकार(वाणिज्यिक एवं प्राप्ति लेखापरीक्षा), राजस्थान, जयपुर
46.	महालेखाकार (लेखापरीक्षा) सिक्किम, गंगटोक
47.	प्रधान महालेखाकार (सिविल लेखापरीक्षा), तमिलनाडु व पुदुचेरि, चेन्नै
48.	वरिष्ठ उप महालेखाकार (स्थानीय निकाय लेखा एवं लेखापरीक्षा), तमिलनाडु, चेन्नै
49.	प्रधान महालेखाकार (वाणिज्यिक एवं प्राप्ति लेखापरीक्षा), तमिलनाडु, चेन्नै
50.	महालेखाकार (लेखापरीक्षा), त्रिपुरा, अगरतला
51.	वरिष्ठ उप महालेखाकार (स्थानीय निकाय लेखा एवं



	लेखापरीक्षा), त्रिपुरा, अगरतला
52.	प्रधान महालेखाकार(सिविल लेखापरीक्षा), उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद
53.	वरिष्ठ उप महालेखाकार(स्थानीय निकाय लेखा एवं लेखापरीक्षा), उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद
54.	महालेखाकार (वाणिज्यिक एवं प्राप्ति लेखापरीक्षा), उत्तर प्रदेश, लखनऊ
55.	प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड, देहरादून
56.	वरिष्ठ उप महालेखाकार (स्थानीय निकाय लेखा एवं लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड, देहरादून
57.	प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), पश्चिम बंगाल, कोलकाता
58.	महालेखाकार(प्राप्ति, निर्माण एवं स्थानीय निकाय लेखापरीक्षा), पश्चिम बंगाल, कोलकाता
III	लेखा एवं हकदारी कार्यालय- राज्य
1.	प्रधान महालेखाकार (ले.व ह.), आंध्र प्रदेश, हैदराबाद
2.	महालेखाकार (ले.व ह.), असम, गुवाहाटी
3.	महालेखाकार (ले.व ह.), बिहार, पटना
4.	महालेखाकार (ले.व ह.), छत्तीसगढ़, रायपुर
5.	महालेखाकार (ले. व ह.), गुजरात, राजकोट
6.	महालेखाकार, (ले.व ह.), हरियाणा, चण्डीगढ़
7.	महालेखाकार (ले.व ह.), हिमाचल प्रदेश, शिमला
8.	वरिष्ठ उप महालेखाकार(ले.व ह.), जम्मू व कश्मीर, श्रीनगर
9.	महालेखाकार (ले.व ह.), झारखण्ड, रांची
10.	महालेखाकार (ले.व ह.), कर्नाटक, बंगलोर
11.	महालेखाकार (ले.व ह.), केरल, तिरुवनंतपुरम
	शाखा कार्यालय: इर्नाकुलम, कोट्टायम, कोज्हीकोडे व त्रिशूर



12. महालेखाकार, (ले.व ह.)- I, मध्य प्रदेश, ग्वालियर
13. महालेखाकार (ले.व ह.) - II, मध्य प्रदेश, ग्वालियर
14. प्रधान महालेखाकार (ले. व ह.)- I, महाराष्ट्र, मुम्बई
15. प्रधान महालेखाकार (ले.व ह.)- II, महाराष्ट्र नागपुर
16. वरिष्ठ उप महालेखाकार (ले.व ह.), मणिपुर, इम्फाल
17. महालेखाकार (ले.व ह.), मेघालय, शिलांग
18. महालेखाकार (ले.व ह.), नागालैंड, कोहिमा
19. प्रधान महालेखाकार, (ले.व ह.), ओडिशा, भुवनेश्वर
20. महालेखाकार (ले.व ह.), पंजाब, चण्डीगढ़
21. प्रधान महालेखाकार (ले.व ह.), राजस्थान, जयपुर
22. वरिष्ठ उप महालेखाकार (ले.व ह.), सिक्किम, गंगटोक
23. प्रधान महालेखाकार (ले.व ह.), तमिलनाडु, चेन्नै
24. वरिष्ठ उप महालेखाकार (ले.व ह.), त्रिपुरा, अगरतला
25. महालेखाकार (ले.व ह.) - I, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद
26. महालेखाकार (ले.व ह.)- II, उत्तर प्रदेश, लखनऊ
27. महालेखाकार (ले.व ह.), उत्तराखण्ड, देहरादून
28. प्रधान महालेखाकार (ले.व ह.), पश्चिम बंगाल, कोलकाता

IV प्रशिक्षण संस्थान

1. राष्ट्रीय लेखा तथा लेखापरीक्षा अकादमी, शिमला
2. अंतराष्ट्रीय पर्यावरण लेखापरीक्षा एवं सतत विकास केंद्र (आईसीईडी), जयपुर
3. अंतराष्ट्रीय सूचना प्रणाली एवं लेखापरीक्षा केंद्र, नोएडा
4. क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थान, इलाहाबाद



5. क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थान, चेन्नै
6. क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थान, जयपुर
7. क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थान, जम्मू
8. क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थान, कोलकाता
9. क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थान, मुम्बई
10. क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थान, नागपुर
11. क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थान, रांची
12. क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थान, शिलांग
13. क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्र, बंगलोर
14. क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्र, हैदराबाद
15. क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्र, नई दिल्ली



अनुबन्ध- III

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक						
	शिखर प्रबंधन	वरिष्ठ प्रबंधन	मध्य प्रबंधन	परिचालनात्मक प्रबंधन	लेखा तथा लेखापरीक्षा स्टॉफ	मल्टीटास्किंग स्टॉफ
सीएजी कार्यालय	उप नियंत्रक-महालेखापरीक्षक और अपर उप नियंत्रक महालेखापरीक्षक	महानिदेशक, प्रधान निदेशक	निदेशक, उप निदेशक	वरिष्ठ प्रशासन अधिकारी (व.प्र.अ.) प्रशासन अधिकारी (प्र.अ.) सहायक प्रशासन अधिकारी (स.प्र.अ.), पर्यवेक्षक	वरिष्ठ लेखापरीक्षक/लेखाकार, लेखापरीक्षक/ लेखाकार, लिपिक, हिंदी अनुवादक, आईटी स्टॉफ, सचिवालय स्टॉफ आदि	अभि-लेखापाल, चपरासी, झाइवर आदि
लेखा.तथा लेखापरीक्षा कार्यालय		प्रधान महालेखाकार/ महालेखाकार (लेखापरीक्षा/ ले.एवं ह.), महानिदेशक/ प्रधान निदेशक	व. उप महालेखाकार, उप महालेखाकार	वरिष्ठ प्रशासन अधिकारी, लेखा अधिकारी, सहायक लेखा अधिकारी, महालेखाकार/ सहायक निदेशक	वरिष्ठ लेखापरीक्षक/ लेखाकार, लेखापरीक्षक/ लेखाकार, लिपिक, हिंदी अनुवादक, आई टी स्टॉफ, सचिवालयीन स्टॉफ आदि	अभि-लेखापाल, चपरासी, झाइवर आदि
प्रशिक्षण अकादमियां और संस्थान		महानिदेशक/प्रधान निदेशक	निदेशक, उप निदेशक	वरिष्ठ लेखापरीक्षा/लेखा अधिकारी, लेखापरीक्षा/लेखा अधिकारी, सहायक लेखापरीक्षा/लेखा अधिकारी, पर्यवेक्षक	वरिष्ठ लेखापरीक्षक/लेखाकार, लेखापरीक्षक/ लेखाकार, लिपिक, हिंदी अनुवादक, आई टी स्टॉफ, सचिवालयीन स्टॉफ आदि	अभि-लेखापाल, चपरासी, झाइवर आदि

स्वतंत्र लेखापरीक्षा आश्वासन एवं सार्वजनिक प्रबंधन के द्वारा जवाबदेही बढ़ाना



संकेताक्षर

एएंडई	लेखा और हकदारी
एसी	सार आकस्मिक
एडीएआई	अपर उप नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
एएफआरओएसएआई	सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थानों का अफ्रीकी संगठन
एजी	महालेखाकार
एओपी	व्यक्तियों का संघ
एआरबीओएसएआई	सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थानों का अरब संगठन
एसएसओसीएचएएम	भारत के वाणिज्य व्यापार एवं उद्योग मण्डल
एसओएसएआई	सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थानों का एशियाई संगठन
एटीएन	की गई कार्यवाही टिप्पणियां
सीएजी	भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
सीएआरओएसएआई	सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थानों का कैरिबियाई संगठन
सीबीडीटी	केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड
रोनवेट	केन्द्रीय मूल्य वर्धित कर
सीएफई	प्रमाणित धोखाधड़ी परीक्षक
सीआईए	प्रमाणित आन्तरिक लेखापरीक्षक
सीआईआई	भारतीय उद्योग का मण्डल
सीआईएसए	प्रमाणित सूचना प्रणाली लेखापरीक्षक
कोपू	सार्वजनिक उपक्रम समिति
डीएआई	उप नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
डीडीओ	आहरण और वितरण अधिकारी
डीजी	महानिदेशक
डीपीसी	कर्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा की शर्तें
डीआरएओ	सीधे भर्ती सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी
डीटीसी	प्रत्यक्ष कर संहिता
ईयूआरओएसएआई	सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थानों का यूरोपीय संगठन
फिक्की	भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग का महासंघ
गसब	सरकारी लेखाकरण मानक सलाहकार बोर्ड

स्वतंत्र लेखापरीक्षा आश्वासन एवं सार्वजनिक प्रबंधन के द्वारा जवाबदेही बढ़ाना



जीओआई	भारत सरकार
जीपीएफ	सामान्य भविष्य निधि
आईएएडी	भारतीय लेखा एवं लेखापरीक्षा विभाग
आईएएंडएस	भारतीय लेखा एवं लेखापरीक्षा सेवा
आईसीआई	भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान
आईसीएसआई	भारतीय कम्पनी सेक्रेटरी संस्थान
आईसीटी	इन्टोसाई सहयोग उपकरण
आईसीडी	अन्तर्राष्ट्रीय पर्यावरण लेखापरीक्षा एवं सतत विकास केन्द्र
आईसीआईएसए	अन्तर्राष्ट्रीय सूचना प्रणाली और लेखापरीक्षा केन्द्र
आईसीडब्ल्यूए	इंस्टिट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट्स
आईआईएफरीएल	इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कम्पनी लिमिटेड
आईजीएसएस	भारत सरकार के लेखाकरण मानक
आईजीएफआरएस	भारत सरकार वित्तीय रिपोर्टिंग मानक
आईएमएलआई	अन्तर्राष्ट्रीय समुद्री कानून संस्थान
आईएमओ	अन्तर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन
इंटोसाई	सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थाओं का अंतर्राष्ट्रीय संगठन
आईओएम	अन्तर्राष्ट्रीय प्रवास संगठन
आईआर	निरीक्षण रिपोर्ट
आईआरडिवीजन	अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध डिवीजन
आईआरसीटीसी	भारतीय रेल भोजन प्रबंध और पर्यटन निगम लिमिटेड
आईएस	सूचना प्रणाली
आईएसएसआई	सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थानों के अन्तर्राष्ट्रीय मानक
आईटी	सूचना प्रौद्योगिकी
आईवआरएस	इंटरैक्टिव वॉइस रिसर्च सिस्टम
केएससी	नॉलेज शेयरिंग कमेटी
एलबी	स्थानीय निकाय
एमएबी	सदस्य लेखापरीक्षा बोर्ड
एमआईएस	प्रबंधन सूचना प्रणाली
एमएटी	न्यूनतम वैकल्पिक कर
एमओयू	समझौता ज्ञापन

स्वतंत्र लेखापरीक्षा आश्वासन एवं सार्वजनिक प्रबंधन के द्वारा जवाबदेही बढ़ाना



एमएसओ	स्थायी आदेशों की नियम पुस्तिका
एमटीएस	बहु-कार्य स्टाफ
एनएएए	राष्ट्रीय लेखा तथा लेखापरीक्षा अकादमी
एनबीएफरी-आईएफरी	गैर बैंकिंग वित्तीय कम्पनी-इन्फ्रारड्रक्वर वित्तीय कम्पनी
एनआईसी	राष्ट्रीय सूचना केन्द्र
ओएनजीसी	तेल और प्राकृतिक गैस निगम
ओएलएसीईएफएस	सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थानों का लेटिन अमेरिकन और कैरिबियाई संगठन
पीएएसएआई	सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थाओं का पेरिफिक संघ
पीएण्डटी	डाक एवं दूरसंचार
पीएसी	लोक लेखा समिति
पीएओ	भुगतान एवं संवितरण कार्यालय
पीपीजी	व्यावसायिक परिपाटी समूह
पीएसयू	सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम
आरबीआई	भारतीय रिजर्व बैंक
आरटीसी	क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्र
आरटीआई	क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थान
साई	सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्था
सेल	स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया
एसएसएस	सहायक लेखापरीक्षा/लेखा सेवा
एसएमएस	लघु संदेश सेवा
एसएमयू	नीतिगत प्रबंधन युनिट
एन	संयुक्त राष्ट्र
यूएनडब्ल्यूटीओ	विश्व पर्यटन संगठन
यूएसए	संयुक्त राज्य अमरीका
यूटी	संघ राज्य क्षेत्र
वैट	मूल्य वर्धित कर
वीएलसी	वाउचर लेवल कम्प्यूटरीकरण
वीओआईपी	वाइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल
वापीएन	वास्तविक निजी नेटवर्क

स्वतंत्र लेखापरीक्षा आश्वासन एवं सार्वजनिक प्रबंधन के द्वारा जवाबदेही बढ़ाना



डब्ल्यूएफपी	विश्व खाद्य कार्यक्रम
डब्ल्यूजीआईटीए	सूचना प्रौद्योगिकी लेखापरीक्षा पर कार्यचालन ग्रुप
डब्ल्यूएचओ	विश्व स्वास्थ्य संगठन
डब्ल्यूआईपीओ	विश्व बौद्धिक सम्पत्ति संगठन
डब्ल्यूएमयू	विश्व समुद्री विश्वविधालय